खण्ड ६—अंक ४०
८ सितम्बर, १९५६ (शनिवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खंड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

242 Lok Sabha/56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*१९०४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विस्तार खंडों के कार्यक्रम का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राष्ट्रीय विस्तार सेवायें और सामुदायिक खंडों को लिया जायेगा; और

(ग) उन स्थानों के नाम, जहां उक्त खंड स्थित हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) ३८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में से १२०० को सामुदायिक विकास खंडों में बदला जायेगा। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के लिये आवश्यक खंडों का यथार्थ हिसाब लगा रही है। यह संख्या इस समय ज्ञात नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राशि दिये जाने पर राज्य सरकारें खंडों के लिये क्षेत्रों का चुनाव स्वयं करेंगी।

†**श्री राम कृष्ण** : किन आधारों अथवा सिद्धान्तों पर खंडों के क्षेत्रों अथवा जनसंख्या का चुनाव किया जायेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं जनसंख्या से सम्बन्धित आधार व सिद्धान्त से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है उसे ठीक तरह नहीं समझा हूं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में हमने जो पुस्तिकायें जारी की हैं उन में हम यह सब जानकारी दे चुके हैं। इसका आधार यह है कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे देश को राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तर्गत ले लेना है। और ४० प्रतिशत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लेना है। उक्त योजनाओं के मूल विवरण पहिले ही दिये जा चुके हैं। एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के अन्तर्गत ६६,००० व्यक्ति आयेंगे।

†**श्री तिम्मय्या** : सरकार यह किस आधार पर निश्चय करती है कि अमुक राज्य में अमुक संख्या में विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे तथा किस आधार पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं को सामुदायिक खंड क्षेत्रों में बदला जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** हमारे पास समस्त देश को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाने का एक कार्यक्रम है उसके आधार पर हमारे पास एक प्रावस्थायुक्त कार्यक्रम भी है। हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि कार्यक्रम के संचालन के लिये कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या भी हो। इस आधार पर हम प्रतिवर्ष राज्यों को अनुमति देते हैं। जहां तक राष्ट्रीय विस्तार खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में बदलने का सम्बन्ध है वह राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों के व्यक्तियों के उचित उत्साह दिखाने तथा अन्य प्रगतियों पर निर्भर है।

†**श्री जांगड़े :** राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों तथा सामुदायिक विकास खंडों में कुटीर उद्योग, सहकारी कृषि तथा बुनियादी शिक्षा के प्रचार के लिये सरकार की निश्चित नीति क्या है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** विशेषतः कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये बहुत से कार्यक्रम हैं। माननीय सदस्य को यह अवश्य ज्ञात होगा कि हमने २६ अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ की हैं। इन अग्रिम परियोजनाओं में हुए अनुभव के आधार पर हम इस सम्बन्ध में अधिक जोर से कार्य करेंगे।

†**श्री सु० चं० देव :** क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों को सामुदायिक विकास खंडों में परिणत कर दिया जायेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** जी नहीं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में परिणत किया जायेगा। किन्तु अन्ततः राष्ट्रीय परियोजना क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय सेवा खंडों की व्यवस्था ही कायम की जायेगी। तथा स्थानीय निर्माण कार्यों तथा सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिये ३०,००० रुपये की व्यवस्था की जायेगी।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** किन किन राज्यों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों का कार्य पीछे रहा तथा इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मेरे विचार से राज्यों के बीच इस प्रकार की तुलना करना अवांछनीय होगा। मैं एक विशेष उदाहरण दे सकता हूं। अभी हाल तक आंध्र राज्य अपेक्षाकृत पीछे था किन्तु तब से उसने इतनी प्रगति की है कि वह अब सर्वोत्तम राज्यों के समकक्ष आ गया है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** धन्यवाद।

†**श्री ब० द० पांडे :** क्या मापदंड यह है कि अविकसित क्षेत्रों को नये खंडों के आरम्भ करने में पूर्ववर्तिता दी जायगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं। बिल्कुल नहीं। अवश्य उनको भी स्थान दिया जायेगा। किन्तु इस प्रकार का महान कार्य प्रारम्भ करते समय यदि हम अविकसित क्षेत्रों को छोड़ेंगे तो यह अच्छा श्रीगणेश नहीं होगा। यह योजना वहां सफल नहीं होगी क्योंकि लोग उचित तरीके से भाग नहीं लेंगे। उनका उत्साह प्राप्त करने के लिये आपको उपयुक्त वातावरण तैयार करना होगा इसलिये ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है जहां सर्वोत्तम सहयोग मिले। यद्यपि यह दुखद बात है तथापि इसी प्रकार कार्य करना होगा अन्यथा हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसलिये सामान्यतः दो तीन बातों का संतुलन करना होता है। निस्संदेह प्रदेशों का समान विकास महत्वपूर्ण बात है

---

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये विभिन्न राज्यों में हम अपेक्षाकृत समान संख्या में खंड खोलते हैं। यह राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। इन योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों का प्रमुख काय ह। किन्तु हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जो ये बातें स्वयं करना चाहते हैं। मान लीजिये, हमने ऐसे क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित की जहां की जनता निष्क्रिय तथा कुछ करने में असहमत हो और हम अपना सारा समय उन्हें समझाने में व्यय करेंगे तो प्रारम्भ में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे किन्तु यदि हम इसी योजना को अधिक उत्साही क्षेत्र में लागू करेंगे तो उस क्षेत्र की सफलता पहिले क्षेत्र को जो उतना उत्साही नहीं था, प्रेरित करेगी और हम उसे वहां भी प्रारम्भ कर सकतें ह ।

शेरपा लोग

†*१९०९. **श्री ब० द० पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन शेरपा समुदाय के व्यक्तियों के परिवारों को, जो इस देश के अथवा विदेशों के पर्वतारोहण अभियानों के साथ जाते हैं और हिमखंडों के गिरने के कारण मर जाते हैं, कुछ प्रतिकर दिया जाता है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : ऐसे मामलों में पर्वतारोहण अभियान का नियोजक प्रतिकर चुकाता है। कुछ क्षेत्रों में उनके द्वारा लिखित बचन ले लिया जाता है। भारत में अभी तक कोई ऐसा मामला उत्पन्न नहीं हुआ है।

†**श्री ब० द० पांडे** : यदि कोई शेरपा आंखों से अन्धा हो जाय या किसी अन्य प्रकार से नियोग्य हो जाय तो क्या होता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: बात यह है। इन अभियानों की एक शर्त यह है कि अभियान दल के सदस्य चोट लगने अथवा मृत्यु होने पर पूरा प्रतिकर चुकाने का दायित्व लेते हैं। यदि दुर्भाग्यवश शेरपा पाले की मार अथवा आंख के अंधेपन से ग्रस्त होता है तो उन्हें अभियान की नियोजक एजेन्सी द्वारा पूरा प्रतिकर दिया जाता है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : यदि अभियान दल पूरा प्रतिकर नहीं चुका सकते हैं तो क्या सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम कह चुके हैं कि ऐसा कोई अवसर नहीं आया है। कदाचित सभा को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, और कुछेक अंशों में अन्य सरकारों के सहयोग से भी एक पर्वतारोहण संस्था खोली गई है जिसका मुख्य कार्यालय दार्जिलिंग में है। इसका संचालन हो रहा है और श्री तेनसिंह उससे सम्बन्धित हैं। इसके साथ साथ वे सभी शेरपाओं को संगठित रूप में कार्य करने के लिये संगठित कर रहे हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या अभियानों को अनुमति देने के लिये यह शर्त रखने का विचार था कि शेरपाओं को मृत्यु, अन्धेपन अथवा अन्य आकस्मिक विपत्ति के लिये बीमा समवायों से बीमा करवा लेना चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभी तक कोई ऐसा मामला उत्पन्न नहीं हुआ। यह एक नियमित शर्त है। प्रतिकर देना कोई नैतिक दायित्व नहीं है। उन्हें प्रतिकर देना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चमड़ा रंगने की संस्थायें

†*१९१०. { डा० रामा राव : +
श्री मोहन राव :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चमड़ा रंगने की संस्थायें खोलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां; और

(ग) उन संस्थाओं का अनुमानित व्यय और क्षमता क्या है ?

†**उपभोग वस्तु मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) इस समय केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**डा० रामा राव :** इस बात को ध्यान में रख कर कि हमारे देश से खालों, चमड़ों तथा अन्य प्रकार के चमड़ों का बहुत निर्यात होता है, सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये चमड़ा रंगने की संस्था क्यो नहीं खोलती है ?

†**श्री कानूनगो :** मद्रास में एक चमड़ा गवेषणा संस्था है जो कि चमड़े के विभिन्न पहलुओं और चमड़ा रंगने पर भी गवेषणा करती है । किन्तु केन्द्रीय सरकार का इस समय ऐसी कोई संस्था खोलने का विचार नहीं है ।

†**डा० रामा राव :** केन्द्रीय सरकार के पास गृह-उद्योगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है । आंध्र तथा हैदराबाद के क्षेत्र जहां से बहुत खालें तथा चमड़ा बाहर भेजा जाता है और जहां विशेषतः इस उद्योग में बहुत बेकारी है वहां गृह-उद्योग विभाग इस कार्य को क्यों नहीं करता है । वे किस कारण इसे नहीं ले रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो :** विभिन्न राज्यों में रंगे हुए चमड़े के माल की बिक्री और उत्पादन को संगठित करने के लिये कई योजनायें हैं । केन्द्रीय सरकार ऐसी योजनाओं की सहायता करती है । ऐसी संस्थायें खोलने का प्रश्न आवश्यक नहीं है क्यों कि कई राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं । अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या केन्द्रीय सरकार गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये, श्रम विभाग द्वारा संचालित सारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को लेने का विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** यदि कोई गैर-सरकारी संस्था खुले तो क्या सरकार ऐसी संस्था को सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** इस प्रयोजन के लिये कई संस्थायें हैं । यदि कोई राज्य सरकार संस्था खोलना चाहे तो वे ऐसा कर सकतीं हैं । पूंजी व्यय का एक बड़ा अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

†**डा० रामा राव :** जब कि सामान का निर्माण गृह-उद्योग के द्वारा हो सकता है, अच्छे प्रकार का रंगा हुआ चमड़ा छोटे उत्पादकों को उपलब्ध नहीं होता है, क्या उन्हें अच्छे प्रकार का रंगा हुआ चमड़ा देना सरकार का दायित्व नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** अच्छे प्रकार का चमड़ा उपलब्ध है। वह भले ही किसी विशेष क्षेत्र में विशेष व्यक्ति को उपलब्ध न हो तो यह बिक्री और वितरण की समस्या है जो राज्य सरकारों द्वारा ली गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आएगी।

काजू के छिलके का तेल

†*१९११. **श्री मोहन राव :** क्या **भारी उद्योग** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य से काजू के छिलकों का तेल निकालने के उद्योग को प्रारम्भ करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मोहन राव :** कुल क्षमता क्या है तथा इस समय कितना उत्पादन किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** अनुमानित क्षमता ५,००० टन से अधिक है। १९५५ में उत्पादन ४,४५५ टन के लगभग हुआ है। मूल तथ्य यह है कि काजू की कुल मांग देश में पूरी नहीं होती है उसका अधिकांश बाहर से आयात किया जाता है।

†**श्री मोहन राव :** राज्य में इतनी अधिक बेकारी को देखते हुए इस उद्योग का विकास क्यों नहीं किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** बेकारी देश में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या आंध्र राज्य ने भी, जो काजुओं के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है इस प्रकार का उद्योग स्थापित करने के लिये प्रार्थना की है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं।

करघा उद्योग

†*१९१२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करघा उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकारों को जो राशि दी गई थी उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से करघा बुनकरों की आर्थिक अवस्था में कोई सुधार हुआ है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). ३१-३-१९५६ तक राज्य सरकारों को दी गई राशि के ८८ प्रतिशत का उपयोग करघा उद्योग के विकास के लिये कर लिया गया था। कुछ योजनायें वित्तीय वर्ष के अन्तिम भाग में बनी और वर्ष समाप्ति के पूर्व उनकी राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं हो सका।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री झूलन सिंह :** उक्त राशियां राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के आधार पर दी गई अथवा तदर्थ अथवा किसी अन्य आधार पर दी गई ?

†**श्री कानूनगो :** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के आधार पर यह राशि दी गई थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग 'ग' का उत्तर हां में दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई निर्धारण अथवा सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां, तो करघा बुनकरों की अवस्था में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

†**श्री कानूनगो :** अभी तक कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों पर मद्रास विश्वविद्यालय और कर्नाटक विश्वविद्यालय के बीच चर्चा चल रही है। करघों के कुल उत्पादन में वृद्धि तथा कुल निकासी से अनुमान लगाया गया है।

†**श्रीमती सुषमा सेन :** क्या सरकार को ज्ञात है कि करघे का बना हुआ बहुत सा कपड़ा अभी तक न बिक सकने के कारण पड़ा हुआ है ? इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि मैं कह चुका हूं बिना बिका हुआ माल पहिले से बहुत कम है ।

†**श्री बालकृष्णन् :** मद्रास में कितनी निकासी हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** इस समय मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्रीमती सुषमा सेन :** सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाहियां कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** सभा में कई कार्यवाहियों का उल्लेख यदा कदा किया गया है । यदि माननीय सदस्या पृथक प्रश्न पूछेंगी तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परियोजनाओं में निरक्षरता

†***१६१४. श्री मादिया गौडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किसी विशेष आयु ग्रुप (मान लो, १४ से ४५ वर्ष) के अन्तर्गत आने वाले सभी नर तथा नारियों की निरक्षरता पूर्णरूपेण दूर कर देने के लिये कोई योजना विद्यमान है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, नहीं :

(ख) प्रौढ़ साक्षरता के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाहियां ये हैं :—

(१) समान शिक्षा के एक भाग के रूप में प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्रों का प्रारम्भ करना ।

(२) निम्नलिखित रूपों में अनुवर्ती साहित्य की व्यवस्था की गई है ;

(क) सरल कथा पुस्तकें ।

(ख) पुस्तिकायें ।

(ग) ग्राम्य पुनर्निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली बड़े अक्षरों में छपी हुई पत्रिकायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कई क्षेत्रों में विद्यार्थियों को इस काम के लिये संघठित किया जा रहा है कि वे छट्टियों के दिनों में प्रौढ़ लोगों को शिक्षित बनायें।

(४) 'प्रत्येक व्यक्ति एक-एक व्यक्ति को पढ़ायें' यह आन्दोलन चलाया गया है।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या इस समय जो योजनायें चलाई जा रही हैं, उनसे इन सामुदायिक विकास खण्डों के कितने प्रतिशत नर तथा नारियों को शिक्षित कर सकेंगे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी, नहीं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था उसके बारे में हमारे पास सविस्तार जानकारी नहीं आती है।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या वे इतना समझते हैं कि वे इस समय जो योजनायें चला रहे हैं, उनसे इन सामुदायिक विकास खंडों में पर्याप्त संख्या में 'लोगों' को शिक्षित किया जा सकेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह काम समाज शिक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में समांज शिक्षा के लिये ७०,००० रुपया है और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के लिये केवल २०,००० रुपया है। अतः जहां तक समाज शिक्षा के इस पहलू का सम्बन्ध है, हम अधिक आशा नहीं कर सकते।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में एडल्ट एजुकेशन प्राजेक्टस में जो ग्राम सेविकायें काम कर रही हैं, उनके वास्ते इलाहाबाद से एक सर्कुलर निकाला गया है कि वह बंद कर दिये जायें और मैं जानना चाहती हूं कि क्यों ऐसा सर्कुलर निकाला गया है, और क्या उसके बारे में जांच की जायेगी ?

श्री श्या० नं० मिश्र : जी, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

†**श्री तिम्मय्या** : देश में अनिवार्य शिक्षा लागू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ? क्या सरकार कम से कम सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी, नहीं। वह कार्य हमारी योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्यों ?

†**श्री कामत** : क्या मंत्री जी के उत्तर से हम यह समझें कि उन राज्यों में भी, जहां ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परियोजना कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं, निरक्षरता का प्रतिशतक कम नहीं हुआ है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस सम्बन्ध में आंकड़े बताना मेरे लिये इस समय कठिन होगा। परन्तु जब हम प्रगति पर विचार करते हैं तो यह उसका एक आवश्यक भाग बन जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन सागर परियोजना

†*१६१६. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर तथा करोली नहरें भी नागार्जुन सागर परियोजना में सम्मिलित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). नागार्जुन सागर परियोजना की प्रथम प्रावस्था, जो कि केवल वही प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित थी, में यह विचार है कि दायें किनारे की नहर के १३५ मील पूरे हो जाते हैं। कानपुर तथा कावेली नहरें पेन्नार के संगम रानीकट से ली गयी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रथम क्रम में दायें किनारे की नहर को पेन्नार में मिलाने का विचार नहीं किया गया है, इसलिये नागार्जुन सागर परियोजना की प्रथम प्रावस्था से कानपुर तथा कावेली नहरों को पानी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या कानपुर तथा कावेली नहरों के अग्रिम प्राक्कलन आ गये हैं ?

†**श्री हाथी :** जी, हां।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या नागार्जुन सागर परियोजना नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में यह सिफारिश की थी कि इन दो नहरों का निर्माण परियोजना की प्रथम क्रम में ही प्रारम्भ कर दिया जाए, और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**श्री हाथी :** उन्होंने वह सुझाव दिया है। परन्तु इन दोनों नहरों को दायें किनारे की नहर पूरी हो जाने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा। उससे पूर्व इसे परियोजना का भाग बनाना संभव नहीं है। परन्तु फिर भी इन नहरों के लिये पेन्नार का मौनसून का जल लिया जा सकता है। बोर्ड ने इसे मुख्य परियोजना के भाग के रूप में लेने की सिफारिश नहीं की है। यह सिफारिश अलग रूप से पैन्नार से जल लेकर उसका उपयोग करने के सम्बन्ध में है और न कि नागार्जुन सागर परियोजना के दाहिने किनारे की नहर से जल लेने के सम्बन्ध में है। अतः यह कार्य प्रस्तुत परियोजना का एक भाग नहीं होगा। यह एक अलग कार्य होगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** इन दो नहरों अर्थात् कानपुर तथा कावेली की परियोजना की प्रथम प्रावस्था में ही सम्मिलित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†**श्री हाथी :** जैसा मैंने बताया है, परियोजना की प्रथम प्रावस्था में २३५ मील नहर बनानी है, और ये दोनों नहरें अन्त में आती हैं, इसीलिये हमने इन्हें परियोजना की प्रथम प्रावस्था में सम्मिलित नहीं किया है। दाहिने किनारे की नहर के पूरा हो जाने के बाद ही तो पानी उस स्थान तक पहुंच सकेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या इन नहरों का कार्य, स्वतन्त्र योजना के रूप में ही सही शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जायेगा, क्योंकि ये दोनों पिछड़े हुए तथा सूखे क्षेत्रों से गुजरती हैं; और क्या इनके लिये राशि नागार्जुन सागर परियोजना की राशि में से ली जायेगी ?

†**श्री हाथी :** एक स्वतन्त्र रूप से योजना के बारे में अभी विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव** : यदि इन दो नहरों को एक स्वतन्त्र योजना के रूप में लिया गया तो क्या उनका रूप तथा सामर्थ्य इतना होगा कि वे मुख्य परियोजना के पूरा हो जाने पर कुछ लाभकारी सिद्ध होंगी ?

†**श्री 'हाथी** : वास्तव में, इसी बात पर तो विचार करना है। इस समय इससे केवल ३९,००० एकड़ भूमि ही सींची जा सकेगी। यदि यह मुख्य परियोजना का एक भाग बन जाये तो उससे १ लाख ८८ हजार एकड़ भूमि सींची जा सकेगी, और इसीलिये इन नहरों को उसी आधार से खोदना होगा। इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

अतिरिक्त प्रविधिक कर्मचारी

†*१९१८. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्ण हो चुकी राज्य परियोजनाओं से छंटनी किये गये अतिरिक्त प्रविधिक कर्मचारियों को केन्द्रीय नियंत्रण के अधीन चल रही नदी घाटी परियोजनाओं में लगा लेने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को यह कह दिया गया है कि वे निकाले हुए अतिरिक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी भेजे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उन कर्मचारियों को, जो कि पहली परियोजनाओं द्वारा अतिरिक्त घोषित कर दिये गये हैं, ऐसी परियोजनाओं में काम देने के लिये एक योजना बनायी गयी है जहां उनकी आवश्यकता है। ऐसी जो नदी घाटी परियोजनायें हैं; वे हैं— भाखड़ा नांगल, चम्बल, रिहंड, दामोदर घाटी, कोसी, हीराकुड, कोयना, नागार्जुन सागर तथा तुंगभद्र।

(ख) नहीं, अभी नहीं। सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

†**श्री संगण्णा** : प्रत्येक राज्य में अतिरिक्त प्रविधिक कमचारियों की संख्या कितनी है, और उन कर्मचारियों को काम पर लगाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : अतिरिक्त कर्मचारियों के बारे में अभी तक हमें प्रत्येक राज्य से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हमारा सम्बन्ध इस समय तीन मुख्य परियोजनाओं से है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार के पास उन अतिरिक्त कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी है जिन्हें पुनः काम में लगाया जा चुका है ?

†**श्री हाथी** : मेरे पास इस समय केवल दामोदर घाटी परियोजना के सम्बन्ध में ही जानकारी है। मेरे विचार से अन्य परियोजनाओं के बारे में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी संख्या क्या है ?

†**श्री हाथी** : १५३७ व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं। उनमें से लगभग ६३७ व्यक्तियों को काम पर लगाया जा चुका है और २७० व्यक्तियों को शीघ्र ही काम पर लगा दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **वेलायुधन** : जब कि देश में पहले ही प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है, इसका कारण है कि अतिरिक्त कर्मचारी अभी तक काम नहीं प्राप्त कर सके हैं ?

†**श्री हाथी** : हमें यह नहीं समझना चाहिये कि वे सभी के सभी प्रविधिक व्यक्ति हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे छंटनी में आये हुए उन प्रविधिक व्यक्तियों का उपयोग किया जा सके जिन्हें गत दो मास से कोई काम नहीं मिला है ?

†**श्री हाथी** : इस समय हम उन सभी परियोजनाओं में काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं जिससे एक परियोजना के अतिरिक्त कर्मचारियों को दूसरी परियोजनाओं में लगाया जा सके।

†**श्री थानु पिल्ले** : अतिरिक्त कर्मचारियों की कौन कौन सी कोटियां हैं ?

†**श्री हाथी** : मुझे अभी सभी सम्बन्धित राज्यों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री थानु पिल्ले** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे किस किस कोटि के हैं, अर्थात् क्या वे इंजीनियर आदि हैं या नहीं ?

†**श्री हाथी** : उनमें से अधिकतर शारीरिक श्रम करने वाले हैं। कई वेल्डर हैं, कई शिल्पिक है, फिटर हैं और कई खलासी आदि हैं।

नहर के उच्च-तल जल सम्बन्धी समझौता

†*१९१९. { **श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** + :
श्री लक्ष्मय्या :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है १८ जून, १९५६ के लगभग बंगलौर में आन्ध्र तथा मैसूर सरकारों के बीच नहर के उच्च-तल जल के प्रयोग के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) उस समझौते की क्या शर्तें हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र और मैसूर की सरकारों ने नहर के उच्च-तल जल को ६५ और ३५ के अनुपात में बांटने का निश्चय किया है।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : क्या समझौते में उस कार्य का भी कोई जिक्र हुआ है जो इस नहर पर बेलारी जिले में किया जाना था?

†**श्री हाथी** : जी नहीं। अभी उसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को उसी अनुपात में, जिसमें कि वे जल का बंटवारा करेंगी, एक प्राक्कलन तैयार करने के लिये कहा गया है।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस नहर के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया गया है ?

†**श्री हाथी** : मेरा विचार है आन्ध्र के लिये ५ करोड़ रुपया तथा मैसूर के लिये १ करोड़ रुपया।

---

†मूल अंग्रेंजी में

†**श्री बासप्पा :** क्या उच्च-सतह-नहर के क्षेत्रों के विकास के पहले निचली-सतह-नहर के क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखा जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री हाथी :** राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों के विकास के लिये कहा जा रहा है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या इसमें बांध के पश्चात जलागम क्षेत्र से आने वाले जल भी सम्मिलित है ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में, जल के उपयोग का प्रश्न बांध के बाद के क्षेत्रों में आकर ही उत्पन्न होता है। ऊंचे धरातल पर उसके प्रयोग का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। उच्च-सतह-नहर का जल ५ करोड़ घनफुट है और बांध से पहले के कुल जल की मात्रा ३३ करोड़ ६० लाख घनफुट है तथा बांध के पश्चात २५ करोड़ ६० लाख घनफुट। इस २५ करोड़ ६० लाख घनफुट में से ही ५ करोड़ घनफुट जल का ६५ और ३५ के अनुपात में बंटवारा किया जायेगा।

†**श्री राघवाचारी :** उच्च-सतह-नहर के जल का जितना भाग आन्ध्र के लिये निश्चित किया गया है अगर निचली-सतह-नहर से कुछ जल बचाया जा सके तो क्या उसके बढ़ाये जा सकने की कोई सम्भावना हो सकती है ?

†**श्री हाथी :** सारे जल का बांध के स्थान से ही प्रयोग किया जा सकता है। आन्ध्र को निचली-सतह-नहर द्वारा जितना जल दिया गया है कदाचित् उस सारे जल का प्रयोग हो जायेगा। मेरे विचार में शायद ही उससे कुछ जल बचाया जा सके। हमारे पास कुल २५ करोड़ ६० लाख घनफुट जल है और उसी में से यह सब बंटवारा किया गया है।

†**श्री राघवाचारी :** यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजूला बांध के कारण निचली-सतह-नहर से जल बचेगा। अतः उस अवस्था में क्या उच्च-सतह-नहर से आन्ध्र को ज्यादा जल नहीं दिया जा सकता है ?

†**श्री हाथी :** जब यह स्थिति आ जायेगी तो राज्य सरकारों से फिर विचार कर लिया जायेगा।

†**डा० रामा राव :** प्रत्येक नहर के लिये पृथक् पृथक् समझौते क्यों किये जा रहे हैं जब कि आप मुख्य परियोजना में से ही जल का बंटवारा कर सकते हैं ? क्या मैसूर सरकार ३५ प्रतिशत जल के प्रयोग की योजना स्वीकृत कर चुकी है ?

†**श्री हाथी :** मैसूर सरकार के पास अवश्य ही कोई योजना होनी चाहिये। दूसरे, माननीय सदस्य को पता ही होगा कि सम्पूर्ण परियोजना के समय कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका था। इस लिये हमें अब बाद में ये समझौते करने पड़े हैं।

मनीपुर में बाढ़

†***१९२१. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ के भाग (घ) में उल्लिखित बाढ़ के प्रभावों को कम करने तथा विद्युत् बनाने की योजना की जांच को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग पूरा कर चुका है; और

(ख) यदि हां, तो (१) जांच की रिपोर्ट क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उस योजना के लिये कब कार्य प्रारम्भ होगा; और

(३) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) (१), (२), (३) } प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस जांच में पहले कितना समय लग चुका है और अभी कितना और समय लगेगा ? यह योजना कब पूर्ण होगी और इसके लिये कब कार्य शुरु होगा ?

†**श्री हाथी** : १६५७ तक इसकी जांच पूरी हो जायगी और तभी इस पर कार्य शुरु किया जा सकता है। योजना की जांच पूरी होने के पश्चात ही मैं यह बता सकता हूं कि इसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : पिछले तीन या चार वर्षों में टेकनिकल लोगों की तथा इस्पात और सीमेंट की कमी के कारण कई योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है । क्या सरकार ने इस योजना के लिये इन सभी वस्तुओं को जुटाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही कर ली है ताकि यह योजना ठीक समय पर आरम्भ तथा समाप्त की जा सके ?

†**श्री हाथी** : इस प्रश्न का विषय केवल जांच से है। यहां पर सीमेंट अथवा इस्पात प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय सदस्य को यह आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इन वस्तुओं की कमी के कारण इस योजना की कार्यान्विति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रश्न तो बाद में उठेगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस योजना से कितनी विद्युत् शक्ति उत्पादन की आशा है ?

†**श्री हाथी** : जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही मैं इस संबन्ध में कुछ कह सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री बारुपाल, अनुपस्थित । मुल्ला अब्दुल्ला भाई ।

†**श्रीमती अ० काले** : मेरे पास उनका प्राधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बाद में ।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†***१६२४. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम में लगे हुए कितने व्यक्तियों को वहां से छंटनी के बाद अन्य परियोजनाओं में लगाया जा चुका है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां के कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में लगाने के लिये उनके लिये कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण कोर्स चालू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण में क्या क्या विषय है तथा कितने व्यक्ति यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) ३१ अगस्त, १९५६ तक ६७३ व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरियों की पेशकश की गई थी। उनमें से केवल ६४३ व्यक्तियों ने इसको स्वीकार किया है ।

(ख) जी नहीं, किन्तु हो सकता है कि वे जिन नई नौकरियों के लिये चुने गये हों उनके सम्बन्ध में उन्हें कुछ प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया हो।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कुछ कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लेना क्यों नहीं स्वीकार किया है ?

†**श्री हाथी** : ३० व्यक्तियों ने नई नौकरियों को नहीं स्वीकार किया है। सम्भव है उन्हें कहीं अन्यत्र नौकरियां मिल गई होंगी।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या बंगाल और बिहार की सरकारों ने इनमें से कुछ लोगों को नौकरियां देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी नौकरियां देने के लिये कहा है ?

†**श्री हाथी** : जी हां। बंगाल तथा बिहार दोनों सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपना सहयोग पेश किया है। दोनों सरकारें कई लोगों को अपने विभिन्न विभागों में लेने का प्रयत्न कर रही हैं।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उनकी कितनी संख्या है ?

†**श्री हाथी** : प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को रखा गया है यह बताने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उनको जो वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं, क्या उनमें वही वेतन तथा सुविधाएं एवं विशेषाधिकार आदि हैं, जो की उनको पहली नौकरियों में प्राप्त थे ?

†**श्री हाथी** : आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि हाल ही में दामोदर घाटी निगम के कुछ कर्मचारियों ने एक भूख हड़ताल की थी। यदि उनको नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया होता तो वे क्यों भूख हड़ताल करते ?

†**श्री हाथी** : हमें केवल इस बात का ज्ञान ही नहीं है बल्कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री तथा मैं स्वयं इस सभा के एक सदस्य को साथ लेकर इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत करने गए थे। हमने उनको हर चंद समझाया कि हमने इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है तथा उनको पूरा आश्वासन दिलाया कि हम कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नौकरियां ढूंढ़ने का भरसक प्रयत्न करेंगे। १५०० व्यक्तियों में से लगभग ६०० व्यक्तियों को रोजगार दिलाया भी जा चुका है। ४०० व्यक्ति नौकरियों पर पहुंच चुके हैं और २७९ व्यक्तियों का संवरण हो चुका है। हमने उनको सभी प्रकार की सूचना दी है तथा उनके लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया था तथा काम दिलाऊ दफ्तर की कई शाखाएं खोल दी गई थीं। इस पर उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है कि इन अस्थायी परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मकरों को सरकारी नौकरी में कैसे स्थायित्व प्राप्त हो सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : जैसा कि आज ही मैं पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह कह चका हूं कि हमनें सभी ६ नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों में काम दिलाऊ दफ्तर खोल दिये हैं। इससे हमको पता चलता रहेगा कि किसी योजना में कितने आदमी बेकार हो रहे हैं और अन्य किसी दूसरी योजना में कितने आदमियों की आवश्यकता है। इस प्रकार हम एक स्थान से बेकार होनेवाले व्यक्तियों को दूसरे स्थान पर लगाते रहेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब कि बंगाल और बिहार की सरकारें दामोदर घाटी निगम के १५०० व्यक्तियों को नौकरी देने का वचन दे चुकी हैं और इंजीनियरी कर्मचारी समिति भी एक संग्रह (पूल) बनाने का सुझाव दे चुकी है तो सरकार ने दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों द्वारा उनकी आखिरी पेशकश को, कि वे जब तक उन्हें वैकल्पिक नौकरी नहीं मिलती है, ६० प्रतिशत वेतन लेने को तैयार हैं, क्यों नहीं माना है? सरकार को इसमें क्या अड़चन दिखाई दी है अथवा क्या सरकार अभी इस पर विचार कर रही है?

†**श्री हाथी** : संग्रह (पूल) बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है और यह इंजीनियरों का पूल होगा। किन्तु सभी बेकार होने वाले कर्मचारी इस प्रकार के टेकनीकल कर्मचारी नहीं होते हैं। उनमें से अधिकांश गैर-टेकनीकल ही होते हैं। सरकार ने उनकी ६० प्रतिशत वेतन लने वाली शर्त को नहीं माना है। सरकार उनके लिये यथासम्भव शीघ्र नौकरी दिलाने का प्रयत्न मात्र कर सकती है। ये निगम के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं।

पोठुंडी योजना

†***१६२५. श्री इ० ईयाचरण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन के चित्तूर तालुक में 'पोठूंडी' योजना की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने क्षेत्र को लाभ होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) ६,१२८ एकड़।

†**श्री इ० ईयाचरण** : इस योजना की प्राक्कलित लागत क्या है और क्या राज्य सरकार इसको द्वितीय योजनाकाल ही में प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी** : राज्य सरकार ने इस योजना को अन्ततोगत्वा छोड़ दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री वेलायुधन** : श्रीमान्, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

दूध संभरण और ग्राम योजनाएं

†***१६२६. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में (१) दूध संभरण, और (२) ग्राम योजनाओं के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (१)** १७·७ लाख रुपये।

(२) समस्त राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण सामाजिक सेवाओं के विकास के कार्यक्रमों को ग्राम योजनाओं के रूप में शुरू किया जाता है। इसलिये ग्राम 'योजनाएं' शीर्षक के अन्तर्गत कोई पृथक् आवंटन नहीं किये जाते।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** आसाम में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** क्या सरकार इतने दूध को पर्याप्त समझती है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** स्पष्ट है कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह मात्रा पर्याप्त नहीं होगी किन्तु आसाम योजना को एक अच्छी यथार्थ योजना बनाने के लिये हमें बहुत से अन्य पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ा था।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** ग्राम योजनाओं की कुल लागत क्या है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** ग्राम योजनाओं को राज्य की योजनाओं में मिला दिया गया था। इसलिये जिस प्रकार का ब्योरा माननीय सदस्य चाहते हैं, वह देना मेरे लिये कठिन है। किन्तु मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कि बहुत से कार्यक्रम शीर्षकों को ग्राम योजनाओं में सम्मिलित किया गया है, जैसा कि कृषि उत्पादन कार्यक्रम, ग्रामीण सेवा, इत्यादि। इन सब को इकट्ठा करके माननीय सदस्य ग्राम योजनाओं को समझ सकते हैं।

दिल्ली में अशोक होटल

†***१९२७. श्री का० प्र० त्रिपाठी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अशोक होटल के लिये रेफ्रीजरेटरों के लिये आर्डर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनों के लिये और कितनी लागत पर ;

(ग) वे आर्डर किस फर्म को दिये गये हैं ;

(घ) क्या कोई टेंडर मांगे गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो फर्में कौन थी, और अधिकतम तथा [illegible] क्या थीं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शॅ० नास्कर) :** (क) जी हां।

(ख) ३३७ रेफ्रीजेरेटर, जिनका मूल्य लगभग ३ लाख रुपये है।

(ग) मैसर्ज फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेड।

(घ) रेफ्रीजरेटरों के पुराने संभरण कर्ताओं से भाव बताने के लिये कहा गया था।

(ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १४]**

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी :** इन में से कौन सी कम्पनियां भारत में रेफ्रीजरेटर बनाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मेरे विचार में उनमें से कोई भी वास्तव में निर्माण नहीं करती। वे केवल पुर्जे जोड़ने का काम करती हैं।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी :** यहां कौन सी कम्पनियां जोड़ने का काम कर रही हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी :** क्या विदेशी फर्म को आर्डर देने से पहले यह जानने की कोशिश की गई थी कि भारत में पुर्जे जोड़ने वाली कौन सी फर्में कम दाम पर रेफ्रीजरेटर दे सकेंगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** भाव मांगे गये थे और केवल एक फर्म, मैसर्ज कूलेयर लिमिटेड के मामले पर विचार किया गया था। सदन के कुछ सदस्यों ने भी इस फर्म, का नाम लिया था, किन्तु मुख्य कठिनाई यह थी कि वह ४ घनफुट क्षमता वाले रेफ्रीजरेटर तैयार कर रही थी, जो कि इस होटल के लिये उपयुक्त नहीं थे।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि इस होटल के लिये चाइना और कटलरी हिन्दुस्तान की क्यों नहीं मंगाई गई और बाहर से मंगा कर इतना खर्च क्यों किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस होटल में बाहर के लोग भी रहेंगे। अच्छी कटलरी और क्राकरी अगर बाहर से मिल सकती है, तो मैं उसके मंगाने में कोई हर्जा नहीं समझता।

†**डा० रामा राव :** विवरण में बताया गया है कि जब सरकार ने मैसर्ज फिलिप्स को आर्डर दे दिया था, तो मैसर्ज कूलेयर लिमिटेड ने अपने भाव घटा दिये थे। मैसर्ज कूलेयर लिमिटेड के भाव इस प्रकार थे :

४ घन फुट—१२२० रुपये जो घटा कर ८२५ रुपये कर दिये गये थे।

७ घन फुट—१६८० जो घटा कर १५५० रुपये कर दिये गये थे।

यह एक बहुत खतरनाक बात है। सरकार ऐसी फर्म के भावों के संबंध में जो इन्हें २० से २५ प्रतिशत तक घटा देती है, क्या कार्यवाही करती है, क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि भाव बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताये जाते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य कोई भी राय कायम कर सकते हैं। तथापि उन्हें याद रखना चाहिये कि इस फर्म को जिसने अपने भावों में इतनी आश्चर्यजनक कमी कर दी थी, कोई आर्डर नहीं दिये गये। मैं और क्या कर सकता हूं। भाव बताना फर्म का काम ह। खरीदार को चाहिये कि वह अपने हितों का ख्याल रखे और धोखे से बचे।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी :** एक प्रश्न और है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं बहुत से प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

† *१९३०. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री क० कु० बसु :** }

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोयले के मूल्य बढ़ाने के लिये खान मालिकों की मांग स्वीकार करने से पहले, सरकार ने कोई अलग जांच की थी ; और

(ख) गत पांच वर्षों में निजी खानों को कुल कितना लाभ हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

(ख) यह जानकारी इस समय हमारे पास नहीं है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या यह सच नहीं है कि जब औद्योगिक अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस उद्योग की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए मजूरी में थोड़ी सी वृद्धि करने की सिफारिश की थी तो इसने कोयले के मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह अनुमान लगाया था कि मजूरी में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है और उस ने स्वयं यह सिफारिश की थी कि को [illegible] खानों को मूल्य ३ रुपया प्रति टन बढ़ाने दिया जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या सरकार ने वह विशेष लेख पढ़ा है, जो कुछ सप्ताह पहले इधन गवेषणा संस्था के संचालक ने **ईस्टर्न इकोनोमिस्ट** में लिखा था और जिसमें मजूरी में वृद्धि करने का समर्थन किया गया है; और यदि हां, तो सरकार की इस विषय में, जिसमें एक उच्च सरकारी अधिकारी ने एक विवादास्पद बात का समर्थन किया है, क्या राय है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैंने वह लेख नहीं पढ़ा है।

शक्ति-चालित करघे

†*१९३१. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघों की शक्ति चालित करघों में परिवर्तित करने के लिये लाइसेंस देने से पहले हथकरघा बोर्ड से परामर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की राय क्या थी और उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां ।

(ख) हथकरघा बोर्ड ने अपनी अगस्त, १९५५ की बैठक में एक संकल्प पारित किया था, जिसमें इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। इस प्रश्न पर निर्णय करते समय अन्य पहलुओं के अतिरिक्त सरकार ने बोर्ड की राय पर भी विचार किया था। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि, बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया था।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या हथकरघा बोर्ड का निर्णय राज्य सरकारों को भेजा गया था और क्या उन की राय मालूम की गई थी ?

†**श्री कानूनगो :** नहीं, यह आवश्यक नहीं था।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** कितने हथकरघों को शक्ति-चालित करघों में परिवर्तित किया गया है, और कितने अभी किये जाने हैं, और इससे कपड़े में कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** इस कार्यक्रम को अभी एक महीना हुए शुरू किया गया था। जहां तक मुझे याद है, इससे पहले मद्रास राज्य में, दो संस्थाओं ने शक्ति-चालित करघों की मांग की थी। नई योजना के अन्तर्गत, अभी प्रस्ताव प्राप्त होने शुरू नहीं हुए।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हथकरघों के विकास से लोगों को काम मिल सकता है, हथकरघों को शक्ति-चालित करघों में परिवर्तित करने से नियोजन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? हम इसका निश्चित उत्तर चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : कुल उत्पादन बढ़ाने से लोगों को काम भी अधिक मिलेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि दक्षिण म सलम और अन्य जिलों में बारबार संकल्प पारित किए गए हैं जिनमें शक्ति-चालित करघों का विरोध किया गया है; और यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताये हैं, और क्या उन पर विचार किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : कुछ सहकारी संस्थाओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है किन्तु बहुत सी संस्थाओं ने शक्ति-चालित करघों की मांग भी की है ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के अभ्यर्पण की संधि

†*१६३२. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के अभ्यर्पण संबंधी संधि का, जो मई २८, १६५६ को की गई थी, यथाविधि अनुसमर्थन कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) नहीं।

(ख) चूंकि फ्रांसीसी सरकार को संभवत: अन्य अत्यावश्यक काम है ; इसलिये वह अभी तक अभ्यर्पण संधि को अनुसमर्थन नहीं कर सकी।

†**श्री कामत** : क्या इस मामले पर सरकार या प्रधान मंत्री की फ्रांसीसी सरकार या फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ, जिन्हें प्रधान मंत्री हाल ही में मिले थे, बातचीत हुई है; और यदि हां, तो इस मामले को शीघ्र निबटाने के बारे में फ्रांसीसी सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्वाभाविकतया फ्रांसीसी सरकार इस संबंध में वचनबद्ध है किन्तु उसने कोई तिथि निश्चित नहीं की जहां तक मुझे याद है, उसका कहना था कि वह अक्तूबर तक इसका अनुसमर्थन कर देगी, किन्तु मुझे मालूम नहीं कि तिथि के बारे में अब क्या स्थिति है।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री ने अभी बताया है कि यह अक्तूबर तक किया जायेगा। क्या सरकार ने इन फ्रांसीसी बस्तियों के निकटवर्ती राज्य या राज्यों में विलय के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है, ताकि अगले सामान्य निर्वाचनों के बाद संसद में उन के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहली बात यह है कि मैंने कहा है कि कुछ समय पूर्व मुझे अनौपचारिक रूप से अक्तूबर की तिथि बताई गई थी। मैंने यह नहीं कहा कि यह हाल में कहा गया है, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, फ्रांसीसी सरकार को इस समय बहुत से अत्यावश्यक काम हैं। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हम ने पांडीचेरी के लोगों को एक निश्चित आश्वासन दिया है कि उन से परामर्श किये बिना उन के वर्तमान दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसलिये इस समय हमारा किसी प्रकार के विलय पर विचार करने का इरादा नहीं है। पांडीचेरी और अन्य क्षेत्रों का अलग दर्जा बना रहेगा। उनके भविष्य का निर्णय उनसे परामर्श करने के बाद उनकी इच्छाओं के अनुसार किया जायेगा।

†**श्री कामत** : क्या सदन यह समझ ले कि अभी भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता कि उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है या नहीं। किन्तु इस पर विचार किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय ने, जिसका इस मामले से संबंध है, इस पर विचार किया है या नहीं। किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि जब तक वे विधि की दृष्टि से भारत का भाग न बन जायें, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। यथार्थ में वे भारत का भाग ह, किन्तु विधि अनुसार भाग नहीं हैं। जब तक वे विधि अनुसार भारत का भाग न बने, हम उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिये कार्यवाही नहीं कर सकते।

†**श्री साधन गुप्त :** चूंकि संधि का अनुसमर्थन एक औपचारिक मामला है, क्या सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार किया है, ताकि उन्हें, नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत नागरिक न होते हुए भी मताधिकार और प्रतिनिधित्व दिया जा सके, या सरकार ने उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिये नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे सब लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जायेंगे। किन्तु मैंने अभी कहा है कि जब वे विधि-अनुसार भारत का अंग नहीं हैं, तो हम इन अधिनियमों में संशोधन कर के कार्यवाही नहीं कर सकते। पहले उन्हें औपचारिक रूप से भारत का अंग बनाया जाना है।

श्री लंका से प्रत्यावर्तित भारतीय

† *१९३३. **श्री मात्तन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि श्री लंका से वापस आने वाले निष्क्रमणार्थियों ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य में रोजगार का प्रश्न बड़ा गम्भीर बना दिया है ; और

(ख) क्या संघ सरकार उन लोगों के बारे में विचार करेगी जिनको सद्भाव निष्क्रमणार्थियों के रूप में श्री लंका छोड़ने के लिये विवश किया गया है और क्या उन्हें पुनः बसाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) श्री लंका से प्रत्यावर्तित लोगों के कारण त्रावणकोर-कोचीन सरकार को जिस रोजगार संबंधी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ा उसकी कोई सूचना उसने भारत सरकार को नहीं दी है। उसने हाल ही में सूचित किया है कि प्रत्यावर्तित लोगों में से अधिकांश लोगों की, जिन्होंने काम के लिये निवेदन किया है, सरकारी सेवा के लिये आयु अधिक हो गई है, इस कारण उन्हें सम्मति दी गई है कि वे काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा अर्द्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी सार्थों में काम ढूंढ़े।

(ख) श्री लंका से लौटने वाले भारतीय सामान्यतः अपने घरों या, संबंधियों के यहां चले जाते हैं। उन्हें सीमा शुल्क दिये बिना अपनी वैयक्तिक चीजें लाने की अनुमति प्राप्त है। भारत सरकार ने उन्हें अभी तक निष्क्रमणार्थी घोषित करना आवश्यक नहीं समझा है और न उनके पुनर्वास के लिये कोई योजना ही बनाई है।

†**श्री मात्तन :** त्रावणकोर-कोचीन के तटीय क्षेत्र न केवल राज्य अथवा भारत में ही अपितु संसार में भी सबसे अधिक घने बसे हुए हैं। वहां दरिद्रता और बेकारी का राज फैला हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मातन :** तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री राज्य सरकार से यह कहेंगे कि वह त्रावणकोर-कोचीन में निष्क्रमणार्थियों के पुनर्वास के लिये एक अलग विभाग बनाये तथा उसे केन्द्र से यथासम्भव अधिक से अधिक सहायता दी जायेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्य का यह कहना बिलकुल ठीक है कि त्रावणकोर-कोचीन के तटीय क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत अधिक है। वहां की जनसंख्या और बेकारी दोनों ही सीमा को पार कर रही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। किन्तु यह प्रश्न उससे भी बढ़कर है कि हमें सभी की सहायता करनी चाहिये। यहां हम केवल उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो लंका से वापस आ रहे हैं।

ये सारे भारत के राष्ट्रजन हैं जो वहां व्यापार करने के लिये गये थे और जो सामान्यतः आते-जाते रहते हैं। मैं सभा को स्मरण कराना चाहूंगा कि ये लोग उन लोगों से भिन्न नहीं हैं जिनके बारे में लंका सरकार से इस संबंध में काफी बहस हुई थी कि ये लोग लंका के नागरिक होने चाहिये अथवा भारत के या इनका कोई राज्य ही नहीं होना चाहिये। निश्चय ही ये भारत के राष्ट्रजन हैं जो वहां व्यापार करने के लिये गये थे और कुछ समय वहां रह कर आते-जाते रहते हैं।

अब असली समस्या तो यह उत्पन्न हो गई है कि सामान्य रूप से आना-जाना बढ़ गया है और लंका सरकार की कार्यवाही के कारण बहुत से लोग भारत वापस आ रहे हैं। लंका की सरकार उनके और ठहरने के लिये नये अनुमति-पत्र नहीं जारी कर रही है। यह एक समस्या बन गई है। इससे न केवल त्रावणकोर-कोचीन पर ही अपितु मद्रास में तिरुनेलवेली जिले तथा वहां के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है।

विशेष विभाग खोलना मैं आवश्यक नहीं समझता और न उन्हें निष्क्रमणार्थी विभाग ही कहना चाहता हूं।

वे अपनी आय तथा अन्य वस्तुओं सहित अपने परिवार के पास, जिससे उनका लगाव है, वापस लौट आते हैं। वे अभी यहां भी नहीं बसे हैं और न लंका में ही किन्तु इस बात की आवश्यकता है कि जहां कहीं हो सके हम उनकी सहायता करें। मुझे विश्वास है कि स्थानीय सरकार तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें बसने में सहायता देने का प्रबन्ध किया गया है।

†**श्री वेलायुधन :** क्या जैसी कि पुनर्वास मंत्रालय की योजना है, सरकार भारत में आये ऐसे लोगों के लिये कुछ भूमि निश्चत करने का विचार करती है जो लंका में पिछले दस-पन्द्रह या बीस वर्षों से रह रहे थे और जो पहले कभी भारत नहीं आये थे तथा जिनका भारत में न तो कोई मकान ही है और न कोई संबंधी ही है। प्रधान मंत्री ने कहा है ....

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं पहले ही इस का उत्तर दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रधान मंत्री का कहना है कि इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

+

† *१६३४. { **श्री बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों पर किस तारीख से प्रतिबन्ध लगाये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उस तारीख से प्रतिमास कितने प्रमाण-पत्र दिये गये थे ; और

(ग) ऐसे प्रमाण-पत्रों को जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले मुख्य उपबन्ध क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ग). इस बारे में प्रतिबन्ध नहीं थे किन्तु मार्च और जुलाई, १९५६ के आरम्भ में ढाका स्थित उप-उच्चायुक्त को इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कुछ प्रशासकीय अनुदेश जारी किये गये थे कि प्रव्रजन प्रमाण-पत्र केवल उपयुक्त मामलों में ही जारी किये जायें। अनुदेशों में मुख्य रूप से आवेदकों से प्राप्त की जाने वाली जानकारी तथा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जारी करने के वास्तविक तरीके का उल्लेख किया गया था।

(ख) मार्च, १९५६ से स्वीकृत प्रमाण-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

मार्च	४५४२
अप्रैल	२२४८
मई	१९१५
जून	२३६८
जुलाई	१९५९

विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

†**श्री बर्मन** : क्या इस संबंध में जारी किये गये नवीनतम प्रशासकीय अनुदेशों को सभा-पटल पर रख सकना सरकार के लिये सम्भव होगा ? क्या इस अफवाह का कोई आधार है कि इस संबंध में अनुदेश जारी किये गये हैं कि जिन लोगों के पास भूमि हो, चाहे कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, उन लोगों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र न दिये जायें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे आशंका है कि समय-समय पर हमारे विदेश स्थित राजनयिक पदाधिकारियों के लिये जारी किये गये अनुदेशों को सभा-पटल पर रखना न तो उचित ही होगा और न वांछित ही। यह बड़ा खराब पूर्व दृष्टांत बन जायेगा। इस संबंध में उन को लिखना तथा उनसे साफ साफ जवाब प्राप्त करना मुश्किल होगा। विशेषकर जब कि वह यह महसूस करेंगे कि ये मामले ऐसे हैं जो जनता के सम्मुख रखे जायेंगे, कारण, इन पत्रों में दूसरी सरकारों की नीतियों की चर्चा रहती है। अतः मुझे खेद है कि मैं उन्हें सभा-पटल पर नहीं रख सकूंगा।

इसमें प्रतिबन्धों का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु हमने देखा है कि इस मामले में बड़ी ढील से काम हो रहा है। दुहरे अनुदेश तक जारी हो जाते हैं तथा अन्य इसी प्रकार की चीजें हो रही हैं। एक व्यक्ति ने उसी व्यक्ति से अनेक बार मांग और प्रमाण-पत्र बराबर जारी होते रहे। यही कारण था कि पहले वाले आंकड़े कभी-कभी बाद में फिर दे दिये गये थे।

इस प्रकार की दुहरी कार्यवाही को दूर करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं और कुछ हद तक जिन चीजों को प्राथमिकता देनी है उनकी कुछ श्रेणियां भी बनाई गई हैं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि प्रमाण-पत्र जारी न हों। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, प्राथमिकतायें निर्धारित कर दी गई हैं। उदाहरण स्वरूप, सबसे पहले अनाथों, बेसहारा औरतों, पत्नियों को पतियों के पास जाने, उन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों, जिन्हें असुरक्षित समझा जाता है तथा युवा लड़कियों का विवाह के लिये भारत जाने आदि के बारे में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता की दूसरी श्रेणी में वे परिवार जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति बेच दी है, विभाजित परिवारों के सदस्यों तथा उन व्यक्तियों को जिनके सम्बन्धी भारत पर आश्रित हैं, आदि आते हैं। अतः इस अर्थ में जिन लोगों की वहां भूमि है वे बाद वाली श्रेणी में आते हैं। अतः यह प्रतिबन्ध का प्रश्न नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन** : पश्चिमी बंगाल के गृह-कार्य मंत्रालय के नवीनतम प्रकाशन अर्थात् अगस्त, १६५६ में सामूहिक निष्क्रमण के तीन कारणों का उल्लेख किया गया है जिनमें से एक आर्थिक विभेद की जान बुझ कर अपनाई गई नीति है। हम जानना यह चाहते हैं कि इस नीति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसमें कहां तक सफलता मिली है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को, जो इस समस्या के बारे में जानने में इतना चाव रखते हैं, यह भी जानना चाहिये कि इस पर यहां अनेक बार चर्चा हो चुकी है। इस समय स्थिति यह है कि पूर्वी बंगाल में लगभग सभी लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाशवाणी से प्रसारण

†*१६०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा प्रसारण करने के लिये उनको आमंत्रित करने की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गवेषणा कार्यक्रम समिति

†*१६०६. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवेषण कार्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत ग्राम-नगर प्रव्रजन तथा रोजगार संबंधी अवसरों का नगर सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षणों का परिणाम क्या निकला ; और

(ग) क्या ग्रामों से नगरों की ओर प्रव्रजन करने तथा रोजगार संबंधी अवसर विद्यमान हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत २१ नगर सर्वेक्षणों में से एक पर प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार हो गया है जो शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा तथा पांच अन्य सर्वेक्षणों पर प्रतिवेदन विचाराधीन हैं। शेष १५ सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग). जहां तक अधिक संख्या में सर्वेक्षणों पर प्रतिवेदन तैयार न हो जायें और उन पर अन्तिम रूप से विचार न कर लिया जाये तब तक कोई निश्चित उपपत्ति अथवा निष्कर्ष नहीं बताया जा सकता है।

कोसी पर बांध

†*१६०७. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कोसी नदी पर बांध बनाने के लिये जितना कार्य ठेकेदारों के लिये नियत किया गया था वे उसे पूरा नहीं कर सके ;

(ख) क्या उससे बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजनाओं पर प्रभाव पड़ा और हानि हुई ; और

(ग) कार्य पूरा न कर सकने के कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १५**]

हैदराबाद राज्य में मुसलमानों का पुनर्वास

†***१९०८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद राज्य में मुसलमानों के पुनर्वास के लिये १३.५ लाख और अधिक अनुदान स्वीकृत किया है ;

(ख) इस अनुदान को किस प्रकार विभाजित किया जायेगा ; और

(ग) क्या हैदराबाद सरकार ने दो वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई सारी राशि व्यय कर दी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) हां।

(ख) हैदराबाद राज्य सरकार के द्वारा।

(ग) हां।

दिल्ली में विद्युत् की कमी

†***१९१३. श्री भीखा भाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत् की कमी को पूरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और अधिक बिजलीघर बनाने का विचार करती है ; और

(ग) विचाराधीन योजनाओं पर कितना व्यय होगा और उनकी क्षमता कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) विषय विचाराधीन है।

(ग) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

कोसी परियोजना

*१९१५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री ल० ना० मिश्र

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना के अन्तर्गत नेपाल में कितने मील लम्बी नहर बनायी जायेगी ;

(ख) इसके निर्माण पर अनुमानतः कितना खर्चा होगा ; और

(ग) क्या नेपाल सरकार भी खर्चा वहन करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). अब तक पश्चिम की ओर १४ मील लम्बी नहर के लिये जांच पूरी हो चुकी है। इस पर अनुमानित खर्चा २५ लाख रुपया होगा। नहर बनाने के खर्चे को वहन करने के प्रश्न पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार नगर बस्ती

†*१९२०. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद की सरदार नगर बस्ती के रहने वाले गैर-दावेदार शरणार्थियों के लिये आदेश जारी किये हैं कि वे मकानों के मूल्य का २५ प्रतिशत तथा शेष राशि का भुगतान चार वर्षों के अन्दर कर दें ;

(ख) क्या उस बस्ती में रहने वाले शरणार्थियों ने भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध अपनी शिकायतें प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) :** (क) हां। बस्ती के प्रबन्धक ने मार्च, १९५६ में आदेश जारी किये थे।

(ख) हां।

(ग) उनकी मांगें संसद् द्वारा पारित विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के संगत न होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकीं।

गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति

*१९२२. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन शरणार्थियों को गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील में भूमि दी गई थी, वे वहां से निकाल दिये गये हैं, क्योंकि वह क्षेत्र अब रूसी कृषि फार्म योजना के अन्तर्गत आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन लोगों को उसके बदले में कब और कहां जमीन देगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) अगर शरणार्थियों को दी गई जमीनें सूरतगढ़ में सेन्ट्रल मेकेनाइज़ड फार्म के लिये इस्तेमाल की गयीं तो उनके बदले में शरणार्थियों को दूसरी जमीनें नजदीक जगह पर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जायेगी।

वेनगंगा परियोजना

†*१९२३. **मुल्ला अबदुल्ला भाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३० मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले कभी वेनगंगा परियोजना का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) किन धारणों से यह परियोजना छोड़ दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकारों से मंगाई गई है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) परियोजना इसलिये छोड़ दी गई क्योंकि इस से चावल की खेती की बहुत बढ़िया ज़मीन जलमग्न हो जाती तथा इस के स्थान पर वन भूमि को कृषि योग्य बना कर उसकी सिंचाई करने की जो आशा थी वह भी कोई अनिश्चित ही थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*१९२८. **श्री तेलकीकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कुछ भूमि दी है ;

(ख) क्या २८ तथा २९ जनवरी, १९५६ को कलकत्ते में हुये सम्मेलन में जम्मू तथा काश्मीर के किसी मंत्री को निमंत्रित किया गया था ; और

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार कोई योजना स्वीकार करने का विचार कर रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं का प्रव्रजन

†*१९३५. **श्री सु० चं० देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़िला कछार (आसाम) के करीमगंज उप खण्ड में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ठहराने तथा आगे भिजवाने के शिविर के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) आने वाले व्यक्तियों की कुल आज तक क्या संख्या है ; और

(घ) उनको पर्याप्त सहायता देने तथा उनके पुनर्वास के लिये क्या योजना बनाई जा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) जी हां। कछार ज़िले में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्ति आ रहे हैं। परन्तु करिमगंज उपखण्ड के स्थान पर सिलचर में अधिक संख्या में व्यक्ति आ रहे हैं।

(ख) एक स्वागत केन्द्र तथा गृह सिलचर के निकट, अरुणाचल में खोला गया है।

(ग) करीमगंज उपखण्ड के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। परन्तु जुलाई, १९५६ तक आसाम में कुल ३,८३,००० विस्थापित व्यक्ति आये हैं।

(घ) जैसी पूर्वी पाकिस्तान के अन्य विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वास सुविधायें दी जाती है वही करीमगंज में आये विस्थापित व्यक्तियों को दी जाती हैं।

अर्जित निष्क्रान्त प्लाटों पर बने स्थायी मकान

†*१९३६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों के मामले के सम्बन्ध में जिन्होंने अर्जित निष्क्रान्त प्लाटों तथा उनको आवंटित मकानों पर स्थायी घर आदि बना लिये हैं, पुनर्वास मंत्रालय में किये गये अभ्यावेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) और (ख). जहां विस्थापित व्यक्तियों ने अर्जित निष्क्रान्त प्लाटों पर स्थायी मकान आदि बना लिये हैं, वहां उनके संबन्ध में यह निश्चय किया गया है कि यदि प्लाट १०,००० रुपये से कम मूल्य के हैं तथा यह भवन आदि कस्टोडियन की पुर्वानुमति से तथा नगरपालिका की विधियों के अनुरूप बनाये गए हैं, तो रक्षित मूल्य पर यह प्लाट उन्हींको दे दिये जायें।

चल निष्क्रांत सम्पत्ति

†***१६३७. श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में, भारत-पाकिस्तान करार के अधीन कोई क्रियान्विति समिति बनाई गई है ;

(ख) समिति में भारत के कौन-कौन प्रतिनिधि है ;

(ग) क्या समिति की कोई बैठक हुई है तथा कोई निर्णय किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार के किये गये हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) जी हां।

(ख) श्री धर्मवीर, सचिव पुनर्वास मंत्रालय

श्री डी० एन० चटर्जी, पाकिस्तान में भारत के उप-उच्चायुक्त, कराची ।

श्री शिवनाम सिंह, उप-सचिव, वित्त मंत्रालय।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १६**]

पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर क्षेत्र के विस्थापित व्यक्ति

†***१६३८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काश्मीर सरकार ने, पाकिस्तान द्वारा हथियाये हुये क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ब्यौरेवार प्रस्ताव, जैसा कि १५ जुलाई, १६५५ को श्रीनगर में हुये सम्मेलन में निर्णय किया गया था, भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) कुछ बातों के सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अपने ब्यौरेवार प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) उनकी मुख्य सिफारिशें इस सम्बन्ध में है :—

(१) जम्मू स्थित उपनगर में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना । इस औद्योगिक क्षेत्र में एक आदर्श फर्नीचर वर्क शाप तथा फाउन्डरी स्थापित करने का विचार है।

(२) स्त्री तथा पुरुषों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा विभिन्न व्यवसायों में विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये वित्तीय सहायता देना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) राजौरी, नौशेरा तथा उधमपुर में प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों तथा उधमपुर में एक छोटे बर्तन बनाने के कारखाने की स्थापना।

(४) सीमान्त क्षेत्रों में आक्रमणों के कारण तथा बाद में इन क्षेत्रों में सैनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप पीड़ित २७,००० परिवारों को वित्तीय सहायता का अनुदान।

तुंगभद्रा परियोजना

†*१९३९. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुंगभद्रा का कारखाने का प्रबन्ध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को सौंप देने का विचार है ; और

(ख) क्या १ जुलाई, १९५६ से कारखाने के कर्मचारियों की कोई छटनी की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संसद सदस्यों का योग

†*१९४०. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य संचालन में प्रत्येक राज्य के संसद सदस्यों का योग लेने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्य किस प्रकार योग देंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) अधिकांश राज्यों में संसद सदस्य ब्लाक परामर्शदात्री समिति में अथवा ज़िला विकास समिति में तथा कई मामलों में राज्य योजना परामर्शदात्री समिति अथवा बोर्ड में सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किये गये है।

गरिविदी फैरो-मैंगनीज कारखाना

†*१९४१. **डा० रामा राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने गरिविदी फैरो-मैंगनीज़ कारखाने को विद्युत् संभरण करने के लिये ऋण मांगा है ;

(ख) क्या योजना आयोग के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है तथा प्रार्थना की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किये है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। परन्तु योजना आयोग के प्रतिनिधियों तथा वित्त मंत्रालय ने करनूल में आन्ध्र सरकार के पदाधिकारियों से प्रस्ताव पर चर्चा की थी।

(ग) शीघ्र ही निर्णय करने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा बांध की ऊंचाई

†*१६४३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६८० फुट के मूल प्राक्कलन के स्थान पर भाखड़ा बांध की ऊंचाई ७०० फुट तक बढ़ा देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) यद्यपि बांध की ऊपरी सतह अब भी आर० एल० १७०० ही है परन्तु मूलत: प्राक्कलित ६८० फुट के स्थान पर ऊंचाई नींव के सब से गहरे स्थान से ७०० फुट होगी।

(ख) बांध की ऊपरी सतह आर० एल० १७०० रखने से नींव की गहराई के अनुसार ऊंचाई ६८० फुट रखी गई थी। जब खुदाई की गई तो मूलत: अनुमानित गहराई पर चट्टान नहीं मिली इसलिये कुछ स्थानों पर चट्टान तक पहुंचने के लिये नींव और गहरी खोदी गई। यह प्रविधिक कारणों से आवश्यक था। अब नींव के सबसे गहरे स्थान से ऊपरी सतह तक बांध की ऊंचाई ७०० फुट रखी गई है।

मुसलमानों को सम्पत्ति वापस दिलाना

†*१६४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मुसलमानों की सम्पत्ति जो पाकिस्तान चले गये थे परन्तु फिर वापस आ गये, वापस दिलाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विभाजन के पश्चात् कितने मुसलमानों को सम्पत्ति वापस दिलाई गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) और (ख). निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों की धारा १६ के उपबन्धों के अनुसार निष्क्रान्त सम्पत्ति वापस दिलाई जा रही है। ३१ अगस्त, १६५६ तक सम्पत्ति वापस दिलाने के २,४७३ प्रमाण-पत्र जारी किये गये जिसमें वह प्रमाण-पत्र शामिल नहीं जो पंजाब तथा राजस्थान सरकारों ने प्रत्यायोजित अधिकारों के अधीन दिए हैं। वापस देने के प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों को दिये गये हैं जो कभी भी पाकिस्तान नही गये परन्तु जिनकी सम्पत्ति निष्क्रांत घोषित कर दी गई थी उन व्यक्तियों को भी यह दिये गये हैं जो नियमों में बताई गई परिस्थितियों में पाकिस्तान से लौट आये थे। इन दोनों श्रेणियों के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

पेप्सू में सड़क विकास

†१४५०. **श्री राम कृष्ण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेप्सू के हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेप्सू के हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के सडक विकास के लिये निम्न व्यवस्था की गई है :

(लाख रुपये में)

राज्य योजना	केन्द्रीय कार्यक्रम		
	राष्ट्रीय राजपथ	अन्तरायीय सड़कें	जोड़
५१.२८	५.००	१७.७४	७४.०२

†मूल अंग्रेजी में

कन्नन देवन हिल्स प्रोडयूस कम्पनी लिमिटेड

†१४५१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन सरकार की कन्नन देवन हिल्स प्रोडयूस कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना है ; और

(ख) समवाय में भारतीयों के कितने शेयर हैं तथा उनका मूल्य क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†१४५२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में भारत सरकार ने राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मकानों के निर्माण के लिये, राज्यवार कुल कितना ऋण तथा राज-सहायता स्वीकृत की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १७**]

बायसिकल निर्यात

†१४५३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साइकिलों का उत्पादन मांग से बढ़ गया है ;

(ख) क्या सायकिलें निर्यात की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों को इनका निर्यात किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में बहुत थोड़ी संख्या में साइकिलें (तीन पहियों की साइकिलों समेत) केन्या, फिलिपीन, पाकिस्तान, बर्मा, काटर तथा टी० ओमन, ईरान, लंका, त्रिनिदाद, तोबागो तथा सीरिया को निर्यात की गई थीं ।

हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिये मोटर गाड़ियां

†१४५४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिये मोटर गाड़ियां चलाने के लिये राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई ह ; और

(ख) राज्यों को अब तक दी गई कुल राशि क्या है और मोटर गाड़ियां कितनी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) ५ मोटर गाड़ियां खरीदने के लिये पांच राज्य सरकारों को १,४०,५०० रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है।

जरी उद्योग

†१४५५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल और बरेली (उत्तर प्रदेश) में ज़री उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : कुटीर उद्योगों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों के संसाधन बढ़ाने के लिए दी जाती है। इन उद्योगों में सुधार और विकास के लिये सामान्य सुविधाएं देने और समन्वय का कार्य केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को सौंप रखाहै।

केन्द्रीय सरकार ने भोपाल सरकार को जरी उद्योग के विकास लिये वित्तीय और प्राविधिक सहायता दी है। १९५४–५५ में एक जरी नमूना व प्रशासन केन्द्र की स्थापना के लिये राज्य सरकार को ३,६२० रुपये की राशि दी गई है। और ५,६८० रुपये के अनुदान के लिये बोर्ड द्वारा की गई एक सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

बरेली के एक शिल्पकार को, जो इस उद्योग के विकास और इतिहास की एक पुस्तक लिख रहा है, पुस्तक के लिये अतिरिक्त सामग्री एकत्र करने में सहायता के लिये १,५०० रुपये तक की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रुप से रखे गये कर्मचारी

†१४५६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में, दिल्ली में काम के लिये कुल कितने स्थायी रुप से रखे गये कमचारी हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ वर्षों में कुल कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों और औषधियों आदि पर पृथक पृथक कितनी राशि व्यय की गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अप्रैल, १९५६ के अनुसार ७६२१;

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १८]**

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रुप से रखे गये कर्मचारी

†१४५७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-निर्माण विभाग में काम के लिए स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के लिए कतने स्थायी पदों की मंजूरी है ; और

(ख) प्रत्येक डिवीज़न में इन पदों पर काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों पक्का कर के वस्तुत: कुल कितने पदों को भरा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २५२९ ।

(ख) स्थानान्तरणों के कारण समय समय पर विभाग में काम के लिए स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतएव एक विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये स्थायी कर्मचारियों की संख्या स्थिर नहीं है। १ सितम्बर १९५६ तक काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये पक्के कर्मचारी २२०९ हैं।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रुप से रखे गये कर्मचारी

†**१४५८. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रख गये ऐसे स्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है जो सेवानिवृत्त हो गये हैं; और

(ख) उनमें से कितनों को निवृत्ति वेतन या उपदान दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रखा जाएगा।

पशमीना ऊन

†**१४५९. श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ में कितनी पशमीना ऊन आयात की गई और उसका मूल्य क्या है ;

(ख) छांटने और धुनने के पश्चात् कितनी पशमीना ऊन निर्यात की गई और उसका अनुमित मूल्य क्या है; और

(ग) कुटीर उद्योग के लिये अन्तरिक उपभोग के हेतु कितनी पशमीना ऊन रक्षित रखी गई और १९५५ में उसका बिक्री मूल्य क्या था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) विभिन्न अनुमान लगाये गये है—व्यापारियों के जो अनुमान दिया है वह लगभग ९,००० मन का है।

(ख) तथा (ग). छांटने और धुनने के पश्चात् स्टाक में से किये गये निर्यात का अनुमान २२०० मन का है। निर्यात के पश्चात् शेष कुटीर उद्योग को दिया गया है। १९५५ में बिक्री के मूल्य के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं परन्तु एकत्र की जा रही है।

रद्दी रेशम

†**१४६०. श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष रद्दी रेशम कितना और कितन मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ख) निर्यात व्यापार करने वाले अभिकरण कौन-कौन से हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निर्यात करने वाले व्यापारियों पर क्या प्रतिबंध लगाये गये हैं ;

(घ) क्या रेशम बोर्ड ने रद्दी रेशम के उपयुक्त उपयोग के प्रश्न पर कभी विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) विवरण निम्नलिखित है :

बचे खुचे रेशम का निर्यात

वर्ष	पौंडो में मात्रा	रुपयों में मूल्य
१९५३	१,१६९,३१०	३०,५०,६४३
१९५४	५०६,५८५	११,०६,९५४
१९५५	८६८,१५८	२१,६२,५८९

(ख) व्यापार के सामान्य साधन अर्थात् निश्चित निर्यातकर्ता अथवा आन्तरिक व्यापारी रद्दी रेशम के निर्यात में लगे हुये हैं ।

(ग) मैसूर और मद्रास के रद्दी रेशम के अतिरिक्त सभी प्रकार के रद्दी रेशम का निर्यात स्वतन्त्रता से किया जा सकता है। मैसूर और मद्रास के रद्दी रेशम के निर्यात पर मात्रा सम्बंधी प्रतिबंध हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आसाम में कते रेशम के मिल की स्थापना का अनुमोदन किया है, जिस में उस क्षेत्र के रद्दी रेशम का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार की कते रेशम की मिलों की पश्चिमी बंगाल, बिहार, और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में स्थापना के प्रश्न पर बोर्ड विचार कर रहा है।

सिग्रेट कारखाना

†१४६१. { **डा० रामा राव :**
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र में सिग्रेट के कारखाने की पूंजी में ५० प्रतिशत पूंजी लगाने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में उद्योगीकरण

†१४६२. **श्री भीखा भाई** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कोई उद्योग आरम्भ नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में स्थित सहकारी समितियों को कोई औद्योगिक ऋण नहीं दिया गया ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) तथा (ख). राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में जिन उद्योगों का विकास हुआ है उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या १९**]

(ग) १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६ में राजस्थान सरकार को छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न ह । यद्यपि कारखानों या समितियों में से प्रत्येक को ऋण देना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है तो भी राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों को दिये गये ऋणों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या १९**]

मशीनी औजार

†१४६३. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में देश में बनाए गये मशीनी औज़ारों के पूरे सेरों की संख्या तथा मूल्य क्या है ; और

(ख) इसी कालावधि में मशीनी औज़ारों के आयात का मूल्य क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) लगभग ५१,९८ लाख के १३५४ मशीनी पुरज़े।

(ख) लगभग ४११.७१ लाख रुपये।

शिक्षित बेरोजगार

†१४६४. **श्री हेमराज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि में शिक्षित बेरोज़गारों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्नातकों, अवर स्नातकों और मेट्रिकुलेटों की क्या संख्या है ;

(ग) ऐसे शिक्षित बेरोज़गार कितने प्रतिशत हैं जिन्होंने व्यवसायिक, शिल्पिक अथवा प्रविधिक प्रशिक्षण के लिए इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण और सहायता देने के लिये सरकार क्या प्रबंध करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० सिंह)**: (क) प्रथम योजना कालावधि में शिक्षित बेरोजगारों का कोई निश्चित सर्वेक्षण नहीं किया गया। तो भी सितम्बर, १९५३ में नागरिक बेरोज़गारी के प्रारम्भिक सर्वेक्षण में यह कार्य भी किया गया था। उपरोक्त प्रारंभिक सर्वेक्षण तथा कुछ संसाधन सामग्री के आधार पर उस अध्ययन कर्ता दल ने जिसे योजना आयोग ने सितम्बर, १९५५ में नियुक्त किया था, शिक्षित बेरोजगारों के कुछ प्राक्कलन दिये हैं।

(ख) अध्ययन कर्ता दल का अनुमान है कि वर्ष १९५५ के अन्त में शिक्षित बेरोज़गारों की कुल संख्या लगभग ५·५ लाख थी, जिन में लगभग १·२६ लाख स्नातक, लगभग ०·५९ लाख अवर स्नातक और शेष मेट्रिकुलेट हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ;

(घ) शिक्षित बेरोजगारों के अपेक्षित प्रशिक्षण और सहायता देने के लिये अध्ययन कर्ता दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों, सहकारी माल परिवहन और सहकारी कार्य तथा अनुस्थिति ज्ञान शिविरों की योजनाओं की सिफारिश की है।

ग्रामों में बिजली लगाना

१४६५. श्री म० ला० चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों में बिजली लगाने के लिये कितने खम्भे तथा तार की आवश्यकता होगी ; और

(ख) ये खम्भे व तार किस प्रकार उपलब्ध किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी): (क) खम्भे तथा तार की आवश्यकता के बारे में अभी तक सभी राज्य सरकारों ने विस्तृत विवरण नहीं भेजे हैं। तथापि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में गांव में बिजली पहुंचाने के लिये खम्भे तथा तार की अनुमानित आवश्यकता के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(१) खम्भे १,८०,००० से २,००,००० प्रति वर्ष।

(२) तार—

(१) बड़े वोल्टेज की लाइने . . . . ५०,००० मील

(२) कम वोल्टेज की लाइने . . . . १,००,००० मील

(ख) यह सामान स्वदेशी तथा विदेशी दोनों जरियों से उपलब्ध किया जाता है।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

१४६६. श्री खू० चं० सोधिया : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के पिछले मूल्यांकन प्रतिवेदन को देखते हुये क्या सरकार ने संबंधित विभागों को नये आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से मुख्य कौन-कौन से हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे आदेश जारी करने का विचार है और क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना उपमंत्री (श्री श्याम नं० मिश्र) : (क) से (ग). इवैल्यूएशन रिपोर्ट (मूल्यांकन-प्रतिवेदन) की जरूरी बातों पर कम्युनिटी प्रोजक्टस् एडमिनिस्ट्रेशन (सामुदायिक विकास योजना प्रशासन) विचार कर रहा है।

त्रिपुरा में मस्ती छरा बस्ती

†१४६७. श्री बीरेन दत्त : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मस्ती छैरा बस्ती की झील के सम्बन्ध में काम प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम पर लगभग कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) यह काम किस समय तक पूरा हो जायेगा ?

†पुनर्वास उप मंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले): (क) से (ग). मस्ती छेरा में लगभग ५ एकड़ दलदल वाली ज़मीन को मीनक्षेत्र में परिवर्तित करने की एक योजना मिली है और उस पर विचार किया जा रहा है। इस योजना पर लगभग २५,५०० रुपये खर्च आयेगा।

जिला नैनीताल में विस्थापित व्यक्ति

†१४६८. श्री नि० बि० चौधरी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बसाने की योजना के अन्तर्गत जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में पश्चिम पाकिस्तान से आकर बसे हुये विस्थापित व्यक्तियों को भूमि से निकाल दिया गया है और उसके बाद से उन्हें कोई ज़मीन नहीं दी है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले): सरकार ने जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में बसाने की योजना के अन्तर्गत जिन विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया था उनमें से किसी को भी भूमि से बेदखल नहीं किया गया। लेकिन कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने अपने आप ही इन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था। सरकार इन्हें अनधिप्रवेश करने वाला समझ रही है और इन्हें बेदखल कर रही है।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†१४६९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में, जहां आने जाने की और कोई सुविधाएं नहीं हैं, वहां इस सम्बन्ध में उड़ान की जा रही हैं ; और

(ख) ऐसी उड़ानों पर कितना खर्च हुआ है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी, हां। ३१ मार्च १९५६ को खतम होने वाले वर्ष में लगभग ६४,५०,००० रुपये खर्च हुए हैं।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†१४७०. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लोगों से चुंगी कर लिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५५–५६ में इन करों से कितनी राशि एकत्र की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली। यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है, परन्तु हमें यह बताया गया है कि स्यांग सीमान्त डिवीज़न में १९५५–५६ में ८४० रुपये की राशि इकट्ठी की गयी। कामेंग त्युन्सांग और लोहेत सीमान्त डिवीज़न में इस कर की वसूली नहीं की गयी। बकाया दो डिवीज़नों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।

पम्पावती नदी पर बांध

१४७१. श्री अमर सिंह डामर : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत के झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील की नदी पम्पावती के बांध के लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ; और

(ख) उक्त पम्पावती नदी के बांध का प्रारम्भिक कार्य कब से आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कोई धनराशि स्वीकार नहीं की है। राज्य सरकार ने १९५६–५७ के बजट में ५०,००० रुपये की व्यवस्था की है। इस बांध को बनाने में अन्दाजन १५ लाख रुपये खर्च होंगे।

(ख) अभी योजना के लिये सर्वेक्षण और प्रारम्भिक जांच नहीं हुई है। राज्य सरकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने पर सलाहकार समिति (एडवाइज़री कमेटी) द्वारा उस की तकनीकी जांच होगी और फिर बांध बनाने का कार्यक्रम तय किया जायेगा।

सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के लक्ष्य

†**१४७२. श्री ल० न० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य कितने प्रतिशत तक प्राप्त हुए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : पहली योजना की अवधि में 'सिंचाई' के सम्बन्ध में लक्ष्य ८३ प्रतिशत तक और 'विद्युत' के सम्बन्ध में ७७ प्रतिशत तक प्राप्त हुए हैं।

कच्ची धातुओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद्

†**१४७३. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का कच्चे धातुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी, नहीं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

†**१४७४.** { **ठा० युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो राशियां जिलावार खर्च की जायेंगी, उनका ब्यौरा क्या है और योजनाओं का ब्योरा क्या है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : बिहार सरकार ने सूचना दी है कि राज्य के जिलों की योजनाएं अभी तैयार की जा रही हैं।

भारतीय फिल्म सप्ताह

†१४७५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र उद्योग की रजत जयन्ती मनाने के लिये हाल में लन्दन में एक भारतीय फिल्म सप्ताह मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी फिल्में दिखाई गई थीं और उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) सप्ताह में कुल कितनी आय हुई ?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). भारत सरकार का सरकारी तौर पर इस उत्सव से कोई सम्बन्ध नहीं। तथापि हम लन्दन स्थित अपने उच्चायुक्त से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसे सभा-पटल पर रख देंगे।

रूस के लिए कर्मचारियों की भरती

†१४७६. { **श्री कंदस्वामी** :
श्री जयरामन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सरकार के संस्कृति मंत्रालय में (१) अनुवादकों, और (२) उद्घोषकों के पदों के लिये राज्य सरकारों से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन में से कितने मद्रास राज्य से चुने गये हैं ; और

(ग) क्या इन दोनों प्रकार के पदों को वेतन और भत्तों की दृष्टि से समान समझा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) राज्य सरकारों से अनुवादकों के पदों के लिये १५५ और उद्घोषकों के पदों के लिये ६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। इस के अतिरिक्त १६ उम्मेदवारों ने दोनों पदों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे।

(ख) फिलहाल मद्रास राज्य से अभी तक ३ उम्मेदवार चुने गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

१४७७. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के निर्माण के सम्बन्ध में जर्मनी से जो प्राविधिक परामर्शदाता बुलाये गये हैं, उन्हें पारिश्रमिक के रूप में इस साल कितनी रकम दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी): जर्मन प्राविधिक परामर्शदाताओं (मेसर्स इन्डीन जेमिस्कृफ्ट क्रप-डेमाग जी० एस० वी० एच०) को सन् १९५६–५७ में दिया जाने वाला पारिश्रमिक निम्नांकित है :

(१) प्राविधिक परामर्शदाताओं के स्वीकार-पत्र (इकरार) की धारा १५ (चार) दिनांक २१ जुलाई १९५३ के अनुसार दर २००,००० डोइस मार्क प्रति मास . . . . २४००,००० डो० मा०

(२) पूरक स्वीकृति-पत्र दिनांक २१ जुलाई १९५६ की धारा ७ (ख) की उपधारा (१) से (३) तक के अनुसार . . ३१००,००० डो० मा०

३) पूरक स्वीकृति-पत्र दिनांक २१ जुलाई १९५६ को धारा ७ (ख) को उपधारा (चार) के अनुसार दर ४६,५०० डो० मा० प्रति मास . . . . . ५५८,००० डो० मा०

योग . . ६०,५८,००० डो० मा०
(अथवा ६९,२३,४२९ रुपये)

छोटे उद्योग सेवा संस्था, कलकत्ता

†१४७८. **श्रीमती अ० काले** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे उद्योग सेवा संस्था, कलकत्ता में सहायक उद्योग (छोटे पैमाने) निदेशक के पद पर संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश किये बिना एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया था।

(ख) क्या यह सच है कि इन्टरव्यू १७ अगस्त के लिये रखा गया था, किन्तु पद पर नियुक्ति पहले ही कर दी गई थी ; और

(ग) उक्त पद के लिये योजनाएं क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ऐसे कुछ पदों पर जल्दी के कारन नियुक्तियां कर दी गई थी, किन्तु इस शर्त पर कि संघ लोक सेवा आयोग बाद में इन्हें अनुमोदित या अननुमोदित कर सकेगा । ऐसा प्रबन्ध आयोग की सहमति से किया गया था। सहायक निर्देशक (रसायन) के पद पर, जिस के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने १७–८–१९५६ को इन्टरव्यू किया था, इस आधार पर १ नवम्बर, १९५५ को नियुक्ति की गई थी।

(ग) सहायक निर्देशक (रसायन) के पद के लिये योग्यतायें इस प्रकार हैं :

(१) किसी अभिज्ञात विश्व विद्यालय या संस्था से रसायनिक इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा

(२) निम्न उद्योग समूहों में से एक या एक से अधिक उद्योग समूहों में उत्पादन का लगभग ३ साल का अनुभव—

(क) तेल, रंग, रोगन और एनेमल,
(ख) सियाही और गोंद,
(ग) साबुन और रोगाणुनाशक,
(घ) दिया सलाई उद्योग ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊन का निर्यात

†१४७९. { सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ में भारतीय ऊन रूस को निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तार क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रूस को भारतीय ऊन निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु १९५६–५७ में ऊनी कपड़े को निर्यात करने का प्रस्ताव है ।

(ख) रूसी व्यापार संगठन २५०,००० मीटर ऊनी कपड़ा खरीदना चाहता है । मूल्यों और अन्य मामलों के बारे में बात-चीत हो रही है ।

रिहाइशी क्वार्टर

†१४८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में रिहाइशी क्वार्टरों का पुनर्वर्गीकरण विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रश्न अब विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान

†१४८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के कितने नये रिहायशी क्वार्टर १ जनवरी, १९५५ से ३१ जुलाई, १९५६ तक आवंटन के लिये उपलब्ध कराये गये हैं ।

(ख) उन व्यक्तियों को जिन की सेवा की अवधि १० वर्ष से अधिक है, प्रत्येक श्रेणी में कितने क्वार्टर आबंटित किये गये है ;

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है, जो ३१ दिसम्बर, १९४४ से पहले की तिथि से सेवा में हैं, और जिन्हें अब तक उन की अपनी श्रेणी का या किसी निम्न श्रेणी का क्वार्टर नहीं दिया गया है;

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये क्वार्टर बनाने के काम में शीघ्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) ऐसे सब कर्मचारियों को क्वार्टर देने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २०]**

(घ) और (ङ). क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में सरकार का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है और यदि इमारती सामान की कमी या अन्य कारणों से इस कार्यक्रम में बाधा न पड़े, तो आशा है कि १६५८ के अन्त तक या १६५६ के दौरान में ८० प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर मिल जायेंगे।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिए स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी

†१४८३. **डा० रामा राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ जुलाई, १६५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में स्थायी रूपसे काम के लिये रखे गये कर्मचारी-वर्ग की स्थापना में निम्न पदों की क्लर्कों की श्रेणी में रखा गया है :

(१) टैली क्लर्क
(२) इन्क्वायरी क्लर्क
(३) स्टोर क्लर्क
(४) टाइम कीपर
(५) पैट्रोल क्लर्क
(६) मीटर रीडर
(७) असिस्टेंट रिसैपशनिस्ट
(८) रिसैपशनिस्ट
(९) टेलीफोन आपरेटर; और

(ख) क्या निम्न कर्मचारियां को उनके काम और प्रवीणता को देख कर उच्च प्रवीण और प्रवीण पर्यवेक्षक कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया था :

(१) इलेक्ट्रीशन
(२) वर्क मिस्त्री
(३) बायलर फोरमैन
(४) एयर कन्डीशन मैकेनिक
(५) रेफ्रीजरेटर मैकेनिक
(६) हैंड मैकैनिक
(७) हैंड इलेक्ट्रीशन
(८) वर्कशाप फोरमैन ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में कहा गया है, काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के कर्त्तव्यों तथा अपेक्षित प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कर्मचारियों की सब श्रेणियों की मोटे तौर पर जांच की गयी थी और उनके लिये निश्चित किये गये वेतन-क्रम उनके कर्तव्यों और उनकी प्रवीणता के अनुसार है। मीटर रीडर, रिसैप्शनिस्ट, असिस्टेंट रिसैप्शनिस्ट और टेलीफोन आपरेटरों को छोड़ कर प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित श्रेणियों को क्लर्कों की श्रेणी में माना गया था। वर्कशाप फोरमैन के पद को छोड़ कर प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित पदों को केवल उच्च प्रवीण और प्रवीण पर्यवेक्षण श्रेणियों में नहीं रखा गया। उनमें अर्ध-प्रवीण, प्रवीण और उच्च प्रवीण पर्यवेक्षण श्रेणियां सब सम्मिलित हैं। उनके वेतन-क्रम, उनकी सेवा और कार्यक्षमता और अनुभव के अनुसार होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम के लिए स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी

†१४८४. **डा० रामा राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी-वग की स्थापना में निम्न कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्य और प्रवीणता को देखकर प्रवीण कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है :

(१) आर्मेचर वाइंडर
(२) वायरमैन
(३) लाईन मैन (इलैक्ट्रिकल)
(४) रंग साज
(५) चौधरी
(६) स्विच बोर्ड अटैंडैंट
(७) इलेक्ट्रीकल एंड मैकेनिकल असिस्टेंट फार हीटिंग एंड कूलिंग प्लन्ट
(८) लिफ्ट मैकेनिक या मिस्त्री
(९) डीजल मैकेनिक
(१०) आईस मैकेनिक
(११) टर्नर
(१२) बायलर मैन
(१३) राज
(१४) बढई
(१५) लोहार
(१६) अपहालस्टरर
(१७) डीज़ल इंजन ड्राइवर
(१८) इलेक्ट्रिक जनरेटर पावर हाउस ड्राईवर
(१९) मकेनिक
(२०) लेथमैन
(२१) एयर कन्डीशन् मिस्त्री
(२२) केन मैन
(२३) फिटर
(२४) लिफ्ट मैकेनिक
(२५) मोटर ड्राइवर
(२६) पालिशर
(२७) रेफ्रीजरेटर मिस्त्री
(२८) सड़क कूटनें के इंजन का ड्राइवर
(२९) कलईगर
(३०) दर्जी
(३१) केबल जायनर, और
(३२) पत्थर तोड़ने वाला ।

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में कहा गया है, काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारियों की सब श्रेणियों की मोटे तौर पर जांच की गयी थी और उनके वेतन-क्रम उनके कर्त्तव्यों और प्रवीणता के अनुसार है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कुछ यह प्रवीण कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और शेष प्रवीण और अर्ध-प्रवीण दोनों श्रेणियों में आते हैं। उनके वेतन-क्रम, उनकी सेवा, कार्यक्षमता और अनुभव के अनुसार भिन्न भिन्न हैं।

खादी ग्रामोद्योग भवन

†१४८५. **बाबू रामनारायण सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नयी दिल्ली को अपने कार्यकरण के पहले वित्तीय वर्ष में कितना लाभ या हानि हुई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : खादी ग्रामोद्योग भवन, नयी दिल्ली का १६५५-५६ का लाभ-हानि लेखा अभी तैयार नहीं किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग

†१४८६. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५१-५२ से १६५५-५६ तक आंध्र सरकार को खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कितना ऋण और अनुसहाय दिया गया है ; और

(ख) क्या यह राशि सारी खर्च की गयी है या कुछ राशि उक्त वर्षों में से किसी वर्ष में व्यपगत हुई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २१**]

चीन के साथ व्यापार

†१४८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५-५६ में वस्तुवार चीन को कुल कितना माल निर्यात किया गया ; और

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) (१) एक तम्बाकू प्रतिनिधि मंडल जुलाई १६५४ में चीन गया था।

(२) अक्तूबर, १६५४ में चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता किया गया था।

(३) राज्य व्यापार निगम चीन के विभिन्न विदेश व्यापार संस्थाओं से गहरे सम्पर्क कायम कर रहा है।

पांडिचेरी में विकास योजनाएं

†१४८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक पांडिचेरी के विकास के लिये शुरू की गयी विभिन्न विकास योजनायें किस प्रकार की हैं; और

(ख) इनकी लगभग लागत क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	. . . . .	१८९७–१९१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९०४	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड . .	१८९७–९९
१९०९	शेरपा लोग . . .	१८९९
१९१०	चमड़ा रंगने की संस्थायें . . .	१९००–०१
१९११	काजू के छिलके का तेल . . .	१९०१
१९१२	करघा उद्योग	१९०१–०२
१९१४	राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परियोजनाओं में निरक्षरता	१९०२–०३
१९१६	नागार्जुन सागर परियोजना . . .	१९०४–०५
१९१८	अतिरिक्त प्रविधिक कर्मचारी . . .	१९०५–०६
१९१९	नहर के उच्च-तल जल सम्बन्धी समझौता . .	१९०६–०७
१९२१	मनीपुर में बाढ़ . . .	१९०७–०८
१९२४	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों का प्रशिक्षण .	१९०८–१०
१९२५	पोठुंडी योजना . . .	१९१०
१९२६	दूध संभरण और ग्राम योजनाएं . .	१९१०–११
१९२७	दिल्ली में अशोक होटल . . .	१९११–१२
१९३०	कोयले के मूल्य में वृद्धि . .	१९१२–१३
१९३१	शक्ति-चालित करघे	१९१३–१४
१९३२	भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के अभ्यर्पण की संधि .	१९१४–१५
१९३३	श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीय .	१९१५–१६
१९३४	प्रव्रजन प्रमाण-पत्र .	१९१६–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	. . . .	१९१८–३८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९०५	आकाशवाणी से प्रसारण . .	१९१८
१९०६	गवेषणा कार्यक्रम समिति . .	१९१८
१९०७	कोसी पर बांध	१९१८–१९
१९०८	हैदराबाद राज्य में मुसलमानों का पुनर्वास .	१९१९
१९१३	दिल्ली में विद्युत् की कमी . . .	१९१९
१९१५	कोसी परियोजना	१९१९
१९२०	सरदार नगर बस्ती	१९२०
१९२२	गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति . .	१९२०

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

१६२३	वेनगंगा परियोजना	१६२०
१६२८	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१६२१
१६३५	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन	१६२१
१६३६	अर्जित निष्क्रांत प्लाटो पर बने स्थायी मकान	१६२१–२२
१६३७	चल निष्क्रांत सम्पत्ति	१६२२
१६३८	पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर क्षेत्र के विस्थापित व्यक्ति	१६२२–२३
१६३६	तुंगभद्रा परियोजना	१६२३
१६४०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संसद सदस्यों का योग	१६२३
१६४१	गरिविदी फैरो-मैंगनीज़ कारखाना	१६२३
१६४३	भाखड़ा बांध की ऊंचाई	१६२४
१६४४	मुसलमानों को सम्पत्ति वापस दिलाना	१६२४

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४५०	पेप्सू में सड़क विकास	१६२४
१४५१	कन्नन देवन हिल्स प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड	१६२५
१४५२	राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	१६२५
१४५३	बायसिकल निर्यात	१६२५
१४५४	हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिये मोटर गाड़ियां	१६२५–२६
१४५५	जरी उद्योग	१६२६
१४५६	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी	१६२६
१४५७	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी	१६२६–२७
१४५८	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी	१६२७
१४५६	पशमीना ऊन	१६२७
१४६०	रद्दी रेशम	१६२७–२८
१४६१	सिग्रेट कारखाना	१६२८
१४६२	राजस्थान में उद्योगीकरण	१६२६
१४६३	मशीनी औज़ार	१६२६
१४६४	शिक्षित बेरोजगार	१६२६–३०
१४६५	ग्रामों में बिजली लगाना	१६३०
१४६६	सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	१६३०–३१
१४६७	त्रिपुरा में मस्ती छेरा बस्ती	१६३१
१४६८	जिला नैनिताल में विस्थापित व्यक्ति	१६३१

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४६९	उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण .	१६३१
१४७०	उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण .	१६३१—३२
१४७१	पम्पावती नदी पर बांध . .	१६३२
१४७२	सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के लक्ष्य .	१६३२
१४७३	कच्ची धातुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषद्	१६३२
१४७४	दूसरी पंचवर्षीय योजना .	१६३२—३३
१४७५	भारतीय फिल्म सप्ताह . .	१६३३
१४७६	रूस के लिये कर्मचारियों की भरती .	१६३३
१४७७	रूरकेला इस्पात संयंत्र .	१६३३—३४
१४७८	छोटे उद्योग सेवा संस्था, कलकत्ता	१६३४
१४७९	ऊन का निर्यात	१६३५
१४८१	रिहाईशी क्वार्टर . .	१६३५
१४८२	सरकारी कर्मचारियों को मकान . .	१६३५—३६
१४८३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी . .	१६३६
१४८४	काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी .	१६३७—३८
१४८५	खादी ग्रामोद्योग भवन .	१६३८
१४८६	खादी और ग्रामोद्योग	१६३८
१४८७	चीन के साथ व्यापार .	१६३८
१४८८	पांडिचेरी में विकास योजनायें .	१६३८

———————

भा०स०मु० नासिक—वि०३—२४२ लोक-सभा ५६—२०-१२-५७—१६०

शनिवार, ८ सितम्बर १९५६

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प. १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग—२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता बन्दरगाह की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री फ्रैंक एन्थनी का है, जिसमें उन्होंने कलकत्ता बन्दरगाह में असिस्टेंट हार्बर मास्टर्ज के त्याग-पत्र के कारण उत्पन्न हुई संकटमय स्थिति का उल्लेख किया है। दूसरा श्री कामत का है, जिसमें उन्होंने उस स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है जो इस त्यागपत्र के कारण कलकत्ता बन्दरगाह में काम की गड़बड़ी और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुई है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : आपने आज के एक समाचार-पत्र में पढ़ा होगा कि ३१ असिस्टेंट हार्बर मास्टरों में से २५ ने न केवल हड़ताल की सूचना दी है, बल्कि अपने त्यागपत्र भी दे दिये हैं। मुझे इस मामले का व्यक्तिगत रूप से कुछ ज्ञान है। तथ्य ये है कि मंत्री महोदय उनसे मिले थे और उन्होंने उनसे कहा था कि वे अपने दावों के बारे में उन्हें एक ज्ञापन भेजें। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, वह उनसे फिर मिलेंगे। बाद में मंत्री महोदय ने अपना इरादा बदल लिया। उन्होंने मंत्री महोदय को जून में लिखा और जुलाई में एक तार भी भेजी किन्तु अब तक कुछ नहीं हुआ।

अब सरकार संभवतः उन का मामला किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करना चाहती है। अब वे समझते हैं कि सरकार अपने आश्वासन से पीछे हट रही है, क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा था कि वे उनके मामले पर विशेष रूप से विचार करेंगे।

असिस्टेंट हार्बर मास्टर केवल यह चाहते हैं कि उन का वेतन क्रम बढ़ाने की बजाय उन्हें रात का भत्ता दिया जाये, क्योंकि उनका साठ प्रतिशत काम रात को होता है। वे केवल यह चाहते हैं कि रात का भत्ता देने का सिद्धान्त स्वीकार किया जाये।

मैं उन पर जोर देता रहा हूं कि वे त्यागपत्र न दें। किन्तु अब वे मेरी बात नहीं मानते। मंत्री महोदय उन्हें आवश्यक सेवाओं के क्षेत्र में ले आये हैं। मुझे आज एक पत्र प्राप्त हुआ है, कि इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वे जेल जाने के लिये भी तैयार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सरकार ने असिस्टैंट हार्बर मास्टरों की पदाली को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। मुझे मालूम हुआ है कि इन पदाधिकारियों ने हड़ताल नहीं की बल्कि त्यागपत्र दे दिये हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आवश्यक सेवा (संधारण) आदेश के अन्तर्गत उन्हें काम के लिये बाध्य करने के लिये कैसे कार्यवाही कर सकती है ?

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कलकत्ता बन्दरगाह में स्थिति ठीक करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है, ताकि त्यागपत्र देने वाले पदाधिकारियों के स्थान पर अन्य लोग काम कर सकें ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मेरे पास कुछ तथ्य हैं, जो मैं अभी सभा के सामने नहीं रखूंगा। यदि आप चाहें, तो मैं सोमवार को एक वक्तव्य दे दूंगा। किन्तु श्री एन्थनी और श्री कामत की बातों का उत्तर दे देता हूं।

यह ठीक है कि मैं इन असिस्टैंट हार्बर मास्टरों से मिला था हमने उनके लंगर डालने के शुल्क के बारे में कुछ प्रस्ताव किया था। हम उन्हें रात का शुल्क देने के लिये तैयार नहीं थे और यह स्पष्ट कर दिया गया था। वे अपने वेतन में भी वृद्धि चाहते थे, जो रात के शुल्क के रूप में या किसी अन्य रूप में दिया जाये। हमने कहा था कि हम इस मामले पर विचार करेंगे। वास्तव में उनके मासिक वेतन में १२५ से २०० रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था, किन्तु यह उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। इसलिए मैं ने उनसे कहा था कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें और मुझे फिर लिखें। उन्होंने अपना अभ्यावेदन भेजा। हमने उस पर पूर्णतया विचार किया और यह पाया कि कलकत्ता के असिस्टैंट हार्बर मास्टरों को दिये गये अतिरिक्त वेतन की प्रतिक्रिया अन्य पत्तनों में भी होगी क्योंकि अन्य पत्तनों में भी असिस्टैंट हार्बर मास्टर थे।

इसलिये हमने बम्बई, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम के पोर्ट ट्रस्ट के सभापतियों की एक बैठक की। वे कुछ ही दिन पहले आये थे और उन्होंने कहा कि यदि कलकत्ता पत्तन के बारे में एक पक्षीय रूप से कोई निर्णय किया गया तो इससे उनके लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी किया जाये वह सभी पत्तनों के लिये किया जाये और इस सम्बन्ध में किसी स्वतन्त्र प्राधिकार द्वारा विचार किया जाये। मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई हल नहीं हो सकता।

इसलिये हमने तुरन्त ही इस मामले को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर के समक्ष किसी व्यक्ति को सौंपने का निश्चय किया। हमने ऐसा कर दिया है। उसने इस महीने की २१ तारीख निश्चित की है तथा पोर्ट ट्रस्ट और उसके कर्मचारियों दोनों पक्षों को उनके समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। निश्चय ही मेरा उनसे सीधा सम्पर्क नहीं है किन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्हें यह आशंका है कि इस न्यायनिर्णयन में बहुत समय लगेगा। मैंने परिवहन सचिव से पूछताछ की है और हमें यह ज्ञात हुआ है कि लगभग एक महीने में इन प्रश्नों का निर्णय करना न्यायाधीश के लिये संभव होगा। यदि इसमें कुछ अधिक समय लग भी जाता है तो हम वह सब देने के लिये तैयार हैं। जो किसी भूतलक्षी आधार पर निश्चित किया जाये। इसलिये यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि कोई विलम्ब न होगा। इसका निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होगा और न्याय-निर्णेता द्वारा जो कुछ निश्चित किया जायेगा वह भूतलक्षी आधार पर दे दिया जायेगा।

तीसरे, उन्हें एक और सन्देह था क्योंकि न्याय-निर्णेता की सिफारिशों को स्वीकार करना या न करना सरकार पर निर्भर था। सरकार कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है और कुछ को अस्वीकार कर सकती है। किन्तु मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा एक स्पष्ट आश्वासन दिया जा सकता है कि न्याय-निर्णेता की सिफारिशें चाहे जो हों उन्हें सरकार सम्पूर्णतः स्वीकार कर लेगी। इन आश्वासनों को देखते हुए इन अफसरों ने जो रुख अपनाया है उसे समझना मेरे

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये वास्तव में कठिन है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्हें वास्तव में कठिनाई है, यदि हड़ताल करने का निर्णय करते हैं तो मैं समझ सकता हूं। किन्तु यदि १,२००, १,५०० और १,७०० रुपये वेतन पाने वाले अफसर इस प्रकार हड़ताल करने लगें तो सभा इस बात का अनुमान भलीभांति लगा सकती है कि स्थिति विशेषकर हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में क्या होगी।

कलकत्ता का पत्तन बहुत महत्वपूर्ण है; उसके जरिये हमारा ५० प्रतिशत आयात और निर्यात होता है। इसलिये सरकार के समक्ष इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है कि वह आपत्तिक स्थिति की घोषणा कर दे और इस आपात काल में वे काम नहीं छोड़ सकते। यदि वे काम रखने से इनकार करते हैं तो निश्चय ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। किन्तु यदि वे अपने निर्णय में परिवर्तन करने और पूरे विषय पर फिर से विचार करने के लिये तैयार हों तो मेरा ख्याल है कि उनका यह कार्य दूरदर्शितापूण होगा और संभवत: उनके और कलकत्ता पत्तन के भी हित में होगा।

जहां तक श्री कामत के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैंने बताया है उससे उन्हें यह ज्ञात हो गया होगा कि यह स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई। यदि ये अफसर हड़ताल कर दें तो कलकत्ता पत्तन का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। चूंकि प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है इसलिये वे हमें बाध्य करना चाहते हैं। वे हमें बाध्य कर सकते हैं; वे इस बात को जानते हैं। किन्तु मैं इसे स्वीकार न करूंगा; हम कम काम करेंगे। कलकत्ता पत्तन म काम कम होने दीजिये और पहले जितना माल लादा और उतारा जाता था उसका आधा ही लादा और उतारा जाने दीजिये। हो सकता है कि हमें इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़े। किन्तु अफसरों ने जो अनुचित रुख इस समय अपनाया है उसके सामने हम झुक नहीं सकते। आज स्थिति यह है और हमें किसी न किसी प्रकार से उसका सामना करना होगा। मौजूदा परिस्थितियों में हमसे जो कुछ बन सका वह हमने किया है।

†**श्री कामत** : समाचारपत्रों में प्रकाशित एक समाचार में यह कहा गया है कि उनके त्याग पत्र गत मध्यरात्रि से लागू हो गये हैं। क्या उसके बाद से उन्होंने त्यागपत्र वापिस ले लिये हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है ये लोग अफसर हैं और वे अपनी नौकरी और भविष्य-निधि तथा अन्य विशेषाधिकारों को इतनी सरलता से नहीं छोड देंगे। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में उन्हें गलतफहमी प्रतीत होती है। माननीय मंत्री ने.....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा है कि आपात् स्थिति की घोषणा कर दी गई है। माननीय सदस्य को मैं अवसर दे चुका हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : बात केवल.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने दोनों पक्षों द्वारा कही गई बातें सुन ली हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : किन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि इसका प्रभाव अन्य सेवाओं पर पड़ेगा। बात केवल यह है कि ये लोग रात में काम करते हैं और वे चाहते हैं कि इस बात पर विचार किया जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, क्या हम इस मामले पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को देखते हुए कि सभी संभव कार्यवाही की गई है और वे सोमवार को एक और वक्तव्य देंगे, इन स्थगन प्रस्तावों को सम्मति देना मैं आवश्यक नहीं समझता।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिका) नियम

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य-मंत्री (श्री विश्वास)** : श्रीमान्, श्री पाटस्कर की ओर से मैं जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अधीन अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. १९४३, दिनांक ३० अगस्त, १९५६ में प्रकाशित जन प्रतिनिधान (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिका) नियम, १९५६ की एक प्रति सभा पटलपर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये एस०–३७७/५६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस धारा की सम्बन्धित उप-धारा में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष कम से कम ३० दिन के लिये रखे जायेंगे और संसद् उस सत्र में या उसके बाद के सत्र में उन में जो चाहे रूपभेद कर सकती है। यह सत्र और ५–६ दिनों तक चलेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि ये नियम अगले सत्र में पुनः २४ या २५ दिन के लिये रखे जायेंगे या तीस दिन की अवधि में दोनों सत्रों के बीच की अवधि भी सम्मिलित है ? यह तो दोनों सदनों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस नियम को और तत्सम्बन्धी उपबन्धों को पढ़ा है। मेरा ख्याल है कि ये पुनः सभा पटल पर रखे जायेंगे। माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देता हूं कि ये नियम ३० दिन की पूरी अवधि के लिये सभा पटल पर रखे जायेंगे। दोनों सत्रों के बीच की जो अवधि है वह इस में नहीं मिलाई जायेगी।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : क्या सरकार हमें इन नियमों की प्रतियां देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कुछ प्रतियां प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। ये नियम गजट में अवश्य प्रकाशित हुए होंगे और उसकी प्रतियां संभवतः उपलब्ध हों।

†**श्री विश्वास** : मेरा भी ख्याल यही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतियां प्रकाशन काउन्टर पर रखी जायेंगी।

†**श्री विश्वास** : प्रतियां शायद उपलब्ध हों।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सरकारी धन का कथित अपव्यय

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : श्रीमान्; नियम २१६ के अन्तर्गत मैं माननीय योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दामोदर घाटी निगम परियोजना में सरकारी धन की बरबादी के बारे में श्री पी० एस० कुमारस्वामी राजा द्वारा दिया गया वक्तव्य।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : श्रीमान्, दामोदर घाटी निगम परियोजना के बारे में श्री कुमारस्वामी राजा द्वारा २९ अगस्त, १९५६ को दिये गये वक्तव्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर घाटी निगम परियोजना में सरकारी धन की बरबादी हुई है इस निष्कर्ष पर वे इस आधार पर पहुंचे हैं कि उन्होंने बांध के निर्माण स्थान पर कोई छः एक्झीक्यूटिव इन्जीनियरों को एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के मातहत काम करते देखा जबकि लोअर भवानी बांध के निर्माण का दायित्व केवल एक एक्झीक्यूटिव इन्जीनियर को सौंपा गया था।

दूसरे, दामोदर घाटी निगम परियोजना में बांध की पानी निकलने की जगह के निर्माण के लिये कंकरीट को काम में लाया गया हैं जबकि लोअर भवानी बांध की पानी निकलने की जगह में निर्माण के लिये पत्थर को काम में लाया गया है।

दामोदर घाटी निगम के सभापति ने समाचारपत्रों में एक वक्तव्य पहले ही देकर दामोदर घाटी निगम में धन की बरबादी सम्बन्धी आरोपों का खंडन किया है।

जहां तक इन दो परियोजनाओं में नियुक्त अधीक्षणात्मक कर्मचारियों की संख्या में अन्तर का सम्बन्ध है, लोअर भवानी बांन्ध में केवल एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर है केवल इस बात को एक आदर्श या सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं समझा जा सकता। एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के लिये ४ या ५ असिस्टैंट इन्जीनियरों के काम का अधीक्षण करना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोअर भवानी परियोजना में एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के मातहत २१ सहायक इन्जीनियर रखे गये हैं। जिस विशेष परिस्थिति में वह कुछ विचित्र सा संगठन गठित किया गया था। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैथों में जो अधीक्षणात्मक कर्मचारी हैं उनकी संख्या की तुलना ऐसी ही परियोजनाओं में नियुक्त अधीक्षणात्मक कर्मचारियों की संख्या से की जाये तो उसे अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। कर्मचारियों की नियुक्ति के सभी प्रस्तावों की जांच निगम द्वारा उनके वित्तीय परामर्शदाताओं के परामर्श से सावधानीपूर्वक की जाती है। कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक नियुक्ति के किसी मामले की ओर वित्तीय परामर्शदाता या मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा भारत सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया।

स्थानीय परिस्थितियों में अन्तर को ध्यान में रखते हुये काम की समूची दरों की तुलना की जाये तो किसी परियोजना में आधे दर्जन एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियरों की उपस्थिति पर आधारित निष्कर्ष की अपेक्षा, धन की बरबादी का वह एक अधिक विश्वसनीय सूचक होगा। मैथों बांध और लोअर भवानी बांध परियोजनाओं में कार्य की तुलना के लिये उपलब्ध एक बड़ी मद 'मिट्टी की खुदाई' है। कुछ समय पहले मिट्टी खोदने की दरों की तुलना का अवसर हमें मिला था क्योंकि यह दावा किया गया था कि लोअर भवानी में दो मील लम्बाई तक मिट्टी खोदने की दर प्रति १००० घन फुट ४८ रुपये थी जबकि हिराकुड में इस की दर लगभग दुगुनी थी। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा दामोदर घाटी निगम के अफसरों ने इन दरों की अलग-अलग जांच उस स्थान पर की। उनके निष्कर्ष लगभग एक से थे और वे यह थे कि लोअर भवानी में दरों के कम होने के बारे में जो दावा किया गया है उसकी पुष्टी खर्च की सभी संगत मदों पर विचार करने पर नहीं होती। मैथों की दरें यद्यपि ऊंची हैं तथापि लोअर भवानी की दरों की तुलना में तथा स्थानीय परिस्थितियों में विद्यमान अन्तर को ध्यान में रखा जाये तो वे लगभग समकक्ष हैं। लोअर भवानी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मजदूर कम मजदूरी पर मिल जाते हैं जबकि दामोदर घाटी निगम परियोनाएं अत्यधिक उद्योग प्रधान क्षेत्रों में स्थित हैं। मैथों में अदक्ष मजदूरों की जो मज़री थी वह लगभग शतप्रतिशत अधिक थी। मैथों में बार-बार होनेवाले मजदूरों के विवादों ने किसी हद तक व्यय को बढ़ा दिया है। मैथों में वर्षा काफी होती है और इसके फलस्वरूप काम करने का मौसम लोअर भवानी की अपेक्षा काफी कम होता है जहां वर्षा अधिक नहीं होती और काम लगभग वर्ष भर किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

स्थानीय स्थिति पर विचार करने के बाद ही निर्माण-कार्य में प्रयोग की जानेवाली सामग्री का चुनाव किया जाता है। जैसा कि दामोदर घाटी निगम के सभापति ने बताया। इस विषय में हमें प्रविधिज्ञों के मतपर निर्भर रहना पड़ता है। स्पष्ट है कि श्री कुमारस्वामी ने अपने भाषण में मैथों बांध का उल्लेख किया है। इस बांध का निर्माणकार्य प्रारम्भ करने से पहले उसकी अर्थ-व्यवस्था के बारे में पूरी जांच की गई थी। चिनाई के लिये उपयुक्त पत्थर दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसलिये उस क्षेत्र में पत्थर की चिनाई करके निर्माण किये गये बांध में खर्च कम होता है। गंगा के तास के उत्तरी और दक्षिणी भाग में पत्थर सुविधा से उपलब्ध नहीं है और दूरस्थ स्थानों से उसे लाने में परिवहन व्यय काफी होगा। इसके अतिरिक्त पत्थरों के परिवहन से परिवहन व्यवस्था पर और अधिक भार आ पड़ेगा जो पहले ही बोझ से दबी हुई है। उच्च कोटि के इन्जीनियरों से इस विषय पर परामर्श लेने के बाद ही दामोदर घाटी निगम के बांधों के निर्माण के लिये कंकरीट को सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री होने के नाते चुना गया था।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** (सैलम): क्या श्री कुमारस्वामी राजा ने यह वक्तव्य उड़ीसा के राज्यपाल की हैसियत से दिया था ?

†**श्री नन्दा :** एक भाषण दिया गया था और राज्यपाल के निजी सचिव से हमें ज्ञात हुआ है कि वह भाषण तत्काल दिया गया था और उसका कोई अभिलेख नहीं था। हमें केवल समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार प्राप्त हुए हैं।

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : चूंकि अगले सप्ताह के कार्य के बारे में घोषणा कर दी गई है इसलिये मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ कहना नहीं है।

किन्तु जहां तक श्री मात्तन के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मुझे यह सुझाव दिया गया है कि भारत की प्रशासनीय व्यवस्था पर डा. एपलबी के प्रतिवेदन पर चर्चा को १३ सितम्बर को रखने की बजाय पहले रखा जाये। यह सुझाव पहले दिया गया था। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यदि आप ठीक समझते है तो दो घंटे की यह चर्चा ११ या १३ सितम्बर के प्रश्न-काल के बाद हो जाये बजाय इसके कि यह इस सत्र के अन्तिम दिन ५ बजे से शाम के ७ बजे तक हो। चूंकि प्रधान मंत्री १२ तारीख को राज्यसभा में इसके बारे में कुछ कहेंगे इसलिये यह चर्चा इस सभा में ११ या १३ तारीख को प्रश्न काल के बाद हो सकती है।

†**कुछ माननीय सदस्य :** हम ११ तारीख का सुझाव देते हैं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा सोमवार के स्थान पर मंगलवार को की जाये ताकि यदि सदन सहमत हो तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धि चर्चा को सोमवार को जारी रखा जा सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आज प्रारम्भ हो रही है और यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चर्चा को बीच में रोकना है तो इसे सोमवार क्यों न रोका जाये ? उस विधेयक को समाप्त कर दीजिये और उसके बाद योजना पर चर्चा करने के लिये हमारे पास कई दिन एक साथ होंगे।

†**श्री कामत** : मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक की चर्चा में भाग लेना चाहता हूं किन्तु सोमवार को राष्ट्रपति मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आयेंगे अतः मुझे वहां जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो मैं आपको आज अवसर दे दूंगा।

†**श्री सै० वें० रामस्वामी** (सैलम) : क्या श्री मात्तन के प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा के साथ नहीं लिया जा सकता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा ही किया जा रहा है। हमारे पास ३० घंटे का समय है। अतः हम शेष दिनों में आध घंटे सवेरे और आध घंटे शाम को अधिक बैठा करेंगे। सोमवार को चार घंटे विधेयक पर और दो घंटे डाक्टर एपलबी की रिपोर्ट पर व्यय किये जायेंगे।

†**श्री कामत** : तब तो मैं दोनों से चूक जाऊंगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २३ मई, १९५६ को प्रस्तुत द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प पर और आगे चर्चा होगी। इसके बारे में माननीय मंत्री कुछ शब्द कहेंगे।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : २३ मई, १९५६ को प्रधान मंत्री ने द्वितिय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया था। जिस पर २५ मई तक चर्चा हुई। उस के पश्चात उस पर और आगे विचार के लिये उस विषय पर विचार स्थगित कर दिया गया था। सबसे पहले तो मुझे विभिन्न समितियों के प्रशंसनीय कार्य के बारे में कुछ शब्द कहने हैं।

संसद सदस्यों के लिये इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया था कि उन्हें योजना के सब पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सके। विभिन्न समितियों में मैं भी गया था और वास्तव में सदस्यों नें योजना में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव पेश किये।

मुझे अपने भाषण में कोई नयी बात नहीं कहनी है।

मैं केवल वे ही मुख्य बातें बताऊंगा जो इस विषय में कही गयी हैं।

चर्चा के समय, एक अर्धविकसित देश में विकास कार्यों की गति को सहसा बढ़ाने के परिणामों पर प्रकाश डाला गया था। श्री अशोक मेहता ने आर्थर लेविस की पुस्तक से अनेक उद्धहरण दिये थे। उनके बारे में मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के हेतु कुछ शब्द कहने हैं।

श्री अशोक मेहता का कहना है कि जिस अनुपात से बचत होती है उसी अनुपात से विकास होता है। अर्धविकसित देशों में, अधिकांश लोग निर्धन होते हैं और उनके लिये बचत करना कठिन होता है जब जल्दी विकास करना हो तब यह काम और भी कठिन हो जाता है। आमदनी का कुछ अंश बचा कर विकास में लगाना और आर्थिक क्षमता बढ़ाना बहुत कठिन कार्य है। इसी सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि खपत में वृद्धि करना भी मुश्किल है। अतः उसकी चर्चा करना व्यर्थ है और लोगों के आगे झूठे वायदे करन से क्या लाभ है।

दूसरी बात अशोक मेहता ने यह कही कि यदि जनता को योजना से कोई भौतिक लाभ नहीं हुआ तो हम इसके बदले उसे और क्या दे सकते हैं। वे चाहते हैं कि देश में एक उपयुक्त समाज व्यवस्था की जाये जिस में आर्थिक और सामाजिक समानता हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि जब रुपया किसी काम में लगाया जाता है तो उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति दृढ़ होती है। इससे असमानता और बढ़ जाती है। द्वितीय योजना की सफलता के लिये हमें ऐसी आशंकाओं को दूर करना चाहिये। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें स्थिति पर विचार करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

सिद्धान्त रूप में हम इन बातों से सहमत हैं किन्तु व्यवहारिक रूप में उग्रवादी होना आवश्यक नहीं है। पहले मैं जीवन स्तर ऊंचा करने के प्रश्न को लेता हूं। यह तो मैं मानता हूं कि जनता की आशाओं को पूरा करना संभव नहीं होता क्योंकि जनता अपनी बढ़ी हुई आय को खर्च कर देती है। इसके अतिरिक्त आशायें बहुत बढ़ रही हैं।हमारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ही ऐसी है कि हम जनता को उसकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक जागरूक बनाते हैं। इस प्रकार उसकी आशायें बढ़ती जा रही हैं। प्रजातंत्र में हम लोगों को खपत कम करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। कुछ नियन्त्रण पून्जीवादी देशों में थोपे गये थे और कुछ अन्य देशों में जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान न देकर प्रगति की गयी थी। हम वे सब चीजें यहां नहीं कर सकते, हमें तो जनता को लाभ पहुंचाना है।

जिन सदस्यों ने योजना का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इसके विषय में चिन्ता की कोई बात नहीं है। प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा प्रतिव्यक्ति आय में ११ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति खपत ९ प्रतिशत बढ़ गयी है। द्वितीय योजना में खपत के १४ प्रतिशत और बढ़ने की आशा है। योजना के विनियोग लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और वाह्य संसाधनों की प्राप्ति में विश्वास रखते हुए कुल १३,४८० करोड़ रुपये की योजना काल की आय में से १२,१७० करोड़ रुपये खपत पर व्यय होंगे। इस प्रकार १९५०–५१ की खपत की अपेक्षा लगभग ४० प्रतिशत खपत बढ़ जायेगी। प्रति व्यक्ति २३ प्रति शत खपत बढ़ जायेगी।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : आप पांच वर्ष की रिपोर्ट भी सुना दीजिये और चर्चा का सारा समय ले लीजिये।

†**श्री नन्दा** : मैं तो श्री अशोक मेहता की मुख्य मुख्य बातों का उत्तर दे रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि एक या डेढ़ औंस भोजन अधिक मिलेगा या दो, तीन गज कपड़ा अधिक मिलेगा, किन्तु मूल आय में अवश्य वृद्धि हुई है। चाहे चालीस रुपये पाने वाले के लिये एक दो आने से कोई लाभ न हुआ हो किन्तु दस आने वाले को बारह आने या एक रुपया मिलना निस्सन्देह लाभकारी होता है। इस विषय में यही स्थिति है।

अब मैं असमानता के प्रश्न को लेता हूं। मैं यहां नकद नहीं बल्कि परिमाण की चर्चा कर रहा हूं। खपत की वृद्धि भी परिमाण में हुई है। यद्यपि हम सामाजिक समानता की ओर भी प्रगति कर रहे हैं फिर भी हमारा ध्यान इस ओर प्रायः दिलाया जाता है। हमसे कहा जाता है कि हम राष्ट्रीयकरण में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और सरकारी उद्योग अधिक नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारे दिमाग़ में अनेक योजनायें हैं। प्रधान मंत्री ने कल राज्यसभा में बताया कि हम सबसे अधिक प्राथमिकता उत्पादन हैं। रोजगार भी उतना ही जरूर है किन्तु हम देश के उत्पादन को किसी प्रकार से रोकना नहीं चाहते। इस का यह अर्थ नहीं है कि हम असमानताओं पर ज़ोर दे रहे हैं। यदि हमारे उद्देश्यों में कोई रुकावट होती है अथवा सामाजिक समानता में आर्थिक स्थिति से कोई अड़चन पैदा होती है, तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

इस विषय में मैं सभा को बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की याद दिलाना चाहता हूं। इसी प्रकार राज्य-व्यापार के सम्बन्ध में भी हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ हम असमानतायें दूर करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

गैरसरकारी क्षेत्र से भी मैं बहुत कुछ परिचित हूं। यह ठीक ही है कि उस क्षेत्र में कुछ त्रुटियां हैं फिर भी यदि उन लोगों से कहा जाये कि वे देश के लिये कुछ त्याग करें, तो मैं आशा करता हूं कि वे इसके लिये अवश्य तैयार होंगें। वर्तमान परिस्थितियों में हमें उत्पादन वृद्धि के लिये प्रत्येक साधन का प्रयोग करना चाहिये। पूंजीपतियों को काफी अनुभव है और उन के पास पूंजी है जिससे हमें लाभ उठाना है। साथ ही हमें उनको अनुचित लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। हम उन्हें अपने साथ मिला सकते हैं। वे राष्ट्र के आह्वान में सम्मिलित हो सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपालानी** : भूदान आन्दोलन में सम्मिलित हो सकते हैं ।

†**श्री नन्दा** : भूदान भी अच्छा आन्दोलन है, मुझे इस के बारे में काफी पता है ।

दूसरा प्रश्न सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में है । मुझे यहां पर सारा ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य आचार्य कृपालानी ने कहा, ये सारी बातें योजना में हैं । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, किन्तु फिर भी मैं इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी उपक्रमों पर ३,८०० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे और गैर-सरकारी उपक्रमों पर २,४०० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे, अर्थात ६१:३९ के अनुपात में विनियोजन होगा । प्रथम योजना के मुकाबले में यह कहीं अधिक है ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्तरों के बीच असमानता की बात भी उठाई गई है । मैं सभा के समक्ष केवल एक बात रखना चाहता हूं । देश में सामाजिक शान्ति और स्थिरता लाने के लिये प्रत्येक सरकार को इस बात का भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा कि समाज में समता उत्पन्न हो और क्योंकि हमें योजना के लिये बड़ी मात्रा में साधन जुटाने हैं, इससे वह बात अनिवार्य रूपसे हो जायेगी । ये दो बातें हैं और यह सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि जहां तक संभव हो असमानतायें दूर हों और समाज के सारे वर्गों तथा श्रेणियों के साथ उचित व्यवहार हो । अतः सरकार का पहला काम उत्पादन होगा, क्योंकि जैसा कि मैं ने कहा यह मर्जी का सवाल नहीं है, अपितु अनिवाय है ।

योजना की इस समस्या के बारे में एक बात और है और वह है सामाजिक न्याय की । इसी प्रसंग में मैं भूमि सुधारों का उल्लेख करना चहता हूं । भूमि सुधार की समस्या पर संकुचित रूप में विचार किया गया है । भूमि सुधार की समस्या वस्तुतः सामाजिक न्याय संबंधी समस्या है और देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह समस्या उससे बढ़कर एक उपयुक्त संगठन, उपयुक्त भूमि संबंधी प्रणाली की समस्या है, जिससे देश को अपने संसाधनों, भूमि और जन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग उठाने का अवसर मिले, देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो, उसमें परिवर्तन आये, जिससे भूमि पर कार्य करने वाले मनुष्यों की संख्या कम हो, सब को पूरा रोजगार दिया जा सके—जो इस समय नहीं हो रहा है—और प्रत्येक को पूरा रोजगार देने के बाद जो भूमि बंजर साबित होगी, उसे आसानी से दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सके । यह भूमि सुधार का स्थूल रूप है । मैं बताना चाहता हूं कि गत ४, ५, अथवा ६ सालों के दौरान में भूमि सुधार के मामले में हमने काफी तेजी से काम किया है, यद्यपि यह कहा जाता है, कि हमने पर्याप्त गति से काम नहीं किया है । मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि सारी परिस्थितियों का विचार करते हुये हमने इस अवधि में जो प्रगति की है, वह काफी है ।

मैं आपके समक्ष सीधे-साधे तथ्य प्रस्तुत करूंगा । मैं बीच के लोगों के प्रश्न के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता । इसके बारे में सभी जानते हैं । १४ राज्यों में अर्थात ६० प्रतिशत देश में लगान एक चौथाई अथवा उससे भी अधिक कम कर दिया गया है । बम्बई, राजस्थान आदि में तो लगान छठा भाग कर दिया गया है । अन्य चार राज्यों में अर्थात देश के १० प्रतिशत भाग में लगान एक-तिहाई तय किये गये हैं । शेष ३० प्रतिशत भाग में लगान अभी भी एक-तिहाई से ज्यादा है, अथवा उनका विनियमन नहीं किया गया है ।

काश्तकारी के पट्टे की सुरक्षा के बारे में, १४ राज्यों में अर्थात देश के ६५ प्रतिशत भाग में काश्तकारों को यह अधिकार दिया गया है कि जब तक चाहें रहें और भूमिधर पर यह बन्धन लगा दिया गया है कि उसे खुद काश्त करने के लिये ही केवल थोड़ा सा खेत मिल सकता है । कुछ छोटे छोटे राज्यों को छोड़ कर काश्तकारों का भूमि से हटाया जाना बंद कर दिया गया है । कुछ राज्यों में व्यापक भूमि सुधार संबंधी विधि बनने तक ऐसा अस्थायी विधान बनाकर किया गया है । यह कुर्ग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

और त्रिपुरा के दो राज्यों में किया गया है। मैंने उनका उल्लेख इसलिये किया, क्योंकि कुछ सदस्यों ने काश्तकारों की बेदखली के प्रश्न का बार बार उल्लेख किया था। राज्य सरकारों से एकत्र की गई जानकारी से पता चलता है कि हाल के सालों में बेदखलियों के मामले लगभग नहीं के बराबर हुए हैं।

अन्य प्रश्न भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारित करने और काश्तकारों द्वारा भूमि खरीदने के अधिकार का है। दो राज्यों में काश्तकारों का राज्य से सीधा संबंध कर दिया गया है। अन्य नौ राज्यों में, क्रय का अधिकार काश्तकारों को मिल गया है। इन ११ राज्यों में देश की ५० प्रतिशत भूमि आ जाती है। ६ राज्यों ने कानून पास किये हैं जिनके द्वारा जोनों की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी गई है। पांच अन्य राज्यों ने भविष्य में भूमि के अर्जन पर सीमा निर्धारित कर दी है।

भूमि सुधार के संबंध में एक आपत्ति की गई थी। इस संबंध में आलोचना की गई थी कि भूमि सुधार मंडल ने कुछ सुझाव दिये थे और उनमें रूपभेद किया गया या उनको कम कर दिया गया। मुझसे कहा गया है कि मैं इस बात का उत्तर दूं। मैंने उस मंडल के सुझावों और योजना के इस संबंध में दी गई बातों की परस्पर तुलना की है। मैं यह देख रहा हूं कि इसमें काफी भेद है। उदाहरण के लिये भूमि की ऊपरी सीमा के संबंध में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। इस समस्या को निपटाने का तरीका भिन्न नहीं है। परन्तु यह बहुत यथार्थवादी है, इस अर्थ में कि किसी राशि विशेष को सामने रखकर ऊपरी सीमा की परिभाषा करना संभव नहीं समझा गया परन्तु कुछ और कसौटियां रखी गई हैं जो अधिक सुविधाजनक और अधिक व्यवहार्य हैं। हमें परिस्थितियों पर विचार करना है जो प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं और इस विविधता के लिये कोई गुंजाइश रखनी है।

एक और बात भी है। अर्थात हम चाहते हैं कि हम जो कुछ निर्णय करें उसको लागू किया जाये। हम पर यह आरोप लगाया जाता है "आप कानून पास करते हैं और उन कानूनों को लागू नहीं किया जाता" प्रशासन में उन सुधारों को लागू करने की जो क्षमता है, अगर हम उस से अधिक तीव्र गति से काम करें तो यह आरोप हम पर लग सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि जो कुछ किया जाये वह ठीक ढ़ंग से किया जाये और जैसा कि मैंने कहा इस काल में काफी प्रगति हुई है। मुझे विश्वास है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में बहुत कुछ लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जायेगी।

भूमि सुधार के संबंध में मैं उसके एक पहलू की ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है सहकारिता के आधार पर खेती। यह बात मेरे उस कथन से उत्पन्न होती है, जो भूमि सुधारों के संबंध में हमारे लक्ष्य के बारे में थी। इन उद्देश्यों में सफलता के लिये सहकारिता के आधार पर खेती अत्यावश्यक है। हम भूमि के संबंध में सहकारिता आन्दलोन को किसी संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखते बल्कि उस प्रयोजन की दृष्टि से देखते हैं जिसकी चर्चा मैंने की है अर्थात अधिक अच्छा उत्पादन, अधिक सामाजिक न्याय और वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सुधार और विकास के अवसर। तो हम इस दृष्टिकोण से भूमि सुधारों की समस्या पर विचार करते हैं। यदि हम खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और यह सब काम करना चाहते हैं तो हमें इस पहलू की ओर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा और इस संबंध में सुझाव सरकार के सामने हैं जो कि माननीय सदस्यों को भी मालूम हैं।

अब मैं एक और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आता हूं। यह प्रश्न जनता के सहयोग का है। माननीय सदस्यों ने कई बार इस पहलू पर जोर दिया है। वे भी इसे उतना ही महत्व देते हैं जितना कि हम। यह कहा गया है कि जनता के समुचित सहयोग के बिना योजना में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं इससे सहमत हूं और यह कहना चाहता हूं कि जनता के सहयोग को उस संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये, अर्थात यह कि कहीं कहीं श्रमदान हो इसका महत्व बहुत अधिक है बल्कि यह बुनियादी महत्व की बात है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सर्वस्व दान।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : अपने पास वाले माननीय सदस्य से पूछिये ।

हमें जनता से स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा और जिन्स, नकदी और श्रम इत्यादि के रूप में सहयोग प्राप्त हो रहा है । किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । यदि हम योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें शत-प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** (मुजाफरपुर मध्य): कालेजों और स्कूलों के द्वारा ।

†**श्री नन्दा** : मैं उस पर भी आ रहा हूं ।

†**सेठ गोविन्द दास** (मंडला-जबलपुर दक्षिण) : उन्हें आंग्ल भाषा के माध्यम से पढ़ा कर ।

†**श्री नन्दा** : इस देश में बहुत सी जन-शक्ति ऐसी है जिस का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा रहा है । लोगों के पास काफी फालतू समय होता है जिस से हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं । हमें इस पर योजना के रुपये, आने और पाइयों के रूप में विचार नहीं करना चाहिये । जन-शक्ति एक ऐसी संपत्ति है जिस का यदि पूरी तरह उपयोग किया जाये तो यह कहीं अधिक बहु-मूल्य सिद्ध हो सकती है । हमें जन सहयोग के प्रश्न पर इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये । हमें योजना में लोगों से सजीव और उद्देश्यपूर्ण सहयोग प्राप्त करना है । इस प्रकार से जन सहयोग का विशेष महत्व होता है ।

हम से कहा जाता है कि "आप एक योजना आरंभ कर रहे है । चीन और रूस में भी योजनायें बनायी जाती हैं । उन के पास काम करवाने के लिये एक प्रकार की शक्ति है । वे कार्य करने के लिये बाध्य कर सकते हैं । और अपनी इच्छानुसार संसाधनों को जुटा कर अपने ढंग से उन्हें प्रयोग कर सकते हैं । आप यहां क्या कर रहे हैं ? उनके समान आप यहां कोई ऐसे उपाय काम में नहीं ला सकते जिस से हमारे लक्ष्य प्राप्त हो सकें और संसाधन जुटाये जा सकें ?" मेरा उत्तर यह है, "प्रशासन अपना काम अवश्य करेगा । यह कर रहा है ।" परन्तु यह पर्याप्त नहीं होगा । यदि हम आवश्यक मात्रा में जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम रही सही कमी भी पूरी कर लेंगे । प्रजातंत्र में हम लोगों को निदेश नहीं दे सकते । प्रजातंत्र में हम जनता के सहयोग से उस से कहीं अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जितने कि उन्होंने चीन और रूस में प्राप्त किये हैं । यह मेरा दृढ़ विश्वास है ।

†**श्री बे० ये० रेड्डी** : (करीम नगर) : आप कौन से उपायों का प्रयोग करेंगे । यह कैसे होगा ?

†**आचार्य कृपालानी** : यह अपने आप हो जायेगा ।

†**श्री नन्दा** : मैं उस पर भी आ रहा हूं । मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा । इसे करने का क्या तरीका है ? हम ही इसे बहुत महत्व देते हैं और हम इसे करेंगे । सब से पहले तो, लोगों को देश की आर्थिक स्थिति को और अधिक अच्छी तरह समझना होगा और उसके लिये हमें ज्ञान के प्रसार के साधनों को जुटाना होगा । लोगों को योजना के प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा । यह योजना का एक भाग है । ये व्यक्ति विकास कार्य के लिये श्रम और संसाधन उपलब्ध करेंगे । यदि हम निश्चय कर लें तो संसाधनों की यह समस्या, समस्या नहीं रहेगा ; किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस पर ठीक ढंग से विचार करें ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि विकास के लिये संसाधन वहीं उत्पन्न हो सकते हैं, जहां राशि का बहुत आधिक्य होता है । हम अल्प आय से अधिक आशा नहीं कर सकते हैं तथा आय में जो वृद्धि प्राप्त होगी वह अधिक उपयोग में व्यय हो जायेगी । मेरा मत भिन्न है । श्री अशोक मेहता ने उक्त मत व्यक्त किया था । हमारा उद्देश्य आय को इस प्रकार विस्तृत करना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

है, जिससे अधिक समान वितरण हो। विशेषत: कई योजनाओं और परियोजनाओं के कारण कई व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। यदि हम केवल अधिक आयपर कर लगाने पर निर्भर रहें तो स्थिति असम्भव हो जायेगी। यह स्थिति भयंकर होगी। अत: हमें अल्प आय वालों से भी आय प्राप्त करनी चाहिये और करों को भेदभाव रहित होना चाहिये। ये अप्रत्यक्ष कर हैं। जब बचत होती है तो मांग स्वत: ही नियमित हो जाती है। मांग व्यक्ति की क्षमता के अनुसार होती है। यदि योजना में आयोजित बढ़ी हुई आय में से हम वह अंश न ले सकें तो हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग के ऊपर उत्तरोत्तर दबाव पड़ेगा और कीमतों में वृद्धि होगी। अन्यथा हमारे लिये एक ही मार्ग खुला है कि हम सभी वस्तुओं का उपभोग कर डालें तथा बुनियादी और भारी उद्योगों तथा अन्य वस्तुओं, जो कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये आवश्यक हैं। विकास के लिये कुछ भी उपबन्ध न हो। इसलिये कई दृष्टिकोणों से यह बहुत आवश्यक है कि एक बड़े पैमाने पर अल्प बचत कार्यक्रम बनाया जाय। बचत का परिमाप थोड़ा हो सकता है किन्तु कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा जिसमें लाखों व्यक्तियों को सम्मिलित होना चाहिये। प्रत्येक कारखाने उपक्रम तथा हर स्थान के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये कहना चाहिये। उनसे इस कार्यक्रम का स्पष्टीकरण करना चाहिये। ऐसी प्रक्रिया बनाई जायेगी कि अल्प बचत की बहुत बड़ी राशि एकत्र हो सके। यह योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के मार्ग में आधारभूत साधन होगा। उसे पूरे जोर के साथ देश व्यापी आधार पर करना पड़ेगा। नियंत्रण से बचने का यह एक साधन होगा।

हम भौतिक नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं। सदस्य इस शब्द से भयभीत होंगे। अपने पुराने अनुभव को देखते हुए नियंत्रण नहीं होने चाहियें, किन्तु यदि मूल्यों में वृद्धि होती गई और कोई कार्यवाही न की गई तो लोग स्वयं कहने लगेंगे "इसके लिये कुछ करना चाहिये।" इसे रोकने के लिये सर्वप्रथम जनता के सहयोग की आवश्यकता है। जहां तक जनता के सहयोग का प्रश्न है यह एक विशाल क्षेत्र है जहां हम सभी कुछ न कुछ सहायता कर सकते हैं। इसके दूसरे पहलू भी हैं। संभवत: मैं करोड़ों रुपयों की बातें कर रहा हूं। मैं अन्य पहलुओं की बातें कर रहा हूं जो कि उस धन से जिसके सम्बन्ध में हम बातें कर रहे हैं कम उपयोगी नहीं हैं। यह लोगों के काम करने के तरीके का प्रश्न है अधिक अच्छा कार्य, अधिक सच्चा कार्य, और अनुशासित व्यवहार का योजना में बहुत महत्व है। केवल प्रशासन ही समान विरोधी तत्वों का सामना नहीं कर सकता है। सदस्य कह सकते हैं "आप सरकार हैं आपके पास पुलिस और सेना है आपको समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला करना चाहिये" ऐसा अवश्य किया जाना चाहिये किन्तु यदि उसमें जनता का सहयोग नहीं होगा तो यह केवल आंशिक सफलता ही होगी। मैं स्वीकार करता हूं कि जनता का सहयोग निश्चित नहीं है। संभव है जनता उसके लिये तत्पर हो, किन्तु आपको ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिससे जनता सहयोग करने को तैयार हो। वे शर्तें क्या हैं? यह स्वयंसिद्ध बात है कि जब बड़े पैमाने पर गतिशीलता होगी तो एक उपयुक्त संगठन बनाना होगा। कार्य को संगठित और व्यवस्थित होना चाहिये। भली भांति सुविचारित कार्यक्रम होने चाहियें जिनका जनता के जीवन की विभिन्न बातों से सम्बन्ध हो। इससे भी अधिक उसे वस्तुत: जनता का कार्यक्रम होना चाहिये जो स्वयं जनता द्वारा अनुप्राणित हो।

इस सम्बन्ध में एक अत्याधिक महत्वपूर्ण शर्त है। इस बात को आचार्य कृपालानी तथा अन्य व्यक्तियों ने रखा है। वह यह है कि जनता को ऐसा अनुभव होना चाहिये कि सरकार की नीति से देश में ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है जिसमें वे अधिक उत्साह से कार्य कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जनता का सहयोग ऐसे वातावरण में ही प्राप्त हो सकता है जहां शोषण कम हो, तथा लोगों के सामाजिक और आर्थिक सम्बन्ध न्यायोचित हों, भ्रष्टाचार कम हो और व्यर्थ का नाश न हो, ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं तथा उन्हें प्राप्त करना चाहिये। जनता के सहयोग के बिना कोई भी सरकार अपनी योजना में सफल नहीं हो सकती है उक्त सभी बातें करनी ही होंगी।

जनता के सहयोग के सम्बन्ध में एक भावना और भी है अर्थात् यह एक विशेष दल का मामला नहीं है। इसे दलबन्दी के आधार पर नहीं होना चाहिये। देश में कोई भी राजनैतिक दल इतना बड़ा नहीं है जो कि उक्त स्थितियों में इतने बड़े आकार की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। योजना को सभी राजनैतिक दलों के लोगों के सहयोग से पूरा करना होगा। जनता की अतिरिक्त शक्तियों को प्रयोग में लाने की बात व्यावहारिक तथा अव्यावहारिक दोनों प्रकार की है। इसमें सभी दलों को सहयोग करना चाहिये। मैं समस्त दलों के नेताओं से यह अपील करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरी सद्भावना पर अविश्वास नहीं करेंगे। मैं स्वयं ऐसे संगठन से सबन्धित हूं जहां इस बात का भरसक प्रयत्न किया जाता है कि सारा कार्य राजनैतिकता से परे, निष्पक्ष भाव से तथा जनता की आन्तरिक इच्छा द्वारा प्रेरित होने पर किया जाय। इस मामले में हमारी बहिनें बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं। विद्यार्थियों में, देश के संगठित युवकों में आदर्श-वाद तथा न्याय करने की क्षमता है। वे इसमें महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं।

†**श्री कामत :** साधुओं के सम्बन्ध में ?

†**श्री नन्दा :** जी हां। साधू भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। यह भी देश का एक संसाधन है जिसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में हूं जो अभौतिक वस्तुओं को भी महत्व देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जीवन का मूल, उसका तत्व केवल भौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं करता। वह अपनी शक्ति तथा विकास अमूर्त वस्तुओं से प्राप्त करता है। यदि साधुओं को देश का नैतिक और सामाजिक स्तर उठाने के लिये प्रशिक्षित किया जाय तो इससे देश को अत्यधिक लाभ हो सकता है।

†**श्री कामत :** मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

†**श्री नन्दा :** मैंने योजना की सफलता के लिये कुछ आवश्यक बातों का उल्लेख किया है। अब मैं प्रशासन के प्रश्न को लूंगा। जब हम औद्योगिक कार्यप्रणाली को उठाकर उसे अणु शक्ति के स्तर तक ले जाते हैं, तो प्रशासन में भी उसके समतल कार्यप्रणाली होनी चाहिये जो नये विकास का सामना कर सके। देश में उत्पादन वृद्धि के साथ प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ रही हैं। केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी बातें हो गई हैं, जिनकी पहिले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह केवल कुछ लक्ष्यों की पूर्ति का प्रश्न नहीं है किन्तु एक विशेष सामाजिक व्यवस्था के आदर्शों और उद्देश्यों की पृष्ठभूमि पर कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके लिये एक भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वही दृष्टिकोण तथा वही प्रणाली पर्याप्त नहीं होगी, उसे बदलना होगा। यही प्रशासन की समस्या उत्पन्न होती है तथा यह कार्य कठिनतर होता जा रहा है। माननीय सदस्य बहुत शीघ्र एपलबी प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। उक्त प्रतिवेदन में इस विषय से सम्बन्धित कई प्रश्न उठाये गये हैं। प्रारम्भिक प्रश्न यह है कि बड़े प्रश्नों के लिये बढ़ा दृष्टिकोण होना चाहिये। उसके लिये नया दृष्टिकोण होना चाहिये और नयी प्रणाली विकसित करनी चाहिये। सदस्यों के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि आलोचना का मुख्य विषय यह है कि निश्चय शीघ्र नहीं किये जाते हैं तथा प्रक्रिया विलम्बकारी होती है और जिम्मेदारी को टाला जाता है। हमें उसे बदलना है। साथ ही हमें यह भी देखना है कि ऐसा करते समय जनता की आन्तरिक प्रेरणा और उत्साह में कमी न हो। साथ ही हमें यह भी देखना है कि उचित नियंत्रण भी रहे, कार्य में बाधा न हो और व्यर्थ का नाश भी न हो। हमें ये कार्य करने हैं।

इस विषय पर एक पृथक चर्चा होने वाली है। मैं समुचित प्रशासन की बातों को विस्तार से नहीं लूंगा तथा जो बातें हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं उन पर भी अभी कुछ न कहूंगा। किन्तु मैं एक विषय का जिक्र कर देना चाहता हूं। यह सन्देह किया गया था कि यह नौकरशाही प्रशासन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

अधिक नौकरशाही बनता जा रहा है जब कि आवश्यकता इस बात की है कि इसे नौकरशाही के चंगुल से छुड़ा कर अधिक प्रजातांत्रिक बनाया जाय। किन्तु मैं एक बात नहीं समझ सका। प्रशासन में पूरे समय कार्य करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और वे पदाधिकारी होंगे। इसलिये पदाधिकारियों और अपदाधिकारियों का विभेद वहां होगा। किन्तु मुख्य प्रश्न यह है जब कि पदाधिकारियों और अपदाधिकारियों के बीच द्वंद रहता है यदि वे एक दूसरे से सहयोग करें तो बहुत काम हो सकता है। वे सहकारिता से बहुत सा कार्य कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे योजना के उन परिच्छेदों को देखें जिनमें एक महत्वपूर्ण विचार का उल्लेख है लेकिन जिस का अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है—अर्थात् जिला प्रशासन का प्रजातंत्रीकरण है। यह एक बुनियादी बात है। आजकल जिलों में होता क्या है ? सारी बात प्रशासन के ऊपर आती है। जहां तक जनता का प्रश्न है वे केवल पराधीन है। जो स्थानीय कार्य स्वप्रेरणा से आरम्भ किया जाता है वह किसी प्रकार से क्रियाकारी नहीं होता है। इस वस्तुस्थिति को रोकना होगा तथा व्यर्थ के नाश से बचना होगा। आर्थिक उन्नति के लिये प्रभावशाली व्यवस्थापन की आवश्यकता है तथा हम चाहते हैं कि इसमें जनता का सहयोग यथासंभव प्राप्त किया जाय। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन सदस्यों का ध्यान इस बुनियादी सुधार की ओर आकर्षित करूंगा जिसे करने का विचार किया जा रहा है। इसे क्रियान्वित करने से आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में महान परिणाम प्राप्त होंगे और इससे जनता को भी सन्तोष प्राप्त होगा।

अब मैं नियोजन का प्रश्न लेता हूं। मैं दो आवश्यकताओं, यथा सामाजिक न्याय और प्रशासन का प्रश्न ले चुका हूं। अब मैं नियोजन का प्रश्न लूंगा।

हमसे यह पूछा गया है कि क्या हमने लोगों के नियोजन के लिये भरसक प्रयत्न किया है। यह प्रश्न श्री अशोक मेहता के द्वारा पूछा गया था। श्री चटर्जी ने भी यही प्रश्न पूछा है। इतने पर भी श्री चटर्जी ने योजना के आकार के सम्बन्ध में आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि देश इस आकार की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर सकता है। इसके समर्थन में उन्होंने कुछ विशेषज्ञों के नाम भी लिये। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि नियोजन पूंजी लगाने से होता ह। यह अधिकांश उसी पर आधारित है। योजना जितनी बड़ी होगी नियोजन भी निस्सन्देह उतना ही बड़ा होगा। निस्संदेह मैं इसे स्वीकार करता हूं कि यह बात रूप रेखा, उद्योगों की रूपरेखा, व्यवसाय की रूपरेखा पर भी निर्भर है। लेकिन यह भी मानना होगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि, बढ़ते हुए नियोजन के मामले में यह विचार नहीं करना होगा कि बुनियादी उद्योग जिनमें इतनी अधिक पूंजी लगती है वे बहुत से व्यक्तियों को रोजगार देंगे अथवा वे भविष्य में बहुत से व्यक्तियों को रोजगार देंगे। वस्तुतः बुनियादी उद्योगों में अधिक पूंजी लगने पर भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा। मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं। इस्पात उद्योग में एक व्यक्ति को रोजगार देने में एक लाख रुपये व्यय होंगे। अन्य उद्योगों में ३०,००० रुपये, ४०,००० रुपये, ५०,००० रुपये प्रति व्यक्ति व्यय होंगे। अब यह बात स्पष्ट है कि चाहे हम नियोजन के लिये और पूंजी लगा सकते हैं किन्तु हम प्रति व्यक्ति इस अनुपात में नियोजन करके अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। यह भी सच है कि १९४७ से १९५२ की अवधि में जब कि विनियोग में ४०३ करोड़ से ७०३ करोड़ की वृद्धि हुई, नियोजन के आंकड़े १४ लाख या १५ लाख रहे। उनमें इससे अधिक वृद्धि नहीं हुई यह हमारे लिये एक चुनौती है।

इसलिये अब मैं देश की आर्थिक आवश्यकताओं और नियोजन की दृष्टि से कुटीर उद्योगों और छोटे पैमानें के उद्योगों के प्रश्न को लेता हूं। जैसा कि अनुमान लगाया गया है और योजना में उल्लिखित है, इतनी बड़ी राशि बड़े पैमाने के उद्योगों में लगायी जा रही है, उन बहुसंख्यक व्यक्तियों का क्या होगा जो कि बेकार रहेंगे, इसलिये नहीं कि वे बड़े पैमाने के उद्योगों में भाग नहीं लेना चाहते अपितु इसलिये कि उनके पास बड़े पैमाने के उद्योगों में लगाने के लिये पर्याप्त राशि नहीं है। वे या तो बेकार रहेंगे अथवा उन्हें निम्न श्रेणी की कार्यप्रणालियों को अपनाना होगा। यह देश की

आर्थिक स्थिति की मांग के विरुद्ध है। यहां पर कुटीर उद्योग अपना कार्य करेंगे या तो उन व्यक्तियों से कहा जाये कि उनके लिये कुछ करा को नहीं है तथा कि वह अपने सम्बन्धों पर आश्रित रहें और अपनी इच्छाओं का गला घोंट दें अथवा विकल्प रूप से उन्हें कुछ रोज़गार दिया जाये। ये लोग निरन्तर अन्य लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर जीवित रहते आ रहे हैं। स्थिति ऐसी है।

संभव है व्यक्तिगत नियोजन की दृष्टि से इसका कोई महत्व न हो, किन्तु समुदाय की दृष्टि से बेकार जनशक्ति भयंकर सामाजिक क्षति है। इस बात का विचार करने पर ही हमें गृह उद्योगों का महत्व ज्ञात होगा। मैं आधुनिकीकरण का विरोध नहीं करता हूं। उसका अपना स्थान है। बड़े पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त व्यक्ति कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को बनाये रखने में समर्थ होंगे। कुटीर उद्योग में बहुत से व्यक्तियों को रोज़गार देना सभंव है। उनमें आपस में कोई संघर्ष भी नहीं है। जहां तक उपभोग वस्तुओं का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में भी कोई विरोध नहीं है।

कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न इस प्रकार उठाया है कि हमारी प्रतिबन्धक नीतियों से उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई है और ऐसा कुटीर उद्योगों के कारण हुआ है। कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों की अवस्था इस प्रकार है। आप पहले देश की मांग तथा बचत के आधार पर देश की उपभोग वस्तुओं का लक्ष्य निश्चित करें। तत्पश्चात् गरीब व्यक्तियों को अधिकतम रोज़गार दीजिये। वे जो कुछ भी उत्पादन करें उन्हें करने दीजिये। और जो कुछ वे उत्पादन न कर सक उसे बड़े पैमाने के उद्योगों को करने दीजिये।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर–मध्य) : क्या आपकी नीति यह है कि वे जो कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं कर सकते हैं और अवशेष वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा किया जाये ?

†**श्री नन्दा** : उक्त दृष्टिकोण कर्वे समिति का है जिसे योजना आयोग और सरकार स्वीकृत कर चुकी है। विनियोजन तथा सक्रिय पूंजी के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है। उक्त दृष्टिकोण अधिकतम नियोजन देने के लिये किया गया है। श्री अशोक मेहता ने इस कठिनाई के लिये एक अजीब शब्द टेक्नालाजिकल लाक्स (प्रौद्योगिकीय बन्धन) शब्द का उपयोग किया हे। वस्तुत: एक उच्च स्तर और एक निम्न स्तर की दो टेकनीकें हैं। वह निम्न स्तर पर हावी हो जायेंगी। यह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों को अधिक लाभ होगा। अधिक बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होगा तथा इस प्रकार अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसमें पर्याप्त समय लगेगा। इस बीच में इन लोगों का क्या होगा हमें इस बात पर विचार करना है। जहां तक "लाक्स" (बंधन) का प्रश्न है सरल टेकनीकें अधिक उन्नती टेकनीकों के साथ कार्य कर सकती हैं जिससे जनशक्ति व्यर्थ में नष्ट न हो। इस समस्या का एक हल निकालने की आवश्यकता होगी। कुछ अंशो तक कर्वे समिति ने एक हल निकाल लिया है। संभव है कुछ अधिक करना पड़े।

जहां तक कपड़े की कमी और अम्बर चर्खे का सम्बंध है। अम्बर चर्खे का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में सारा वाद-विवाद कुछ ही महीनों पूर्व आरम्भ हुआ। उस समय अम्बर चर्खा के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं था। २० लाख तकुओं की अनुज्ञप्ति दी गयी थी वे क्यों नहीं बन सके। गैरसरकारी क्षेत्र जिन्हें यह अनुज्ञप्ति मिली थी वह उन्हें बना नहीं सका, और उनका उपयोग नहीं कर सका इसका कारण अम्बर चर्खा नहीं था। यदि उतना सूत होता तो संभव था करघे उनका उपयोग करते और कोई विवाद ही उत्पन्न न होता। इसलिये प्रतिबन्धक कार्यों द्वारा कमी पैदा करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। वस्तुत: भविष्य में भी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमें आशा है कि हम इन मामलों में ठोस प्रकार का दृष्टिकोण अपनायेंगे।

मैं नियोजन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर, जिस बारे में कई व्यक्ति चिन्तित हैं, बोल चुका हूं एक अन्य प्रश्न है वह है शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी का।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इससे भी लोग बहुत चिन्तित हैं। मैं समिति के कार्य, उसके प्रतिवेदन तथा इस विषय में विभिन्न प्रस्तावों तथा प्रस्तावित कार्य का जिक्र नहीं करूंगा। उस कार्य को इस समस्या के लिये आवश्यक आकार में नहीं किया जा सकता है। कुछ अग्रिम परियोजनायें ली जायेंगी। योजना आयोग में यह विचार किया गया था कि इन अग्रिम परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर हम इस विषय पर अग्रेसर विचार कर सकते हैं। उद्देश्य यह है कि कोई भी युवक अपनी शिक्षा समाप्ति के पश्चात् एक दिन भी खाली न रहे। हमारे पास निःशुल्क प्रशिक्षण का कुछ कार्यक्रम होना चाहिये किन्तु यदि व्यक्ति उपयोगी कार्यों को करने के लिये बिना किसी साधन के आते है तो उनके लिये साधनों का निर्माण करना होगा।

अब मैं माननीय सदस्य श्री फिरोज़ गांधी द्वारा पूछे गये एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रश्न को लूंगा। यह प्रश्न कृषि उत्पादन का है। यह प्रश्न उठाया गया है कि एक दिन में ही आपने उत्पादन के आंकड़ों को १५ प्रतिशत से बढ़ा कर ४० प्रतिशत कर दिया। क्या आपने इससे होने वाले योजना पर प्रभाव के सम्बन्ध में भी सोचा है? आपने इस सम्बन्ध में पहले क्यों नहीं सोचा? मैं इसे स्पष्ट करता हूं। योजना में ४० प्रतिशत का लक्ष्य नहीं रखा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प में यह कहा गया था कि उसमें रखे गये लक्ष्यों में सुधार किया जायेगा। प्रतिवेदन में रखे गये लक्ष्य भी, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राप्त होन वाली उत्पादन क्षमता, तथा उल्लिखित विचारों के आधार पर हिसाब लगाये गये पूर्व प्राक्कलनों के प्रकार के थे। वस्तुतः संसाधनों में थोड़ा बहुत हेरफेर कर कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर सकना संभव है और आवश्यक भी। इस प्रकार ४० प्रतिशत का कोई लक्ष्य नहीं था। ४० प्रतिशत का लक्ष्य बाद में निश्चित किया गया। मूल प्राक्कलन सामान्य नियमित मापदंडों के आधार पर थे। उस समय कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा था, तत्पश्चात् योजना को, मूल्य वृद्धि और घाटे की अर्थव्यवस्था के खतरों के आधार पर, अन्तिम रूप से निश्चित किया गया। तत्पश्चात् हम लोगों को यह सूझा कि हमें कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावनाओं पर विचार करना चाहिये। इसके पूर्व भी हमारा यह विचार था कि जो कुछ किया गया है उससे अधिक किया जा सकता है। इन प्राक्कलनों पर अधिक ध्यान देने का समय नहीं था। राष्ट्रीय विकास परिषद् की यह इच्छा थी कि हमें उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिये। ४० प्रतिशत का आंकड़ा भौतिक संभावना का निर्देशक है। यह ३० प्रतिशत हो सकता है, ४० प्रतिशत भी हो सकता है। कुछ कार्य हो जाने के उपरांत भी मैं योजना आयोग की ओर से कुछ नहीं कह सकता हूं। मसूरी में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कृषि मंत्री वहां उपस्थित थे। उस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई थी तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि १०० करोड़ रुपये की अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था कर २५ प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। तत्पश्चात् आगे और चर्चा हुई।

†**श्री फिरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़–पश्चिम व जिला रायबरेली–पूर्व) : उसमें हमारे खाद्य मंत्री भी थे।

†**श्री नन्दा** : हां। उसमें मैं भी आरम्भ से ही था। मैंने सम्मेलन में यह विचार रखा कि यद्यपि हो सकता है कि ऐसी कुछ और भी कार्यवाही करनी पड़े जिसके लिये अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता हो और जो सीमान्त रहे, परन्तु विभिन्न कारणों से विद्यमान साधनों के आधार पर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। जब हमने राज्यों से बातें कीं, जब हम यह बात उनके सामने रखते हैं, तो हमें पता लगाता है कि यह महसूस किया जा रहा है कि अधिक किये गये विनियोग में अधिक उत्पादन हो सकता है। उदाहरणार्थ, उस क्षेत्र का अनुपात लीजिये जहां बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग होता है। इसके लिये इतने धन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये प्रयत्न व संगठन की आवश्यकता है। कार्यक्रम यह है कि चावल, गेहूं आदि के मामले में यह किया जाना चाहिये। इस काल में हमें समूचे क्षेत्र में बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये उपयुक्त संगठन बनाना चाहिये। उर्वरक का प्रश्न भी है और यह केवल कृत्रिम उर्वरक का ही प्रश्न नहीं है। इसमें प्राकृतिक खाद का महत्वपूण स्थान है, जो वहीं मिल जाती है, जो आजकल बेकार जाता है, और प्राकृतिक खाद, भूमि पर ही बनाई जा सकती

---

†मूल अंग्रेजी में

है, अर्थात् हरी खाद। इस पर बहुत विचार किया गया है और राज्यों के प्रतिनिधिओं ने जो सम्मेलन में आये थे, महसूस किया है कि इस संबंध में पर्याप्त कार्य किया जा सकता है। फिर, सिंचाई का प्रश्न है। यदि हम कोई जलाशय बनाते हैं तो हम सिंचाई की सुविधायें पैदा करते हैं, परन्तु इसका उपयोग करने में बहुत समय लगता है। यदि सिंचाई के छोटे छोटे कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये, तो अधिक जल प्राप्त हो सकता है। हम जो अल्पकालीन ऋण देते हैं, उस पर विचार नहीं किया गया। १५० करोड़ रुपये हैं और अधिक धन दिया जा सकता है। मैं ने कृषि मंत्रियों को बताया कि यदि वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं और धन की आवश्यकता होती है तो वे इसे तीन वर्षों में व्यय कर संकते हैं। यदि इसका परिणाम ३० या ४० प्रतिशत रहता है, तो हम अधिक धन दे सकेंगे क्योंकि उस कृषि उत्पादन से और प्रगति के साधन बन जायेंगे, क्योंकि इससे हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने में सुविधा हो जायेगी। अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होने से हम अधिक लोगों को रोजगार दे सकेंगे। अतः अब इस स्थिति में साधनों की बात रुकावट नहीं होनी चाहिये। यदि परिणाम प्राप्त होता है तो साधन उपलब्ध हो जायगे।

मैंने लक्ष्य में वृद्धि के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। वहां भी मैंने कृषि मंत्रियों को बताया था कि यह बात कल्पना से ही नहीं बनती कि लक्ष्य क्या होगा। वास्तविक सम्भावनायें क्या होंगी प्रत्येक राज्य में परस्थितियों का उचित पता लगाने पर निर्भर होगा। मेरा ख्याल है कि चार या पांच राज्य इन सब समस्याओं पर विचार कर चुके हैं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : जानकारी के प्रश्न पर। जब मैं आया था, उस समय माननीय मंत्री ने साधुओं का उल्लेख किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साधुओं में मुल्ला और पादरी भी सम्मिलित होंगे ?

†**श्री नन्दा** : क्या अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं।

†**श्री नन्दा** : मैं समझता हूं कि योजना की सफलता की दो मूल बातें हैं। एक जनता के सहयोग की है और दूसरी प्रशिक्षित व्यक्तियों की। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हम परिस्थिति की आवश्यकताओं के प्रति जागृत रहे हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया हम उन अभावों, विशेषकर मध्यम मान के व्यक्तियों संबंधी अभावों की पूर्ति करने का प्रयत्न करते रहे हैं। फिर, हमने समस्या पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से देखना आरम्भ किया। उदाहरणार्थ, हमने उन इंजीनियरों के बारे में, जिनकी दस वर्षों में नदी घाटी परियोजनाओं में आवश्यकता होगी, विचार किया। फिर, यह विचार करते हुए कि नदी घाटी परियोजनाओं के लिये इंजीनियर रखना ही पर्याप्त नहीं है अपितु और वर्गों के भी लोगों की आवश्यकता होगी, हमने योजना आयोग में सारे इंजीनियरों के लिये एक अन्य समिति बनाई। उस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि हमने विभिन्न प्रकार के जितने इंजीनियिरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है वह संख्या थोड़ी है। अतः उन्होंने अधिक संख्या में स्नातक बनाने तथा इस प्रयोजन के लिये टेक्नीकल सुविधाओं तथा संस्था संबंधी प्रबन्धों में वृद्धि करने के कुछ और सुझाव दिये हैं। अब टेक्नीकल जनशक्ति के प्रश्न पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक टेक्नीकल व्यक्तियों का संबंध है, हम उनके बारे में मुख्यतया तृतीय योजना की दृष्टि से विचार कर रहे हैं और वर्तमान अभावों को किसी प्रकार की शीघ्र समाप्त होनी वाली पाठ्यचर्चाओं आदि से पूरा किया जायेगा।

हमारे समक्ष जो महान् कार्य पड़ा है, उसका मैं पहिले ही उल्लेख कर चुका हूं। यह सच है कि हम सब ने यह बात स्वीकार कर ली है कि हमें तीव्रगति से, ऐसी गति से जो लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो विकास करना होगा। हमारे समक्ष भविष्य इस प्रकार का है कि अन्य किसी ऐसी बात का विचार किये बिना जिससे राष्ट्र में मतभेद होता है, इस समय अधिकतम एकता प्राप्त करनी होगी ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति योजना की सफल कार्यान्विति में अपना पूर्ण सहयोग दे सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपालानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि श्री नन्दा यह भाषण आरम्भ में नहीं अपितु अन्त में देते। कम से कम वह मेरे लिये सभा को खाली करने में सफल रहे हैं। कांग्रेस बेंच तक खाली पड़े हैं।

कल राज्य-सभा में प्रधान मंत्री ने अन्तिम बात कह दी है और जब वह अन्तिम बात कहते हैं तो उनका विरोध करना बहुत कठिन है। उन्होंने हम से विश्वास रखने को कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि भौतिकवाद और यंत्रीकरण के इस आधुनिक युग में भी, विश्वास हमारी योजना को सफल बना सकता है। प्रधान मंत्री ने जिस विश्वास व उत्साह की मांग की है, मैं उसमें गड़बड़ी पैदा करना नहीं चाहता।

हमने योजना के बारे में सुना है और योजना एक वैज्ञानिक धारणा है। वैज्ञानिक योजना में दो विशेषज्ञों में नाम मात्र को ही मतभेद हो सकता है। किन्तु इस विषय में विशेषज्ञों में भी बड़ा मतभेद है। मगर उन सब को किसी न किसी प्रकार से रफादफा कर दिया जाता है।

आंकड़ों के बारे में तो स्वयं मंत्री आदि भी कई बार कह चुके हैं कि सरकारी आंकड़े पूर्ण और ठीक नहीं हैं। उन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं योजना आयोग के सदस्यों में प्रत्येक बात पर मतभेद है। अतिरिक्त करों से होने वाली आय का कोई निश्चय नहीं है। देश में ऋणों से कितना धन प्राप्त हो सकेगा यह बात भी अभी अनिश्चित सी है। घाटे की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने मत हैं। आज देश की विदेशी मुद्रा के विनिमय की स्थिति भी बड़ी संकटमय स्थिति में है। कृषि के विकास के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय मंत्री तथा राज्यों के कृषि मंत्रियों तथा योजना आयोग के सदस्यों में मत वैभिन्य है। यही दशा परिवहन की भी है। उसमें अनेकों स्थानों पर हम स्वयं रुकावट पैदा कर लेते हैं। फिर अभी तक हमारे देश में आवश्यक शिल्पिकों के मिलने में भी अनेकों कठिनाइयां हैं। और इससे भी बढ़ कर इस सारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये उचित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव हमें डरा रहा है।

दूसरी ओर आप जनता के उत्साह को लीजिये। मैंने लोगों का राज्यपुनर्गठन और किताब कांड आदि में दंगा-फसाद फैलाने में तो उत्साह देखा है, परन्तु मुझे देश में पंचवर्षीय योजना के लिये कहीं पर कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं उच्चाधिकारी भी इस योजना को ठीक ठीक नहीं समझते हैं।

अब मैं इसक उद्देश्यों को लेता हूं। इसका पहला उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय आय में एक अच्छी खासी वृद्धि की जाये। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि इस वृद्धि से आम जनता के जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी अथवा नहीं। इतिहास भी हमें इस दिशा में कोई आशाजनक सांत्वना नहीं देता है। खैर, योजना का दूसरा उद्देश्य है औद्योगीकरण, विशेषतया भारी तथा मूल उद्योगों की दृष्टि से। इसका तीसरा उद्देश्य नौकरी के लिये अवसर प्रदान करना है, और चौथा और पांचवा क्रमशः आय की विषमताओं को दूर करना तथा आर्थिक शक्ति का संतुलित वितरण करना है।

हम देखेंगे कि इन लक्ष्यों की भी कोई समुचित श्रृंखला नहीं है। पहला, तीसरा, चौथा तो उद्देश्य हैं किन्तु दूसरा उनकी प्राप्ति के लिये एक साधन मात्र है।

हमें औद्योगीकरण के इस साधन पर कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कोई भी देश, संस्कृति अथवा सभ्यता उद्योग के बिना प्रगति नहीं कर सकती है। किन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम अपने देश में किस ढंग का औद्योगीकरण करें? हमारे सामने इसके दो उदाहरण हैं। एक जो ब्रिटेन में १८वीं और १९वीं शताब्दी में हुआ, और दूसरा जो अब २०वीं शताब्दी रूस, जर्मनी आदि में हुआ है। इन दोनों में भेद है। हमारे आयोजकों का ध्यान ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के पीछे

---

†मूल अंग्रेजी में

लगा हुआ है जिस में उत्पादन के साधन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं। दूसरी प्रकार के औद्योगीकरण में उत्पादन के साधन राज्य रूपी पूंजीपति के हाथ में रहते हैं। दोनों में ही उद्योगों का केन्द्रीकरण रहता है तथा दोनों ही यान्त्रिकता के बल पर चलते हैं। दोनों में ही व्यक्ति का शोषण होता है। एक में, ग़ैर-सरकारी पूंजीपति द्वारा, दूसरे में राज्य द्वारा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों ने ही व्यक्ति के दैन्य को पीढ़ी पर पीढ़ी अधिकाधिक बढ़ाया है। हमें भली भांति ज्ञात है कि कैसे इस पूंजीवाद से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ और फिर विश्व के दो महान् युद्ध हुए। दूसरी ओर राजकीय पूंजीवाद ने भी जो जुल्म ढाये हैं वे सब आज हमारे सामने हैं। दोनों ही प्रकार के देशों में आज तक भी ग़रीबी नहीं दूर हो सकी है क्योंकि अब भी उन देशों में लोगों में बड़ी विषमताएं बनी हुई हैं।

परन्तु हमने इतिहास की शिक्षाओं को बिल्कुल भुला दिया है। हम समझ रहे हैं कि अगर हम आजकल पश्चिमी ढंग से औद्योगीकरण करेंगे तो हमारे देश के लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। यह हमारी गलती है।

अगर हम सही मानों में देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे पास और भी अनेक ढंग हैं। हमें उसके लिये पश्चिम की अंधाधुंध नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके समथन में मैं यह तर्क दूंगा कि पश्चिमी ढंग के औद्योगीकरण में बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस पूंजी का अधिकांश भाग ग़रीबों का शोषण करके ही प्राप्त होता है। पूंजीवादी स्वयं कुछ नहीं देता है। उदाहरण के लिये अभी हमने हाल ही में कपड़े पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया है। क्या आप समझते हैं कि यह अमीरों तक ही सीमित रहेगा। कदापि नहीं, यह सब भारत के ग़रीब लोगों से ही वसूल होगा। लोगों को आप किन्हीं भी आंकड़ों से धोखा नहीं दे सकते हैं कि इसका बोझ केवल मिल मालिकों पर ही पड़ेगा आदि।

मैं कहता हूं कि योरुप में सारी पूंजी का निर्माण इस लिये हो सका है कि वहां पर स्वतंत्र ट्रेड यूनियन नहीं थी। रूस में तथा जर्मनी में भी ट्रेड यूनियनों के अभाव के कारण यह सब हुआ है। आज बीसवीं सदी में जब सब जगह ट्रेड यूनियन की भावना फैल रही है तो मज़दूरों का शोषण करना इतना सरल नहीं रहेगा, शोषक चाहे राज्य हो अथवा कोई व्यक्तिगत पूंजीवादी। आप भी भारत में ट्रेड यूनियनों के कार्यों का नियंत्रण करने के लिये भांति भांति के उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। आपने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन पर कई तरह से अपना कबज़ा जमा रखा है। परन्तु मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से मज़दूरों के इस संगठन को नहीं दबा सकते हैं। और अब वे भारत में लाभ में भागीदार बनाये जाने की योजना बना रहे हैं। जब भारत में यह योजना कार्यान्वित हो जायेगी तब नन्दा जी और कृष्णमाचारी जी को इन उद्योगों से अधिक लाभ नहीं हो सकेगा।

अब आपके पास धन जुटाने का केवल एक साधन शेष बच जाता है। वह यह है कि आप भी पाकिस्तान की भांति योजना के प्रत्येक कार्य के लिये अमरीका से धन की भिक्षा मांगें।

देश के शीघ्रता से औद्योगीकरण के लिये एक बात और आवश्यक है। यहां पर खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन होता रहे और उनकी कीमतें अधिक महंगी न होने पायें। सरकार को सब योजना के पूर्ण हो जाने पर अब होश आई है कि उसने खाद्यान्नों के लिये १५ प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय करके बड़ी भूल की है और अब उसने इस लक्ष्य को बढ़ा कर ४० प्रतिशत कर दिया है। इसस योजना के सारे ढांचे में गड़बड़ी पैदा हो गई है। इधर खाद्यान्नों के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। जब कि सरकार का यह कहना था कि खाद्यान्नों में ४० प्रतिशत वृद्धि कर देने से कीमतों में २० प्रतिशत कमी आ जायेगी आज की स्थिति को देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसको मानने के लिये तैयार नहीं होगा।

[आचार्य कृपालानी]

देश की वास्तविक उन्नति का महात्मा गांधी ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था। लेकिन आप सब उसको भूल गये हैं। आपके दिमाग में पश्चिम की नकल का भूत सवार हो गया है, विशेष कर हमारे प्रधान मंत्री जी के विचारों में। गांधीजी भी सारे देश का औद्योगीकरण करना चाहते थे। परन्तु विकेन्द्रित ढंग से। उन्होंने इसीलिये चर्खे और खद्दर को महत्त्व दिया। उन्होंने चर्खे को राष्ट्रीयध्वज में स्थान देकर उस प्रकार के औद्योगीकरण का संकेत किया है। इससे देश की लाखों औरतों की मान प्रतिष्ठा की रक्षा होती है। यह लाखों बेकार तथा अपर्याप्त रोजगार वाले व्यक्तियों का सहारा बन सकता है। ग्रामों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक मात्र यही आधार है। गांधीजी किसी वाद के फकीर नहीं थे। वह वर्तमान भारत की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को भली भांति समझते थे। उन्होंने सब कुछ सोच विचार कर ही ऐसे सुझाव दिये थे। उनका हमेशा यही सिद्धान्त रहा कि देश के लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति विकेन्द्रित उद्योग द्वारा ही होनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

गांधीजी राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक जीवन के सम्बन्ध को भली भांति समझते थे। उनको नैतिक जीवन और आर्थिक जीवन का सम्बन्ध भी भली भांति विदित था। वह कार्ल मार्क्स की भांति यह नहीं मानते थे कि आर्थिक जीवन ही सब चीजों की जड़ है। उन्होंने सदैव राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक सत्ता को पृथक् रखने के लिये कहा है। वह राज्य द्वारा आर्थिक सत्ता को हथियाने से सदा डरते थे। क्योंकि वह समझते थे कि इससे जनतंत्र की हत्या हो जायेगी, व्यक्ति की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी। वह राज्य को एक "आत्माहीन मशीन" समझते थे।

आज हमें किसी भी वाद की अंधाधुंध नकल न करके गांधी जी द्वारा बताये मार्ग पर चल कर भारत को समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारी सरकार आज ८ वर्ष के पश्चात् भी देश में बेकारों की कुल संख्या के आंकड़े नहीं इकट्ठे कर सकी है। हमारे ग्रामीण भाइयों को स्वच्छता के नियमों तथा स्कूलों की अपेक्षा अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिये आर्थिक साधनों और रोजगार की अधिक आवश्यकता है। जब तक आप गांवों में से बेकारी दूर नहीं करेंगे आप का सब प्रचार धरा धराया रह जायेगा। आप गांव के लोगों को खेती के नवीन ढंगों की बातें बतलाते हैं। किन्तु उनके पास उनको प्रयोग में लाने के लिये पैसा ही नहीं है। बस आपकी सब योजना पड़ी रह जायेगी। सरकार को अपने दिवा स्वप्नों को छोड़ कर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका भारतीय ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिये।

बड़े, केन्द्रीकृत उद्योग की चार प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली अत्यधिक विनियोग, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, दूसरी उत्पादन के प्रत्येक एकक पर सदैव ह्रासोन्मुख मानव श्रम, तीसरी क्रय शक्ति में उद्योग के विस्तार के अनुसार वृद्धि न होना और चौथी देश के प्राकृतिक संसाधनों का शीघ्र ही समाप्त हो जाना। यह चीज इतनी वेग गति से हो रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिये कुछ भी न रह जायेगा।

मैं अब इन चार विशेषताओं में से केवल उत्पादन के प्रत्येक एकक पर सदैव ह्रासोन्मुख मानव श्रम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पहले आप मशीनीकरण करेंगे उसके पश्चात् वैज्ञानिकन को आप रोक नहीं सकेंगे और अन्ततोगत्वा वह स्थिति आ जायेगी जब कि केवल बटन दबाने से ही सारा कार्य हो जाया करेगा।

वस्त्र उद्योग का उदाहरण ले लीजिये। १९४८ और १९५२ में इस उद्योग का बड़ा विस्तार हुआ, यहां तक कि इसका विनियोग ५४ प्रतिशत बढ़ गया। किन्तु मजदूरों की संख्या कम हो गई। परिणाम यह हुआ कि छोटे पैमाने के उद्योगों के बोर्डों की स्थापना की गई जिससे उपभोक्ता की वस्तुओं की मांग बनी रहे तथा अधिक लोगों को काम मिल सके। कर्वे समिति ने बताया कि उपभोक्ता की वस्तुओं की जितनी भी अतिरिक्त मांग योजना काल में हो, उसकी पूर्ति हाथ से

माल का उत्पादन करके की जाये और जब तक बेकारी समाप्त न हो जाये तब तक कारखानों और हाथ से बनी वस्तुओं में प्रतिद्वंदिता न की जाये। भारत सरकार के सांख्यिकीय विशेषज्ञ ने भी इसका समर्थन किया। किन्तु सरकार एक ओर तो अम्बर चर्खे की बात करती है तथा दूसरी ओर हथकरघों का मशीनीकरण करना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के विरोधाभास से यह समस्या कैसे हल हो सकेगी।

मेरा तो सुझाव यह है कि इसका एक मात्र उपचार उद्योग का विकेन्द्रीकरण कर देना है। इसमें प्रत्येक उत्पादक अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं का निर्माण कर सकेगा और प्रत्येक गांव का एक एक घर एक उद्योग के रूप में काम करेगा। खादी भी तो विकेन्द्रीकरण का ही चिन्ह है।

आज वास्तव में देखा जाय तो प्रश्न राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का नहीं अपितु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने का है। जरूरत इस बात की है कि गांवों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी सहायता की जाये। पहले वाले वित्त मंत्री ने भी आयव्ययक भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से अधिक लाभ नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि निम्न आय वाले वर्गों के लोगों की आय में वृद्धि होनी चाहिये।

हम देखते हैं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय ९,२०० करोड़ रुपये से बढ़कर १०,८०० करोड़ रुपये हो गई किन्तु गांवों के निम्न आय वाले लोगों की आय में नाम-मात्र की ही वृद्धि हुई है। गांवों में तो स्वतन्त्रता से पहले जैसी ही दरिद्रता अभी भी दिखाई देती है। हम आंकड़ों के भुलावे में पड़कर वास्तविकता को नहीं भुला सकते। आप अम्बर चर्खे के बारे में इतनी बातें करते हैं किन्तु यदि गांव में सारे दिन इस पर काम किया जाये तो १२ आने पैसे मिलेंगे।

श्री विधान चन्द्र राय ने कहा है कि हमें गांव वालों के लिये कच्चे माल, उन्नत औजार तथा सस्ती दर पर विद्युत् का प्रबन्ध करना चाहिये। वास्तव में उनका कथन कितना सत्य है।

देश में बेकारी की भयंकरता तभी कम हो सकती है जब कि भारी और मूलभूत उद्योगों का विकास विकेन्द्रीकरण की सहायता करने की दृष्टि से किया जाय। हमें राष्ट्रीय आम औसत आय आदि के चक्कर में न पड़कर ग्रामवासियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि हम अल्प काल में ही जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो तात्कालिक वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि गरीबों की दशा में फौरन सुधार हो।

इस सम्बन्ध में एक बात हमें और ध्यान में रखनी चाहिये कि भारी उद्योगों का विकास जितनी हमारी क्षमता है उसी हद तक किया जाना चाहिये अन्यथा मुद्रास्फीति को जन्म मिलेगा जिसके चिन्ह वैसे भी दिखाई पड़ने लगे हैं। खाद्य तथा अन्य मूलभूत पदार्थों के मूल्यों में २५ से ३० प्रतिशत वृद्धि यों भी हो चुकी है। देशनांङ्क जो युद्ध के पश्चात् २०० उपयुक्त समझे गये थे अब ४०८ हो गये हैं।

इनके अतिरिक्त विकेन्द्रीकरण के सामाजिक और नैतिक लाभ भी हैं जिन्हें बताने का मेरे पास समय नहीं है। यदि औद्योगीकरण असमान होगा तो विभिन्न राज्यों में झगड़े होंगे जब कि विकेन्द्रीकरण करने से इस चीज की सम्भावना नहीं रह जाती है।

विकेन्द्रीकरण का एक दोष यह बताया गया है कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं होगा किन्तु यह बात गलत है। उपभोक्ता के हित की बात बड़े उद्योग अथवा जिन उद्योगों में सरकार का एकाधिकार है, नहीं उठाई गई। यद्यपि उपभोक्ता के हित का प्रश्न पिछली बार भी उठाया गया था किन्तु अधिकारियों ने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया।

[आचार्य कृपालानी]

हमसे कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान का उपयोग हमें करना है मानो इनका उपयोग छोटे उद्योगों में किया ही नहीं जा सकता। गृह उद्योगों का मशीनीकरण भी आप कर सकते हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है और न कभी गांधी जी को ही थी। इस अणु युग में विज्ञान के उपयोग से न केवल उत्पादन में ही वृद्धि होगी किन्तु इससे अणु और हाइड्रोजन बम भी बनाये जा सकते हैं। कभी कभी तो हमें इन सब का भय दिखाया जाता है और कभी इसके बारे में इस प्रकार बताया जाता है कि मानो प्रौद्योगिकी और विज्ञान जीवन का परमपुरुषार्थ हो। इससे बढ़कर भी संसार में और चीजें हैं फिर भी कुटीर उद्योगों में विज्ञान का उपयोग किया जा सकता है।

एक चीज के बारे में मैं सावधान कर देना चाहता हूं। भारत में गैर-सरकारी उद्योग नहीं चल सकते क्योंकि हमारे पूंजीपतियों के पास वांछित धन नहीं है। अपनी योजना के लिये आप गैर-सरकारी क्षेत्र से जितने धन की आशा करते हैं उतना धन आपको नहीं मिल सकता। आपको पूंजीवाद समाप्त करना होगा। मैं तो कहता हूं कि सरकार के हाथों में ८० प्रतिशत उद्योग होने चाहियें। जब ऐसा है तो देश में पूंजीवाद किसी भी दशा में पनप नहीं सकेगा। अतः देश में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक दल के हाथों में आ जायेगी और देश में तानाशाही का बोलबाला हो जायेगा जिसके लक्षण अभी से नजर आ रहे हैं। अभी तक व्यक्ति की पूजा की जाती है। इसके लिये मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। जब हमारे यहां मूर्तियों, पत्थरों, वृक्षों, गायों और पुस्तकों तक की पूजा की जाती है तो फिर विश्वख्याति प्राप्त व्यक्ति की पूजा करने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे यहां वीरों की भी तो पूजा होती है। ऐसी अवस्था में यदि एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति आ गई तो हम जानते हैं कि क्या होगा। इस पर यह कहना कि तानाशाही नहीं चलेगी बहुत गलत चीज होगी।

आज देश का सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक जीवन सरकार के ही हाथों में है। शिक्षा का सारा ठेका भी सरकार ने ले रखा है। इतना ही नहीं, वह सभी को अपने अधिकार में लेना चाहती है। इससे देश का पतन ही होगा, उन्नति कभी नहीं हो सकती।

सेठ गोविन्द दास : अभी श्री कृपालानी जी का एक बड़ा लंबा भाषण हुआ और मेरे हृदय में उन के लिये बड़ी इज्जत है। उन्होंने मेरे एक नये मित्र जो अभी कांग्रेस में आये हैं, बैरिस्टर टेक चन्द जी, उनके संबंध में एक सीधी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में नये आये हैं। मैं समझता हूं कि कृपालानीजी मेरे लिये ऐसा नहीं कह सकते। इसका कारण यह ह कि मैं कांग्रेस में १९२० से हूं और ३६ बरस मुझे एक ही संस्था में बीत गये हैं यद्यपि उस संस्था को कृपालानीजी ने छोड़ दिया है। जहां तक उनके भाषण का संबंध है उन्होंने गांधीजी के डिसैंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) के सिद्धांत को यहां पर प्रतिपादित किया है। मैं बहुत दूर तक उनसे इस विषय में सहमत हूं। परन्तु एक तरफ जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है तब कृपालानीजी गांधीजी की दुहाई देते हैं और जब हमारी वैदेशिक नीति पर चर्चा होती है कि जो नीति गांधीजी के मतानुसार चल रही है, उसका भी वह विरोध करते हैं। जहां तक गांधीजी का संबंध है उन्होंने सदा एक बात कही थी कि सत्य और अहिंसा इन दो सिद्धांतों के अतिरिक्त जो कुछ भी वह कहते हैं वह समय के अनुसार परिवर्तनशील है। सत्य और अहिंसा परिवर्तनशील नहीं हैं और बाकी जितनी चीज़ें हैं वे परिवर्तनशील हैं। इसके बाद कृपालानी जी ने हमारे बंगाल के मुख्य मंत्री श्री बिधान चन्द्र राय का एक लंबा उद्धरण यहां पर दिया। उस उद्धरण में उन्होंने बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी समर्थन किया है और छोटे छोटे उद्योग धंधों का भी वह समर्थन करते हैं। मैं उस नीति से बिल्कुल सहमत हूं। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जो उद्योग धंधे झोंपड़ियों में, कुटियों में चलाये जा सकते हैं और उनके संबंध में अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं तो उनको बन्द कर देना चाहिये। मैं आगे बढ़ कर यहां तक कहना चाहता हूं कि जहां तक सूत और कपड़े का संबंध है वहां तक अगर हम सूत और कपड़े की इन सब मिलों को बंद भी कर दें और खादी की अम्बर चर्खे के द्वारा और हैंडलूम के द्वारा उत्पत्ति करें, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ हम को कुछ बड़े बड़े उद्योग धंधों की भी आवश्यकता

है। उन्होंने श्री विधान चन्द्र राय को उद्धृत किया पर विधान बाबू न यह भी कहा है कि हमको लोहे की जरूरत है, सिमिट की जरूरत है। मैं कृपालानीजी से जानना चाहता हूं कि अगर बड़े बड़े उद्योग धंधें भी इस दश में स्थापित नहीं किये जायेंगे तो क्या कुटियों में लोहा और सिमिट उत्पन्न हो सकता है।कि एक तरफ हम को बड़े बड़े उद्योग धंधों की आवश्यकता है और दूसरी तरफ हम को कुटीर उद्योग धंधों की भी जरूरत है। आज यदि गांधीजी होते तो नीति का अवश्य समर्थन करते।

श्री नन्दा जी का भी यहां पर आज भाषण हुआ। यह भी एक लंबा भाषण था। उन्होंने पंच वर्षीय योजना के तीन सब से प्रधान अंग बताये। पहला सार्वजनिक सहयोग, दूसरा ट्रेंड परसौनल (प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग) और तीसरा एकता। मैं इसी संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसके पहले जो योजना हमने बनाई थी उसको हमने सफलतापूर्वक समाप्त कर यह हमने दूसरी योजना बनायी है। इस योजना में केवल धन ही पर्याप्त नहीं है, धन के साथ जिस सार्वजनिक सहयोग की नन्दा जी ने बात कही, उसकी उतनी ही आवश्यकता है। रूस और चीन दो ऐसे प्रधान देश हैं, जिन में ये योजनायें सब से अधिक सफल हुई हैं। इस लिये हम देखें कि रूस और चीन ने इन योजनाओं के संबंध में प्रधानतया क्या किया है। सब से पहले उन्होंने अपने देश के उन कारीगरों का सहयोग लिया, जिन के यहां पुश्तों से किसी प्रकार की कारीगरी का काम चलता था—चाहे वे पढ़े हों या न पढ़े हों। मैं रूस तो नहीं गया, लेकिन चीन गया था और वहां जाने के बाद रूस की बहुत सी बातें अपने आप मालूम हो जाती हैं। उन कारीगरों को चाहे वैज्ञानिक और टेक्नीकल (प्राविधिक) शिक्षा न मिली हो, पर जीवन भर काम करते करते उन को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त हुए थे। उन कारीगरों का चीन में आज भी पूरा पूरा सहयोग लिया जा रहा है। चीन में मुझे मालम हुआ कि रूस में भी यही बात हो रही है।

एक बात वहां पर और की गई। इन कारीगरों के अनुभवों का आधार वैज्ञानिक हो जाये और उससे उन को बल मिले, इस के लिये उन्होंने विशेष प्रबन्ध किया। उन्होंने एक प्रकार के विद्यालयों का आयोजन किया जहां पर जीवन से प्राप्त उन के अनुभव को वैज्ञानिक आधार और बल प्राप्त होने के लिये शिक्षा दी जाती है।

चीन और रूस में कारीगरों का सहयोग प्राप्त करने के अतिरिक्त जनता का सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। कारीगरों और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये रूस और चीन में जो सब से बड़ी बात की गई, वह क्या थी? यहां पर मुझे अपनी वही पुरानी बात कहनी पड़ती है कि यह सहयोग उन से लिया गया उन देशों की भाषाओं के द्वारा। हमारे यहां अभी हाल ही में २-३ सितम्बर को क्या हुआ है? यहां पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक परिषद् हुई और उस में जो निर्णय हुए, वे मुझे बड़े भयावह मालूम होते हैं। उन निर्णयों के संबंध में सरकार के प्रेस इन्फ़मशन ब्यरों के ३ सितम्बर के बुलिटन में निकला है कि सम्मेलन में सामान्य राय यह है कि माध्यमिक मध्य उच्च बुनियादी तथा निम्न माध्यमिक प्रक्रमों में अंग्रेजीं की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम ने जो संविधान बनाया है, यह निर्णय उसकी धाराओं के विरुद्ध है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि स्वराज्य प्राप्त करने के पूर्व राष्ट्रीय चेतना आने के बाद हम ने अपनी माध्यमिक शालाओं में जो हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, यह निर्णय उस के विरुद्ध है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि स्वराज्य प्राप्त करने के बाद अपने अनेक विश्वविद्यालयों में हमने आपनी भारतीय भाषाओं को जो शिक्षा का माध्यम बनाया है, यह निर्णय उस के विरुद्ध है। इस के अतिरिक्त शिक्षा विभाग में अब तक जितने आयोग बनाये गये—सैकंडरी एजूकेशन का आयोग और यूनिवर्सिटी एजूकेशन का आयोग—उन सब के प्रतिवेदनों को आप देंखे। उन्होंने जो सिफारिशें की हैं, यह निर्णय उनके विरुद्ध है। इस स्थिति में, जब कि हमारी माध्यमिक शालाओं में हमारी भारतीय भाषाओं को चलते इतने दिन हो गये हैं, जब कि हमारे अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का माध्यम हो चुका है, यदि आप माध्यमिक शालाओं में अंग्रेज़ी को कम्पल्सरी—अनिवार्य-बनाना चाहते हैं या विश्वविद्यालयों में अंग्रेज़ी को माध्यम बनाना चाहते हैं, तो आप का यह निर्णय स्वराज्य प्राप्त करने के पूर्व राष्ट्रीय चेतना आने के बाद जो कुछ आप करते आये हैं—स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जो कुछ आप ने किया है, अपने संविधान में जो बातें इस संबंध में

[सेठ गोविन्द दास]

हम ने रखी हैं, उन सब के खिलाफ जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार आप को ट्रेंड परसोनल (प्रशिक्षित कर्मचारी) तैयार करने के उद्देश्य में भी सफलता मिलने वाली नहीं है। ट्रेंड परसोनल को तैयार करने के लिये आप को शिक्षा की गति को तीव्रतर करना होगा और आप के अंगरेज़ी को अनिवार्य बनाने और माध्यम रखने से तो शिक्षा की गति तीव्रतर न हो कर उलटी मन्द होगी। इस के अतिरिक्त इससे जनता और शासकों के बीच खाई बढ़ती जायगी और संघर्ष का भय रहेगा। इन दृष्टियों से आप एक बड़ी भयानक बात करना चाहते हैं।

अभी जो हमारे श्री नन्दा ने सार्वजनिक सहयोग और ट्रेंड परसोनल की बात कही, उस को यदि आप कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं, तो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जो कुछ निर्णय हुआ है, उस को आप को खत्म करना होगा। फिर वह निर्णय किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है--न तो किसी राज्य सरकार के ऊपर और न किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर। मैं राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले में किसी दबाव में न आयें और शिक्षा मंत्रियों के निर्णय को रद्दी की टोकरी में फेंक दें जहां तक कि भाषा के विषय का संबंध है।

अपनी इस पंच वर्षीय योजना में हम दो बातें करना चाहते हैं। एक तरफ तो हम अपना पार्थिव उत्कर्ष करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बौद्धिक उत्कर्ष। केवल पार्थिव उत्कर्ष से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हम को बौद्धिक उत्कर्ष की भी आवश्यकता है। जहां तक बौद्धिक उत्कर्ष का संबंध है, वहां अनेक वर्षों से जो अंगरेज़ी यहां से जा रही थी, स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हम ने निर्णय किया था कि पंद्रह वर्ष के पश्चात् हिन्दी और हमारी भारतीय भाषायें अंगरेज़ी का स्थान लेंगी, उस अंगरेज़ी को आप फिर से हमारे देश पर लादना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। क्या आपकी इच्छा यह है कि हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब भाषाओं के स्थान पर इस देश के निवासियों की भाषा अंगरेज़ी हो जाय? आप का यदि यही उद्देश्य है, तो आप को इस में कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। इस देश में पौने दो सौ वर्ष अंगरेज़ी राज्य रहा। उन लोगों ने हरचन्द प्रयत्न किया, हर तरह की कोशिश की कि इस देश पर अंगरेजी भाषा लादी जाय। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जो देश किसी समय शिक्षा में संसार का सिरमौर था--सब से ऊंचा देश था, उस में सौ में से नव्वे आदमी निरक्षर भट्टाचार्य हो गये। यह बात भी विचारणीय है कि पौने दो सौ वर्ष के अंग्रेज़ी राज्य में आखिर इस देश में कितने आदमियों ने अंग्रेज़ी सीखी। मैं यहां पर केवल हिन्दी के संबंध में ही नहीं कहना चाहता। शिक्षा मंत्रियों के जो निर्णय हुए हैं वे हिन्दी के जितने विरुद्ध जाते हैं उतने ही उन १३ भाषाओं के भी विरुद्ध जाते हैं जिनको हमने अपने देश की राष्ट्रभाषायें मान कर अपने संविधान में स्थान दिया है। तो यदि आप अपनी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के साथ, पार्थिव उन्नति के साथ, बौद्धिक विकास या बौद्धिक उन्नति भी करना चाहते हैं तो इन निर्णयों को खत्म करें।

फिर जब आप भावी ट्रेंड परसोनल की बात सोचते हैं तब क्या आप कभी इस बात को भी सोचते हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में हमारे नौजवान अभी पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से अब तक शिक्षा प्राप्त की है, यकायक, एक दिन में, इतने वर्षों का प्रयत्न खत्म करने के बाद, उसको उलट देने के बाद, उनकी क्या स्थिति होने वाली है? उनका भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय हो जाने वाला है इसलिये आप चाहे इस योजना को पार्थिव दृष्टि से देखें चाहे आप इस योजना को बौद्धिक दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अपना जो टेक्निकल परसोनल तैयार करना चाहते हैं वह टेक्निकल परसोनल (प्रविधिक कर्मचारी) हम अपनी भारतीय भाषाओं की शिक्षा के माध्यम द्वारा तैयार करें। और इस के लिये हमें करना क्या चाहिये? हमें सब से पहले यह बात करनी चाहिये कि हम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखें। मैंने कभी इस बात को नहीं कहा कि जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनमें भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखा जाये। मेरा स्पष्ट मत है कि जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है वहां स्कूलों की शिक्षा का माध्यम प्रान्त की भाषा हो। मेरा स्पष्ट मत है कि जिन प्रान्तों की मात भाषा हिन्दी नहीं है

वहां विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम प्रान्त की भाषा हो। मेरा यह स्पष्ट मत है कि जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है उन प्रान्तों में अदालत की भाषा उन प्रान्तों की भाषा हो। तो यह प्रश्न हिन्दी का नहीं है। यह प्रश्न प्रान्तीय भाषाओं और अंग्रेजी के आपस के संघर्ष का है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो नीति शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने निर्धारित की है यदि उसका अनुसरण किया गया तो यह देश के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध होने वाली है। तो सर्व प्रथम हम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखें। उसके बाद जब तक हमारे यहां ग्रन्थों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम अंग्रेजी ग्रंन्थों से सहायता ले सकते हैं। मुझे कोई अंग्रेजी से शत्रुता नहीं है। पर अंग्रेजी के ग्रन्थों से मुख्यतः सहायता ल हमारे अध्यापक गण। वह उन ग्रन्थों से सहायता लेकर हमारे विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयत्न करें। कहा जाता है कि हमारे यहां अभी वैज्ञानिक ग्रन्थ तैयार नहीं है। जहां तक हिन्दी भाषा का संबंध है, वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों के ग्रन्थ बड़े परिमाण में हिन्दी भाषा में तैयार हो गये हैं और मैं समझता हूं कि यही स्थिति अन्य भारतीय भाषाओं में भी होगी। मैं यह नहीं चाहता कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों में शिक्षा देने के लिये हमको अंग्रेजी के माध्यम का सहारा लेना पड़े। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी शिक्षा का माध्यम अपनी भाषायें रखें और आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण करावें। मैं अनेक बार यह बात कह चुका हूं कि जहां सरकार अपनी अन्य योजनाओं पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रही है वहां उसे ग्रंथों के निर्माण पर कम से कम पांच करोड़ रुपया तो खर्च करना चाहिये, और मेरा निश्चित मत है कि अगर सरकार ने पांच करोड़ रुपया ग्रंथों का निर्माण करने के लिये खर्च किया तो केवल हिन्दी में नहीं बल्कि देश की अन्य भाषाओं में भी बड़ी मात्रा में आवश्यक ग्रंथों की रचना हो जायेगी। इन ग्रन्थों के निर्माण की बात पर मैं अनेक बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। अगर इन ग्रंथों का निर्माण यहां की भाषाओं में कर दिया जाये तो शिक्षा की गति तीव्रतर ही नहीं बल्कि तीव्रतम हो जायेगी और जो आप अंग्रेजी को माध्यम द्वारा टेकिनकल परसोनल बनाना चाहते हैं उसकी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। जरूरत इस बात की है कि हम ग्रंथों का निर्माण करें। इस बात की जरूरत नहीं है कि हम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनावें।

आप चीन का उदाहरण लीजिये। मैं चीन गया था। मैं ने वहां क्या देखा? मैं ने वहां पर देखकर यह महसूस किया कि यद्यपि चीनी लिपि बड़ी कठिन है, हमारी लिपि तो बड़ी वैज्ञानिक है लेकिन उनकी लिपि इतनी कठिन होते हुए भी सारे वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों के ग्रंथ चीनी भाषा में तैयार हो गये है और उनको किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने देखा कि उनकी जितनी टेक्नीकल शब्दावली है वह सारी चीनी भाषा में हैं। उन्होंने इतने टेक्नीकल ग्रन्थ अपनी भाषा में बना लिये हैं कि यहां बैठकर आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पर जितनी वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाती है वह चीनी भाषा के माध्यम से ही दी जाती है, अंग्रेजी के द्वारा नहीं। फिर मैंने देखा कि उनको अपनी भाषा पर गर्व है और वे उसको बड़ा गौरव का स्थान देते हैं। वहां पर एक साइनो इंडियन फ्रेंडशीप एसोसियेशन है जिसकी शाखायें यहां पर भी हैं। मुझे स्टेशन से लेने के लिये उस एसोसियेशन के उपसभापति आये थे, उनका नाम श्री चैन था। वह अपने साथ एक दुभाषिया लाये थे और उसके जरिये उन्होंने मुझ से बातचीत करना शुरू किया। वह दुभाषिया हिन्दी नहीं जानता था पर अंग्रेजी जानता था। वह उनके भाषण को मुझे अंग्रेजी में बता देता था और जो मैं कहता था उसे उनको चीनी भाषा में समझा देता था। लेकिन दूसरे दिन जब श्री चैन मेरे पास आये तो उन्होंने धडाकेसे अंग्रेजी बोलना शुरू किया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि एक रात में तो कोई आदमी अंग्रेजी नहीं सीख सकता था। मैं ने उनसे पूछा कि कल तो आप अपने साथ एक दुभाषिया लाये थे पर आज आप मेरे साथ धड़ाके से अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है। उन्होंने मुझे बतलाया कि उनकी गवर्नमेंट की यह इच्छा है कि किसी भी विदेशी के साथ चीनियों को अपनी भाषा में ही बातचीत करनी चाहिये। और इस कार्य के लिये दुभाषियों को अपने साथ रखना चाहिये। उन्होंने मुझ से कहा कि चूंकि आप यहां चार पांच दिन ही रह रहे हैं इसलिये अगर दुभाषिये के द्वारा बातचीत की जायेगी तो समय अधिक लगेगा और बात कम हो पायेगी, अस्तु मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनको अपनी भाषा का कितना गौरव

[सेठ गोविन्द दास]

है । आप चाहें तो अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ायें मुझे उससे कोई विरोध नहीं है । लेकिन न तो हर व्यक्ति को यहां अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत है और न अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है । हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी भाषायें हों । हमारे जितने वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों के ग्रन्थ हैं वे हमारी भाषाओं में तैयार किये जायें । ऐसा करने से हमको अपनी योजनाओं में काम करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी बड़ी संख्या में उपलब्ध हो सकेंगे । लेकिन जिस समय हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहे हैं दुर्भाग्य से उसी समय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसने यह निर्णय किया । शिक्षा मंत्रियों के इस निर्णय से सारे देश में एक तलहका मच गया है । सरकार को कोई न कोई ऐसी बात करनी चाहिये कि यह तहलका दूर हो जाये ।

अभी कल ही हमारी संसदीय हिन्दी परिषद् की बैठक हुई जिसमें कि आपके अध्यक्ष जी श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार भी उपस्थित थे, अन्य भाषाभाषी भी थे, श्री राजभोज आदि और भी बहुत से लोग थे । उस बैठक में हम सब ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया । चूंकि इस प्रस्ताव में इस कार्य संबंधी सारे उद्देश्य आ गये हैं इसलिये आपकी इजाजत से मैं इस प्रस्ताव को पढ़ देना चाहता हूं । वह प्रस्ताव इस प्रकार है :

"पिछली २ और ३ सितम्बर को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने जो भाषण दिये और सम्मेलन की ओर से जो सुझाव हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के चलाने के संबंध में दिये गये, उनसे संसदीय हिन्दी परिषद् को बहुत खेद हुआ है और हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं के भविष्य के संबंध में शंका उत्पन्न हुई है । इन भाषणों तथा सुझावों में इस बात पर जो बल दिया गया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों के लिये प्रशिक्षण की भाषा हिन्दी और भारतीय भाषायें न रहें, किन्तु अंग्रेजी रहे और इस कारण सब विद्यार्थियों के लिये माध्यमिक कक्षाओं तथा उनसे नीचे की कक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य हो, और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही हो, यह संविधान के अभिप्राय के विरुद्ध और देश के लिये भयावह है ।

संविधान के अनुसार नियुक्त भाषा आयोग के प्रतिवेदन के उपस्थित हो जाने पर भी बिना प्रतिवेदन पर विचार किये हुए इस प्रकार हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के संबंध में नये प्रस्ताव का लाना सर्वथा अवैधानिक और अनुचित भावना का द्योतक है ।

अंग्रेजी पढ़ाने का प्रबंध रखना उचित है परन्तु, प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य करना देश की प्रगति के विरुद्ध है और विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में तथा उनकी मौलिक चिन्तन शक्ति के विकास में बाधा डालना है ।

संविधान की स्वीकृति के पश्चात् बहुत से विश्वविद्यालयों ने अंग्रेजी के स्थान में हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा की अपना माध्यम बनाया है । अब नये सिरे से अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना तथा माध्यमिक शिक्षा में उसका अनिवार्य करना देश की और शिक्षण की प्रगति को पीछे लौटाना है । यह दृष्टिकोण माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदनों तथा पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावित शिक्षा कार्यक्रम के भी विरुद्ध है । स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सुझावों के संबंध में उच्च शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली गयी है । वरन् उनके विचारों की अवहेलना की गयी है । साथ ही यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जिन बहुसंख्यक विद्यार्थियों ने हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा द्वारा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पाई है और जिनकी विशेष प्रवृत्ति अंग्रेजी भाषा की ओर नहीं रही है उनके भविष्य को शिक्षा मंत्रि सम्मेलन के सुझाव अन्धकारमय बना देते हैं ।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकें शीघ्रता से आ गयी हैं और आ रही हैं ।

कई वर्षों से कुछ राज्यों के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का शिक्षण हिन्दी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं द्वारा हो रहा है। आवश्यकता यह है कि देश की सर्वांगीण उन्नति के लिये हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में भिन्न भिन्न विषयों पर ऊंची पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन तीव्रता से किया जाय।

रूस और चीन आदि देशों में जो इंजीनियर आदि प्रशिक्षित विद्यार्थियों की बहुसंख्या तैयार हो रही है, जिसका प्रधान मंत्री जी ने निर्देश किया है, वह इस कारण से सम्भव हो सकी है कि वहां का प्रशिक्षण अपनी भाषा द्वारा होता है, अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा में नहीं।

हमारे देश में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा द्वारा प्रशिक्षण हो और हमारी भाषाओं में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक साहित्य प्रचुर मात्रा में आता जाय और साथ ही अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का भी उपयोग अध्यापकगण करें, इस रीति से ही हमारे देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।

संसदीय हिन्दी परिषद् आशा करती है कि केन्द्रीय शासन इस शिक्षा मंत्री सम्मेलन के भाषण और सुझाव को महत्व न देगा और अस्वीकार करेगा।

राज्य शासनों तथा विश्वविद्यालयों का इस परिषद् का सुझाव है कि वे बिना विचारे और दबाव में आ कर कोई प्रतिगामी नीति न स्वीकार करेंगे।"

मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। मैं इस योजना की हृदय से सफलता चाहता हूं। मैं इस योजना का अनेक अंशों में स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। कृपालानीजी के एक मत से मैं जरूर सहमत हूं कि जहां कहीं हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकें वहां हम बड़े बड़े कारखाने न बनायें।

अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। हम कैपिटल अर्थात् पूंजी मांगते हैं। पूंजी पर हम सभी जोर देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि हम पूंजी की तरह श्रम भी उधार लेने का प्रबन्ध करें। हम श्रम मुफ्त में लेने की कोशिश न करें, उधार लेने की कोशिश करें। हम इस प्रकार की कोई योजना बनावें जिस में हम श्रम को उधार ले सकें और इस योजना का कार्य रूप में परिणत कर सकें।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैं श्री नन्दा जी के एक मत से सर्वथा सहमत हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिन से हमें दलबन्दी और राजनीति को अलग रखना चाहिये, और उन को अलग रख कर हम को एक मत से काम करना चाहिये और उन का समर्थन करना चाहिये। यह बात मैं अनेक बार पहले भी कह चुका हूं। जो देश की उन्नति के काम हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना उन में सब दलों को इकट्ठा हो कर काम करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार हम पहली योजना में सफल हुए, जब कि हमें कोई अनुभव नहीं था, अब हम को अनुभव भी हो गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो उस से कहीं बड़ी है, हम पांच वर्षों के स्थान पर चार वर्षों में ही सफल कर देंगे। हमारा देश इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग देगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : मैं समझता था कि इस बार योजना पर हम कुछ विशेष रूप से चर्चा कर सकेंगे, किन्तु अभी तक मैंने जो कुछ सुना उससे मेरी यह आशा निर्मूल सिद्ध हुई। श्री नन्दा का इस विषय पर भाषण सुनते सुनते मेरे साथ तो ह्रास नियम जैसा लागू हो रहा है। इसके पश्चात्, आचार्य कृपालानी और सेठ गोविन्द दास के भाषण भी सुने। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि योजना के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर ही बोलूं। वास्तव में योजना का सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया है और उसके उद्देश्यों पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। दूसरी ओर सरकार को चाहिये कि उन सभी वर्गों के लोगों के प्रति आभार प्रकट करे जिन्होंने योजना को सफल बनाने में उसको सहयोग दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

इसमें संदेह नहीं, जैसा कि स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था, कि देश में निरुत्साह और निराशा छाई हुई है। वास्तव में इसका कारण यह है कि लोकतन्त्र के नाम पर हमारे यहां अभी भी नौकर-शाही चल रही है। यही कारण है कि सभा में भी निराशा दिखाई पड़ती है। मुझे और सब बातों की तो परवाह नहीं, किन्तु सारे ही लोगों की शिकायत यह है कि हमारी दैनिक दशाओं पर क्यों आक्रमण किया जाता है? खाद्य पदार्थों और कपड़े के मूल्य क्यों बढ़ते जा रहे हैं? यही कारण है जिससे देश में निराशा और असन्तोष फैलता जा रहा है। किन्तु मैं चाहता हूं कि योजना के महान् उद्देश्यों की पूर्ति में हम सभी सहयोग दें। इसी भावना को लेकर मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं।

सबसे पहले मैं भूमि के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। १९५१ की जनगणना के अनुसार देश की ६९·८ प्रतिशत जनसंख्या भूमि पर निर्भर है और राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग आधा भाग कृषि संबंधी उत्पादनों पर निर्भर करता है। इस कारण हमें देखना यह है कि योजना से इस समस्या को हल करने में कहां तक सहायता मिलेगी।

योजना में भूमि के बारे में एक स्थान पर कहा गया है कि कृषि की जाने वाली भूमि का क्षेत्र बहुत सीमित है। यह चीज़ तो बड़ी आश्चर्यजनक है जब कि देश में हज़ारों एकड़ बेकार और परती भूमि पड़ी हुई है। खाद्य पदार्थों की पैदावर में वृद्धि करते समय यह बेकार भूमि भी ध्यान में रखी गई होगी।

अभी हाल ही में कुछ संसद् सदस्य और सरकारी अधिकारी चीन गये थे। वास्तव में यह बड़े हर्ष की बात है यदि हम भी चीन से कुछ नई चीज़ें सीख सकें क्योंकि दोनों देश की परिस्थितियां बहुत कुछ समान हैं। चीन ने अपने यहां कृषि के लिये कम राशि नियत करते हुये भी उत्पादन में अधिक वृद्धि करने का लक्ष्य बनाया है यह इस कारण हो सकता है कि वहां अब सहकारिता से अधिक काम हो रहा है।

हमारी योजना में भी उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है किन्तु मेरे विचार से जब तक सरकार द्वारा इस पर जोर नहीं दिया जाता और उचित कार्यवाही नहीं की जाती तब तक परिणाम संतोषजनक नहीं निकल सकता। मैं चाहता हूं कि चीन की भांति ही यहां भी सरकार से प्रविधिक सहायता आदि मिला करे। आशा है कि योजना आयोग मेरे इस सुझाव पर उचित ध्यान देगा।

द्वितीय योजना प्रतिवेदन में भूमि का प्रयोग करने की योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने तथा विकास कार्यक्रमों को संबद्ध करने की बात कही गई है अर्थात् सरकार उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अभी इन्हीं निश्चित तरीकों पर ही काम करना चाहती है। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषक वर्ग का हित किन किन बातों में है, उसके अनुसार सरकार कार्य करे। सुधार संबंधी कार्यक्रम तथा कृषि संबंधी उत्पादन के बारे में योजनामें जितना विस्तृत उल्लेख होना चाहिये था वह नहीं किया गया है। यही कारण है कि सरकारी क्षेत्रों में इस बारे में अभी किसी को निश्चित रूप से यह नहीं मालूम है कि उसमें कितना और सुधार होना है। हमारे मंत्रियों और प्रधान मंत्री नें इस संबंध में सम्मेलन आदि भी किये हैं किन्तु किसी को यह नहीं मालूम कि सरकार किस प्रकार का सुधार करने जा रही है।

मेरे मित्र श्री नन्दा अभी भी यही समझते हैं कि अभी उत्पादन में बहुत काफी वृद्धि हो सकती है, किन्तु उसके लिये कुछ अतिरिक्त राशि निर्धारित करनी होगी। अतः इस बारे में अभी तक ठीक-ठीक स्थिति किसी को भी नहीं मालूम है।

इस सम्बन्ध में एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार यह देखे कि बन्ध बांधने में धन का अपव्यय न हो और भ्रष्टाचार न फैले।

मैंने देखा है कि खेतिहर मजदूरों के बारे में बड़ा निराशाजनक दृष्टिकोण है। उसमें कहा गया है कि इस समय जितने मजदूर हैं उसके एक चौथाई या एक तिहाई बेकार हो जायेंगे।

इस सम्बन्ध में ३१ अगस्त, १९५६ के ईस्टर्न इकानामिस्ट के एक लेख में प्रोफेसर डान्टवाला ने कहा है कि दस वर्षों में जितने लोगों को बेदखल किया गया है, पिछले सौ वर्षों में उतने लोगों की बेदखली नहीं की गई थी। योजना आयोग ने राजनीतिक कारणोंवश इन तथ्यों पर पर्दा डालने की कोशिश की है।

हो सकता है कि उनका यह कहने का तात्पर्य यह रहा हो कि भूमि सम्बन्धी विधान ठीक नहीं है। किन्तु उन्हों ने यह कहा है भूमि विधान ठीक से लागू ही नहीं होता क्योंकि बेदखली धड़ाधड़ की जा रही है, जब कि प्रधान मंत्री आदि इसका विरोध करते रहे हैं। वे एक उत्तरदायी व्यक्ति हैं और उच्च सरकारी पदों पररह चुके हैं। अतः उनके कथन में असत्यता की सम्भावना कम ही जान पड़ती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार खेतिहर मजदूरों के लगभग सोलह प्रतिशत लोगों को वर्ष भर कोई काम नहीं मिलता। गांव के बेकार लोगों के बारे में आंकड़े भी बहुत कम ही मिल पाते हैं। राष्ट्रीय नमूना परिमाप के अनुसार नगरों में बेकारों की संख्या लगभग ५० लाख है। अतः सरकार को चाहिये कि वह भारी उद्योगों तथा उससे सम्बन्धित अन्य उद्योगों का समायोजन करने तथा कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने के बारे में निश्चित कार्यक्रम रखे।

मुझ खेद है कि आचार्य कृपालानी इस समय उपस्थित नहीं हैं, किन्तु वह सदैव यही कहते रहे हैं कि सरकार को हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिये कुछ करना चाहिये। उनका कहना है कि सरकार गान्धीवादी सिद्धान्तों से दूर होती चली जा रही हैं। कुछ भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस काम में लगे हुये लोग बेकार नहीं होने चाहियें। सरकार को कुछ न कुछ काम उनके लिये भी निकालना ही चाहिये। वास्तव में देखा जाय तो बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास तथा कुटीर उद्योगों में एक प्रकार का समायोजन किया जाना चाहिये। मैंने अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी में देखा हैं कि हमारे यहां की दस्तकारी की काफी मांग है, जब कि हम उनकी बिक्री बढ़ाने के लिये किंचित मात्र भी प्रयत्न नहीं करते हैं। आज जब अनेक देश हमसे आर्थिक तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं। आज आप करते क्या हैं कि दस्तकारी की इतनी महंगी चीजें बिकने के लिये बाजार में रखते हैं कि जन-साधारण उन्हें खरीदनें की सोच ही नहीं सकता। इस कारण इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः मेरा निवेदन यह ह कि बड़े पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों में समायोजन होना आवश्यक है। पश्चिमी बंगाल के हावड़ा प्रदेश की भांति छोटे-छोटे उपक्रमों के द्वारा भी औद्योगिक उत्पादन में सहयोग दिया जा सकता है।

अब मैं शिक्षा को लेता हूं। राष्ट्र की नीति के निदेशक तत्त्वों में यह कहा गया है कि ६ से १४ वर्ष के बच्चों को शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। योजना आयोग के प्रतिवेदन के हिसाब से प्रत्येक राज्य में ६ से १४ वर्ष के 'स्कूल जाने वाले' बच्चों की संख्या अलग अलग रहेगी। द्वितीय योजना में लगाये गये अनुमान से ४९ प्रतिशत बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। वास्तव में देखा जाय तो सरकार को इस बारे में चिन्ता न होकर मद्य निषेध के बारे में हैं। मैं मद्य-निषेध को बुरा नहीं समझता, किन्तु आपको यह देखना चाहिये कि कौन सा काम पहले किया जाने योग्य है और कौन सा बाद में। आप शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा करके मद्यनिषेध को प्राथमिकता दे रहे हैं।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अवश्य कुछ सुधार हुआ है। उदाहरण के लिये क्षय रोगियों के लिये प्रथम योजना काल में ५,००० से बढ़कर २०,००० चारपाइयों की व्यवस्था हो गई है जो वित्तीय योजना काल में बढ़कर ४०,००० हो जायेगी। किन्तु अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन के अध्यक्ष डा० ए० सी० उकील के अनुसार यह संख्या ५०,००० होनी चाहिये।

योजना में सरकार ने स्वास्थ्य के लिये ५·५ प्रतिशत राशि नियत की है, जब कि मांग यह की गई थी कि संघ सरकार के राजस्व का कम से कम दस प्रतिशत स्वास्थ्य के लिये रखा जाना चाहिये।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

द्वितीय योजना के अन्त में जो यह आशा की जाती है कि देश में ९०,००० डाक्टर, ८०,००० नर्सें और ८०,००० दाइयां हो जायेंगी, यह संख्या भी पर्याप्त नहीं है।

तत्पश्चात् मैं यातायात के प्रश्न को लेता हूं। इसमें रेलवे का प्रमुख स्थान है और जब तक अधिक रेलें नहीं चलाई जातीं, या मालगाड़ियों के माल ढोने की क्षमता नहीं बढ़ती, तब तक इस बारे में वास्तविक उन्नति नहीं की जा सकती। इसके लिये रेल कर्मचारियों के उत्साहवर्धक सहयोग बिना वांछित उन्नति नहीं हो सकती। यह चीज सभा में स्वीकार की जा चुकी है। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिनिधियों को विदेश भेज रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे स्थिति में क्या सुधार हो सकेगा।

यही चीज डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के साथ भी लागू होती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब इन विभागों के लोग सहयोग देने का वचन देते हैं तो फिर उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है।

सड़क यातायात के लक्ष्य पता नहीं क्यों पूरे नहीं हो पाते। नागपुर तक के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। द्वितीय योजना में रेल तथा सड़क पर कितना कितना यातायात होता है, इस बारे में कोई विस्तृत सूचना नहीं दी गई है। योजना आयोग को इस सम्बन्ध में आंकड़े देने चाहिये थे। यदि सरकार का और हमारा सम्पर्क बना रहे तो हम उसकी कठिनाइयों को सरलता से समझ सकते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय बता सकते हैं। मोटर गाड़ी विधान में अब कुछ सुधार होने वाला है। मैं तो यह कहूंगा कि द्वितीय योजना को सफल बनाने और देश की अर्थ व्यवस्था में विकास करने की दृष्टि से रेल, सड़क तथा अन्तर्देशीय जलपथ सम्बन्धी यातायात में समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न किया जाये।

हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां बैलगाड़ियों के बिना काम नहीं चल सकता। इस सम्बन्ध में मैंने सुना है कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। कुछ भी हो माल ढोने का यह एक बड़ा प्राचीन साधन है जिसमें सुधार होना आवश्यक है। जल माग के बारे में सुधार होना चाहिये।

अपने देश के पत्तनों पर विचार करते समय मैं कलकत्ता पत्तन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वास्तव में कलकत्ता पत्तन की दशा खराब है क्योंकि वहां की नदी को बराबर गहरा करते रहना पड़ता है। कलकत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्तन की दशा न सुधरने से देश की बड़ी हानि होगी। जैसा कि श्री नरसिंहन ने सुझाव दिया है, आप सागर में एक अधीनस्थ पत्तन क्यों नहीं बना लेते। सुन्दरबन के डेल्टा वाले प्रदेश में आप काफी शरणार्थियों को बसा सकते हैं। यदि गंगा बांध इस समय नहीं बनाया जा सकता तो कम से कम अधीनस्थ पत्तन स्थापित करने के प्रश्न पर अवश्य गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

मुझे बताया गया है कि अन्य छोटे पत्तनों के सम्बन्ध में तत्काल बहुत कुछ किया जा सकता है।

सरकार ने वचन दिया है कि बम्बई और कुमारी अन्तरीप के बीच शीघ्र ही एक सड़क बनाई जायेगी। बम्बई और गोआ के बीच छोटे-छोटे कोई बीस बन्दरगाह हैं, यदि उन्हें विकसित किया जाये और बम्बई तथा धुर दक्षिण तक सड़क संचार विकसित किया जाये, तो अवश्य ही हमारे देश की परिवहन सम्बन्धी समस्यायें तमाम सुलझ जायेंगी।

सरकार अब भी अपने अधिकारियों पर ही अधिक निर्भर करती हैं। प्रधान मंत्री भी हर जगह यही कहते हैं कि सामुदायिक विकास परियोजनायें देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही हैं। लेकिन मुझे तो कहीं भी क्रांति दिखाई नहीं देती है।

आपनें इस क्रान्ति के लियें २०० करोड़ रुपयों के व्यय का एक कार्यक्रम बनाया है। लेकिन इस राशि का सबसे अधिक भाग—५२ करोड़ रुपया—कर्मचारियों और खण्ड मुख्यकार्यालयों के उपकरणों के लिये ही है। यह क्यों ?

भारतीय चिकित्सक सम्मेलन के सभापति ने भी जयपुर में कहा था कि बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने पर रुपया व्यय नहीं किया जाना चाहिये। उनका सुझाव है कि हमें और कम मूल्य की ऐसी इमारतें बनानी चाहिये जो दस-बीस वर्षों तक चल सकें, बाद में बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा सकती हैं। अपने अन्य उद्योगों के विकसित होने तक हमें अभी रुकना चाहिये और हम जो बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं वे भी अधिक टिकाऊ नहीं हैं।

हम जो बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं वे न तो कलात्मक सुरुचि के विचार से और न बनावट की सुदृढ़ता की ही दृष्टि से उत्तम हैं, फिर भी हम उन पर पानी की तरह रुपया बहा रहे हैं।

सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कर्मचारियों और उपकरणों पर इतना अधिक रुपया व्यय करने का ही यह परिणाम है कि शिक्षा के लिये धन की कमी पड़ रही है।

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिये ९३ करोड़ रुपये रखे गये थे। 'प्रशासकीय तथा विविध' प्रयोजनों के लिये उसमें ११ करोड़ रुपये रखे गये थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, हम प्राथमिक शिक्षा पर ८९ करोड़ और 'प्रशासकीय तथा विविध' प्रयोजनों पर ५७ करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं। यह जनता के धन का दुरुपयोग है। इसे बन्द किया जाना चाहिये।

कहा जाता है कि जनता श्रमदान करती है। ठीक है, लेकिन श्रमदान से बनाई गई सड़क को आप अन्य सड़कों से जोड़ते नहीं हैं। तमाम स्थानों पर जनता फ्लैग स्टेशनों की मांग कर रही है और उसके लिये श्रमदान करने को भी तैयार है, लेकिन रेलवे मंत्रालय कहता है कि उसके पास रुपया नहीं है। उनके श्रमदान की उपेक्षा की जाती है। हम पर आक्षेप किया जाता है कि हम आवश्यक सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सरकार के प्रभाव के अंतर्गत भी कुछ संगठन हैं, जैसे भारत सेवक समाज। मैं भारत सेवक समाज के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन वह कांग्रेस आन्दोलन का ही एक भाग है। आवश्यक तो यह है कि सभी तत्वों का सहयोग प्राप्त करने के लिये हमें साधन ढूंढने चाहियें।

उदाहरण के लिये, पुनर्वास के प्रश्न को लीजिये। स्यालादा में शरणार्थियों को पशुओं की भांति इकट्ठा कर दिया गया है। वहां मुझे बताया गया कि शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न पर वहां सभी राजनीतिक दल और गैर राजनीतिक संगठन एक साथ मिल कर कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार उनका सहयोग ही नहीं लेती है। वहां चिकित्सकीय सहायता नहीं दी जाती है। जल का भी अभाव है। लेकिन, सरकार वहां के स्थानीय संगठनों का सहयोग भी नहीं लेना चाहती है क्योंकि सरकार का विचार हैं कि यह संगठन लोगों के कष्ट और दुःख से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

आन्ध्र में, श्री राम चन्द्र रेड्डी को भी सरकार ने समाज सेवा के कार्य में पूरा पूरा सहयोग नहीं दिया है।

सरकार जब भी योजना की पूर्ति के लिये जनता के सहयोग की बात कहती है तो उसका आशय यह नहीं होता है कि वह उसका सहयोग चाहती ही है। यदि सरकार वास्तव में जनता का सहयोग चाहती है, तो उसे अपने वचनो के अनुसार ही चलना चाहिये। यह तो अच्छा है कि सरकार ने विभिन्न दलीय संसद् सदस्यों को योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अपने विश्वास में लेना आरंभ कर दिया है। लेकिन साथ ही उसे इससे आगे बढ़ कर जनता के सभी वर्गों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिये।

इसलिये, यह आवश्यक है कि हमें समूचे देश को मनोवैज्ञानिक और प्रविधिक रूप से तैयार करना चाहिये। केवल दूर बैठे-बैठे सहयोग की बातें भर नहीं करनी चाहिये। हमें परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना चाहिये।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

बुद्ध जयन्ती के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमें यह भी सीखना चाहिये कि बुद्ध नें दु:ख और कष्ट की समस्या का हल करने के लिये अपना गृह त्याग दिया था। दु:ख सदा से भारतीय जनता का साथी रहा है। उसे दूर करने के लिये उत्साहपूर्ण कार्यवाही आवश्यक है, लेकिन वह तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार उसके सम्बन्ध में गम्भीर न हो।

अभी कल ही, टाटा उद्योग पतियों ने राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी।

इस प्रकार के वातावरण में, सरकार के गम्भीर होने पर भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये, मेरा सुझाव यह है कि कुछ ठोस प्रगति कर के ही हम जनता में पंचवर्षीय योजना के प्रति उत्साह पैदा कर सकते हैं, तभी योजना सफल भी हो सकती है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : राज्य सरकारों ने जितना भी धन ऋण के रूप में जनता से मांगा था उसके लिये निर्धारित राशि से अधिक धन प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि जनता पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है।

मैं यह नहीं मानता कि जनता में योजना के प्रति निराशा है। मेरे ही जिले में मैत्तुर के निकट एक नयी नहर बनाई गयी है। उससे ५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। क्या यह एक शान्ति-पूर्ण क्रांति नहीं है ? यह तो स्पष्ट ही एक क्रान्ति है।

वास्तव में शान्तिपूर्ण क्रान्ति आरम्भ हो चुकी है। मेत्तुर के निकट जनता उसका अनुभव कर रही है। जनता में उत्साह भी है।

इसलिये जनता की निराशा की बात सही नहीं है।

इसी प्रकार मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो करोड़ रुपयो की एक परियोजना आरम्भ की गयी थी। उसके शिलान्यास समारोह में ही हजारों व्यक्ति ने भाग लिया था।

इसका अर्थ यही है कि जनता देख रही है कि क्रमश: परियोजनायें पूरी होती जा रही हैं। इससे जनता में आशा का संचार हुआ है।

इसलिये यह सोचना गलत होगा कि हमने जनता के विश्वास के प्रति न्याय नहीं किया है। एक शान्तिपूर्ण प्रगति निरन्तर हो रही है।

हमारे योजनाकारों ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आण्विक उर्जा के शान्तिकालीन उपयोग के लिये विकसित करने और तेल निकालने की बड़ी-बड़ी योजानायें यह सिद्ध करती हैं कि हम भविष्य के प्रति भी सचेत हैं। हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि हम चुनावों के सिर पर होने के समय भी अल्पकालीन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। हमें जनता के वोट गवा देने का भय नहीं है।

हमारी इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये यह आवश्यक है। यह हमारे योजनाकारों की दूरदर्शिता का परिचय देती है। आण्विक ऊर्जा के लिये हमारे यहां मोनाज़ाइट है ही। इनसे हमारे देश में बड़ी समृद्धि होगी।

द्वितिय पंचवर्षिय योजना में दक्षिण भारत के लिये एक महती योजना है—७० करोड़ रुपये की एक लिगनाइट परियोजना का निर्माण। उसकी सफलता दक्षिण भारत की प्रगति के लिये एक दृढ़ नींव तैयार कर देगी। ईंधन की समस्या हल हो जायेगी और फिर उसके बाद सहयोगी उद्योगों की भी वृद्धि होगी। मद्रास में नये-नये उपक्रम स्थापित होनें लगेंगे।

यह भी बड़े संतोष की बात है कि मेरे अपने जिले में एलूमीनियम के उत्पादन के लिये एक बौक्साइट फैक्टरी स्थापित करने का वचन दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इतना सब होते हुए भी, मुझे एक शिकायत है। मद्रास राज्य की परिवहन सम्बन्धी समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। हम लिगनाइट पर २८ करोड़ रुपये और बौक्साइट पर १० से २० करोड़ रुपये तक खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन उस क्षेत्रविशेष में रेलवे लाइनें पर्याप्त नहीं हैं।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

रेलें न होने से, इन सभी योजनाओं से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये लिगनाइट क्षेत्र, नाईवेली और बौक्साइट क्षेत्र, सलेम, में रेलों की क्षमता काफी बढ़ायी जानी चाहिये। इसके लिये, सलेम और बंगलौर के बीच एक नयी लाइन बनानी आवश्यक है। अभी तक केवल सर्वेक्षण किया गया है। आशा है कि योजना मंत्री और रेलवे मंत्री इस समस्या की ओर उचित ध्यान देंगे। इसके बिना योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। लिगनाइट और बौक्साइट योजनाओं के लिये भी रेलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

यह कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं है। कोई १०० मील लम्बी उखड़ी हुई रेलवे लाइन को युद्ध के बाद से अब तक पुनर्निर्मित नहीं किया गया है। यदि सरकार चाहे तो उसे पुनर्निर्मित करने के साथ साथ नयी लाइनें भी डाल सकती है।

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में छोटी-छोटी चीजों को भी भुला दिया गया है। लोगों के सामने बड़े बड़े लुभावनें चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। लेकिन, सरकार ने पवन चक्कियों के कार्यक्रम की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। उससे गांव स्वावलम्बी बन सकते हैं। लेकिन सरकार का तरीका तो हर कार्य के लिये समिति नियुक्त भर कर देना है। उसके बाद उस समति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पवन चक्कियों के कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् से पूछताछ की जानी चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एक गणित गवेषण प्रतिष्ठान की स्थापना की जानी चाहिये। यह आवश्यक है। गणित को सभी विज्ञानों का सम्राट माना जाता है। उसके बिना, आधुनिक विज्ञान की प्रगति असम्भव है। गणित सम्बन्धी गवेषणा की जानी आवश्यक है।

इसके साथ ही, सरकार को उपयुक्त जहाजों के विकास के लिये एक नौवहन संग्रहालय भी स्थापित करना चाहिये।

योजना के अन्तिम प्रारूप में इस सभा द्वारा पारित मद्य-निषेध सम्बन्धी संकल्प को सम्मिलित कर लेने के लिये, मैं योजना आयोग और योजना मंत्री को धन्यवाद देता हूं। लोक सभा के संकल्प में कहा गया था कि मद्य निषेध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक अविभाज्य अंग बनाया जाना चाहिये। आशा है कि सरकार इसे कार्यान्वित करने की ओर भी इतना ही ध्यान देगी। अन्यथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप जनता की जितनी भी समृद्धि होगी वह शराब में बह जायेगी। मद्य-निषेध का कार्य कठिन है, लेकिन हमें उसे नियंत्रित करना ही चाहिये। देश-व्यापी मद्य-निषेध के लिये हमें सक्रिय होना चाहिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ–मध्य) : यह द्वितीय योजना हमारे देश के विचारशील अर्थ शास्त्रियों के सुझावों का परिणाम है, जिसमें इन्होंने देश के विकास व उन्नति का कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर दृष्टि न डाली हो। फिर भी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है, इस कारण मैं अपने कुछ विचार रखने का साहस करती हूं।

देश की आर्थिक प्रगति के लिये शिक्षा का बड़ा महत्व है। आज हमारे देश के शिक्षा शास्त्री इस राय पर पहुंचे हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो देश में बेसिक या बुनियादी पद्धति की शिक्षा प्रारम्भिक व जूनियर स्कूलो में दी जाये और यह अनुमान है कि द्वितीय योजना के अन्त तक देश में बेसिक स्कूलों की संख्या ३८ हजार और छात्रों की संख्या ६३ प्रतिशत हो जायेगी।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

पिछली योजना में प्राइमरी या प्रारम्भिक शिक्षा के लिये ९३ करोड़ रुपये रखे गये थे। यह बड़े अचम्भे की बात है कि द्वितीय योजना में बजाय बढ़ाने के ४ करोड़ रुपया और कम कर दिया गया है, जब कि यह मान लिया गया है कि छात्र संख्या में अब पूर्व से वृद्धि हो गयी है। इन प्रारम्भिक व जूनियर स्कूलों में भी लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इसका एक कारण यह भी है कि लड़कियों के लिये स्कूल बहुत कम हैं। विशेषकर डिस्ट्रिक्ट में तो इनकी बहुत कमी है। सरकार का जो शिफ्ट सिस्टम का विचार है कि एक ही स्कूल में बालक व बालिकायें बारी से पढ़ सकें, वह बहुत ठीक है और उसको तुरन्त लागू करना चाहिये।

सरकार नें यह निश्चय किया था कि १० वर्ष के अन्दर वह प्रत्येक चौदह वर्ष तक के बालकों के लिये देश में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कर देगी। परन्तु मुझको यह पढ़ कर दुःख हुआ कि इस द्वितीय में इस सम्बन्ध में भी (इफ़) या अगर आगया और यह लिखा है "साधनों के सीमित होने पर ही इसको पूरा करने की चेष्टा की जायेगी वरन् इस लक्ष्य की प्राप्ति तीसरी योजना के अन्त तक की जा सकती है"।

योजना बनानें वालों की यह शुभकामना है, कि हमारे देश का कोई भी गांव जिसकी आबादी ५०० हो, बिना बुनियादी स्कूल के न रहे। परन्तु यह स्कूल तभी कायम हो सकते हैं जब इनके लिये ट्रेंड शिक्षक उपयुक्त मात्रा में हों जो क्राफ्ट इत्यादि भी जानते हों।

केन्द्रीय सरकार अभी १५,००० टीचर्स को ट्रेनिंग देने पर केवल विचार ही कर रही है। और जब तक इसका प्रबन्ध हो पाएगा तब तक योजना के पांच वर्षों का भी अन्त हो जायेगा।

यह अध्यापक देश का भविष्य बनाने वाले हैं, क्योंकि बालकों को चरित्रवान बनाना उनके हाथ है, परन्तु हमारे देश में प्रारम्भिक शिक्षाके अध्यापकों को एक मजदूर व चपरासी से भी कम वेतन मिलता है, न उनका कोई स्टेटस है न आदर सम्मान। इसी कारण बालकों पर उनका अनुशासन नहीं चलता, वे उनको नियम वह कन्ट्रोल में नहीं रख पाते।

यही कारण है कि आजकल योग्य व अच्छे पुरुष शिक्षालयों की नौकरी से विमुख हैं। जिन गरीबों की बेरोजगारी की मार है, वही अभागे इस पेशे में जाते हैं।

सरकार ने जो युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया है वह और बातों के साथ यूनिवर्सिटी टीचर्स के वेतन में बढ़ोत्तरी पर भी विचार करेगा। मेरे विचार से तो यूनिवर्सिटी टीचर्स को इतना कम वेतन नहीं मिलता जिस पर तुरन्त विचार की जरूरत हो।

अधिक आवश्यकता तो ४५ रुपये पाने वाले स्कूल मास्टर की तनख्वाह बढ़ाने की है, परन्तु वही मसल है कि :

माया पर माया गिरे कर कर लम्बे हाथ।
तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात॥

देश के स्वास्थ्य का प्रयत्न और डाक्टरों, नर्सों, दाइयों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध जो सरकार कर रही है वह प्रशंसनीय है। इन सब पर ४३ करोड़ रुपया व्यय होगा। अपनें साधनो को देखते यह भी कम नहीं है।

परन्तु देशी इलाज पद्धति व देशी दवाई के लिये जो १ करोड़ ५ लाख की रकम रखी गयी है, वह कम है। क्योंकि जब यह प्रत्यक्ष है कि ट्रेनिंग के बाद भी ८ लाख डाक्टरों की कमी देश में रहेगी तो उनकी जगह की पूर्त्ति वैद्य, हकीमों से भली प्रकार हो सकती है।

विशेषकर गांव में जहां डाक्टरों को जाने में भी आपत्ति रहती है, डाक्टरी इलाज भी इतना महंगा पड़ता है कि गांव वाले उतने खर्च की सामर्थ्य नहीं रखते। वहां यह देशी इलाज बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

आजकल, अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों ने यह प्रथा कायम कर दी है कि वे सिर्फ पेटेन्ट दवाये देते हैं जो विदेशों से आती हैं, और ये इन्जेक्शन व दवायें बहुत महंगी पड़ती हैं और हमारे देश का करोड़ों रुपया हर वर्ष इन दवाओं में बाहर चला जाता है ।

क्या यह उचित न होगा कि इन एलोपैथिक दवाओं के बनाने का कारखाना देश में बनाया जाये, उसकी दवायें डाक्टर लोग प्रयोग में लायें और जर्मन व इंग्लैंड जाने से देश का धन बचे । अच्छे इलाज के लिये ट्रेंड कम्पाउंडर का होना अनिवार्य है । योग्य कम्पाउन्डर का देश में होना अनिवार्य है, योग्य कम्पाउंडर की आज देश में बहुत कमी है परन्तु प्रशिक्षण या ट्रेनिंग पाने वालों की लिस्ट में इनका जिक्र या नाम नहीं आया है ।

आज हमारे देश में ट्रेंड नर्सों की इतनी कमी है कि ५ हजार व्यक्ति पर एक नर्स पड़ती है । नर्सों की बड़ी मांग है, फिर भी अच्छी श्रेणी की स्त्रियां इस कार्य में रुचि नहीं रखतीं । इसका विशेष कारण यह है कि टीचर्स की तरह इनको भी वेतन बहुत कम मिलता है और नर्सिंग का कार्य बहुत कठिन है । भले घरों की शिक्षित स्त्रियों को उस समय तक इसमें कोई आकर्षण न होगा जब तक कि नर्सों की लिविंग, और वर्किंग कन्डीशन में सुधार न हों ।

देहातों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की अधिक आवश्यकता है, इसके लिये तीन हजार गांवोंमें मेडिकल यूनिट्स या स्वास्थ्य इकाइयों का बनाया जाना ठीक है परन्तु इनके साथ जच्चाओं के लिये ट्रेन्ड दाइयों का रहना बहुत आवश्यक है ।

यह संतोष की बात है कि द्वितीय योजना के अन्त तक हमारे देश में १२,६०० अस्पताल और एक लाख ५५ हजार शय्याओं की संख्या रोगियों के लिये हो जायेगी पर इसका महत्व तभी है जब कि देश की गरीब जनता भी उससे लाभ उठा सके और उनको आसानी से इन अस्पतालों में भर्ती मिल सके, अभी तक तो यह शिकायत है कि केवल धनी वर्ग ही इनसे लाभ उठाते हैं ।

इन अस्पतालों में कोई शिकायत न हो इसके लिये अस्पतालों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । यह अस्पतालों से बड़ी बड़ी तन्ख्वाहें भी पाते हैं फिर भी अपनी रोरिंग प्रैक्टिस बाहर करते हैं । इसी कारण मरीज व अस्पताल नेगलेक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास अस्पताल में देने के लिये समय ही नहीं रहता है ।

मकानों की समस्या भी जटिल है । पिछली योजना में भी काफी मकाम बने, इस द्वितीय योजना के अन्त तक १२० करोड़ रुपया मकानों पर व्यय होगा । इसमें निजी व्यक्तियों द्वारा और दूसरे संगठनों द्वारा शहर व देहात मिला कर कुल ३२ लाख मकान बनेंगे जब कि आवश्यकता ९० लाख मकानों की है । दूसरे शब्दों में मोटे तौर पर १९६१ में १९५१ कि अपेक्षा इतना प्रयत्न करने पर भी मकानों की कमी दुगुनी से भी अधिक होगी । कारण यह है कि देश की आबादी ४० व्यक्ति प्रति व्यक्ति हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ रही है, मकान बढ़ते जाते हैं, किन्तु समस्या और विकट होती जाती है । वही मसल है कि "मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की" एक साएन्सदां ने अखबार मे लिखा था कि अगर दुनिया में केवल खड़े रहने की जगह रह जायेगी इसका हल ब्रह्मा के हाथ में है । सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है ।

मकानों के सम्बन्ध में कुछ रिलीफ़ हो, इसका उपाय यह है कि मकान बनाने वालों को सस्ती जमीन प्राप्त हो और मकान बनाने की सामग्री चूना, ईंट, सिमेंट, लोहा इत्यादि सरलता से प्राप्त हो सके, इसका प्रबन्ध होना चाहिये ।

सरकार ने स्वयं जो मकान छोटी आय और मध्यम वर्ग के लोगों के लिये बनाये हैं वे बिल्कुल बसानुमा व तक्लीफदेह हैं । अब जो मकान बनें, उनमें यह विशेष ध्यान रखा जाय कि इनमें किचन, गुसलखाने और डब्ल्यू० सी० हों और वे खुले हवादार व बड़े बनाएं जायं ।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

समाज कल्याण विभाग एक जनहितकारी व आवश्यक विभाग है। इसके लिये जो १० करोड़ रुपया दिया गया वह उचित है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि वैलफेयर बोर्ड की देश में ज़रूरत नहीं, दूसरे विभाग इसका कार्य कर सकते हैं। इसके लिये ओवरलैपिंग होती है। मेरे विचार से यह विभाग स्त्रियों व बच्चों के लिये अत्यन्त कल्याणकारी है। सोशल वेलफेयर का कार्य ही इतने महत्व का है कि जितने भी अधिक रास्तों से हो सके, देश के लिये उतना ही अच्छा है। यह सामाजिक न्याय है कि देश के दरिद्र, अपाहिज, अपंगों व गरीब बेकसों की सहायता पर धन खर्चा जाय, नहीं तो हमारी आर्थिक उन्नति बेकार है।

यह खुशी की बात है कि इस योजना के अन्त तक हमारे देश के हर जिले में एक सोशल वेल-फ़ेयर सेन्टर स्थापित हो जायगा। और देश के सभी राज्यों में एक बेगर होम बनेगा जिसमें १०० बूढ़े, अपाहिज और रोगी फकीर रखे जायेंगे।

कदापि यह प्रबन्ध बहुत कम है और हमारे देश में तो प्रत्येक नगर में १०० से अधिक फकीर व अपाहिज हैं फिर भी कुछ न होने से अच्छा है। मेरी वेलफेयर बोर्ड से प्रार्थना है कि इसका जल्दी प्रबन्ध किया जाय।

इस योजना में श्रमदान का बड़ा महत्व है यदि इसको सच्ची देश सेवा की भावना से किया जाय और दिखावा व तमाशा न बनाया जाय। श्रमदान से जो गांवों में गांधी चबूतरे, पंचायतघर और सड़कें इत्यादि बनीं, ये प्रशंसनीय कार्य थे परन्तु अधिक फायदा इनसे तभी होगा जब वहां के लोग इस कार्य को करें।

मैजिस्ट्रेट या जिलाधीश के प्रबन्ध से जीप्स या पिकअप्स पर चढ़कर जो शहरी लोग देहातों में श्रम करने जाते हैं, उससे लाभ कम होता है और खर्च अधिक पड़ता है, अच्छा तो यह हो कि शहर के लोग शहर में श्रम करें और देहात के देहातों में।

एक यह भी बात है कि श्रमदान करने वाले युवक बड़े उत्साही अवश्य हैं, परन्तु अनाड़ी हैं। कोई जानकार व एक्सपर्ट इनके साथ न होने से सारा श्रम व समय बेकार चला जाता है। क्योंकि जो सड़कें इत्यादि उस समय बन जाती हैं, वह थोड़े समय के बाद फिर ज्यों की त्यों हो जाती हैं।

फिर भी इन श्रमदान के कार्यों से राज्य सरकारों को लाखों का मुनाफा हुआ है और इस योजना को सफल बनाने में श्रमदान बहुत सहायक हो सकता है। देश के निर्माण का बोझा सब को उठाना है, यह हर्ष की बात है कि आज देश के सभी समुदाय व दल इस योजना के लिये श्रम करने को उत्सुक हैं।

देश पर भार अवश्य बड़ा है, परन्तु यह भी सही है कि जब सभी लोग इस भार को उठाने में मदद करेंगे तो भार बिल्कुल हल्का हो जायगा और इस योजना को सफलता निश्चय ही मिलेगी।

मैं द्वितीय योजना के निर्माणकर्ताओं को ऐसी महान् योजना बनाने के लिये बधाई देती हूं और उनके भगीरथ प्रयत्न और अथक परिश्रम की सराहना करती हूं।

जिन उद्देश्यों को लेकर यह योजना बनाई गई है वे लक्ष्य हैं:—

१—अपने देश की आय बढ़े जिस से सभी देशवासियों को खाने, कपड़े, व रहने शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि का सुख प्राप्त हो सके।

२— देश का औद्योगिक विकास हो, जिसे अपनी जरूरत की चीजें हम स्वयं बना लें और देश का धन बाहर जाने से बचे।

३— देश की बेकारी व बेरोज़गारी दूर हो और सबको काम मिले।

४— देश में एक सोशलिस्ट पैटर्न का समाज स्थापित हो, समानता का राज हो, देश में न कोई बहुत धनी हो, न अधिक गरीब।

इस महान योजना की सफलता में मुझे इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति प्रत्यक्ष दीख पड़ती है। जिन भाइयों का यह मत है कि इस प्लान से ये लक्ष्य पूरे न हो सकेंगे—जो इससे संतुष्ट नहीं और इससे अधिक की इच्छा रखते हैं, उनको यह भी देखना चाहिये कि हमारे गरीब देश के जितने साधन हैं, मैन, मनी और मटीरियल के—उन्हीं के अनुसार योजना बनेंगी और वहीं तक हम अपनी इच्छाओं की पूर्त्ति कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं।

पिछली पंचवर्षीय योजनायें सरकार की सिंचाई की महान् योजनाओं से कृषि की काफी उन्नति हुई देश की उपज बड़ी—फिर भी यह अभी काफी नहीं है। अब इस द्वितीय योजना में जब हमारे देश में भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली व रिहन्द डैम तैय्यार हो जायेंगे, तब ७० या ७५ लाख एकड़ भूमि पर अधिक सिंचाई हो सकेगी। हजारों एकड़ बंजर भूमि उपज के योग्य बनाई जा रही है।

इस के अतिरिक्त छोटी सिंचाई की योजनाओं में गांव व जिलों में हजारों की संख्या में टचूब वैल्स बनाए जा रहे हैं। हजारों मील लम्बी नहरें व जलाशय के बांध सिंचाई के लिये बन जाने से हमारे देश की उपज पिछली योजना से भी दुगुनी हो जायगी।

फिर भी यह कहना कि सरकार देहाती जनता की आर्थिक उन्नति पर बनिस्बत नगर-निवासियों के कम ध्यान देती है, बिल्कुल अन्याय की बात है।

अब इस विचार से कि सारे संसार से हमारे देशी की उपज प्रति एकड़ कम है। अगली पंचवर्षीय योजना में सरकार को अपना पूरा ध्यान इस ओर देना चाहिये कि किसानों को कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा दी जाय—उनको अच्छी खाद व चीज मिलें, जिससे हमारे देश की कृषि की उपज दूसरे देशों की समानता प्राप्त कर लें। तो इसका एक अच्छा परिणाम यह होगा कि हमको जरूरत के लिये अपने खलिहानों व गल्ले के गोदाम भरने के लिये, अपने ही देश की बचत से अन्न मिल जायगा, दूसरे देशों से मांगना न पड़ेगा। हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना में देश की आय १८ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी। द्वितीय योजना के अन्तर्गत ऐसा अनुमान किया जाता है कि ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ५ वर्ष में २५ प्रतिशत आय और बढ़ जायगी। कुछ सदस्यों का यह कहना है कि हमको पिछली योजना की आय की बढ़ोत्तरी के कोई असार देश में नज़र नहीं आते, क्योंकि देश में गरीबी उतनी ही है। विशेष कर किसानों मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं।

यह अवश्य है कि खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि का जितना ऊंचा स्तर हम देना चाहते हैं, वह अभी नहीं मिल सका है, पर यह कहना कि पहिले से इन चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई, गलत है।

मुझको पिछले ५, ६ वर्षों में और मैं किसानों, मजदूरों, मध्यम श्रेणी के लोगों व छोटी नौकरी पेशा लोगों के रहन, सहन, खान-पान में जीवन का स्तर काफी ऊंचा उठा दिखता है। इसका सबूत इन बातों से मिलता है :—

> शहर के श्रमिक व नौकरी पेशा, लोगों का सिनेमा देखने और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना। अब देहातों की ओर नजर करें, तो दिखता है बिनौले के तेल के दिये की जगह मही के तेल का प्रयोग। गुड़ के प्रयोग की जगह शक्कर खाना। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरे की जगह गेहूं खाना और चांदी के जेवर मोल लेना।

इसका कारण है कि आज किसानों पर कर्ज का वह भार नहीं क्योंकि अनाज मेंहगा है और वे मोटा अनाज बेच कर ही सरकारी लगान अदा कर देते हैं जबकि पहिले लगान देने में इनके घर के ढ़ोर, डंगर, पशु और बर्तन तक बिक जाते थे। यह सब बड़े हर्ष व सन्तोष की बातें हैं परन्तु इन सब बातों से यह साफ़ विदित होता है कि देश की आय अवश्य कुछ बढ़ी है।

परन्तु मैं समझती हूं कि जब तक देश की आबादी जो बेतरह बढ़ रही है उसकी रोकथाम न होगी, तब तक न तो अनाज की बढ़ोतरी दिखाई देगी न देश की आय में बढ़ोतरी दिखेगी और न देश की बेरोजगारी मिटेगी और इस प्लान की सफलता में भी कठिनाई पड़ेगी।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

इसके लिये मैं सरकार के सामने एक उपाय रखती हूं जिसको अगली पंचवर्षीय योजना में प्रयोग में लाना चाहिये। देहातों के विकास व उत्थान के लिये सरकार जो एन. ई. एस. ब्लाक व कम्यूनिटी प्रोजेक्ट चला रही है वह बड़ा महत्व रखते हैं, और जिन गांवों में इस सामूहिक योजना के अन्तर्गत काम हो रहा है, उनकी काया ऐसी पलट गई है कि देखकर अचम्भा होता है। और सब से उपयोगी और सन्तोषजनक बात यह है कि अगले ५ वर्षों में हमारे देश में कोई गांव ऐसा न बचेगा, जहां यह सामूहिक योजना चालू न हो।

इस कारण मेरा यह सुझाव है कि देश के प्रत्येक गांव में इन सभी सामूहिक योजनाओं के द्वारा फैमिली प्लानिंग की शिक्षा दी जाय, इससे एक लाभ यह भी होगा कि फ़ैमिली प्लानिंग के लिये अलग विभाग बनाने की आवश्यकता भी न रहेगी।

देश में बड़े उद्योग और घरेलू उद्योग धन्धे (स्माल कोटेज इन्डस्ट्री) को चालू करना तो हमारे देश के विकास व उन्नति का प्रथम चरण है। इससे देश का धन भी बढ़ेगा, बेकारों को रोजगार प्राप्त होगा, हमारे देश की भूमि की कमी की भी यह उद्योग धन्दे पूर्ति कर देंगे। क्योंकि बहुत से लोग जिन के पास भूमि नहीं, वह इन कामों में लग जायेंगे और इससे हमारे देश की भूमि की कमी की जो समस्या है, वह भी कुछ हल हो सकेगी।

इस पंचवर्षीय योजना के आठवें अध्याय में मैन पावर और टेकनिकल ट्रेनिंग का जिक्र आया है। वहां लिखा है कि सभी प्रकार की प्लानिंग के लिये मुख्य मुख्य चीज़ें चाहियें। एक तो सामग्री को कार्यरूप में परिणत करने के लिये मनुष्यमात्र की आवश्यकता है। उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता व टेकनिकल ट्रेनिंग पास हुये व्यक्तियों की आवश्यकता है, इस ट्रेनिंग के सम्बन्ध में सरकार जो कुछ प्रयत्न कर रही है वह तो ठीक है। परन्तु मुझे यह खेद है कि इसमें मेन पावरकी ओर ही मुख्यता पुकार की जा रही है और भारत में जो अपार शक्ति का भंडार "वोमन पावर" है उस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि अगली पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों को भी टेकनिकल ट्रेनिंग दी जाय, क्योंकि मेरा कहना है कि सरकार की इस द्वितीय योजना को बिना नारी शक्ति के सहयोग के सफलता मिलना कठिन है।

यह प्लान इतनी विशाल फैली हुई व बड़ी है कि इसे हर पहलू से सफल बनाने में जनता को बहुत अधिक परिश्रम, त्याग व तपस्या करनी पड़ेगी—धन की कमी के कारण कर भी और बढ़ेंगे। मुझे यह डर है कि इतने अधिक कर व त्याग कहीं उनके उत्साह को कम न कर दें। प्लान की सफलता के लिये हमें तो सारी जनता का सहयोग चाहिये।

परन्तु इसमें १२०० करोड़ का डिफ़िसिट जो रख दिया है उसके परिणामस्वरूप यह कहा जाता है कि संभव है कंट्रोल भी फिर लगाने पड़ें, इससे लोग बिचकते हैं—क्योंकि हम सब कन्ट्रोल के दुखद परिणामों को सहन कर चुके हैं।

सबसे अधिक हानिकारक बात इसमें यह है कि कन्ट्रोल से देश का व राष्ट्र का अनमोल समय नष्ट हो जाता है—लोग या गरीब जनता और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते क्योंकि घंटों कन्ट्रोल की दुकानों पर लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भी और राज्य में भी यह एक अजीब भावना है कि पहिले तो खर्चा खूब बढ़ाओ फिर टैक्स लगाकर उसे पूरा करो। मैं तो इस बात की कायल हूं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाया जाय।

मैं ने पहिले भी यह कहा है कि जनता देश के निर्माण का बोझा खुशी से उठाने को तैयार है। परन्तु योजना का मुख्य अभिप्राय यही होना चाहिये कि धन का अपव्यय न हो, और इस निर्धन देश व गरीब जनता का करोड़ों रुपया किफ़ायत व एहतियात से खर्चा जाय तभी जनता को संतोष होगा। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने उस प्लान की फ्लेक्सीबिलिटी या लचकदारी की बात कही है, मैं इसके

माने यही समझी हूं कि इस प्लान की अवधि बढ़ सकती है और बजाय ५ वर्ष के इसकी पूर्ति में ६ या ७ वर्ष भी लग सकते हैं। तब फिर जितना ५ वर्ष में हो सकता था उतना ही रखा जाता तो शायद १२०० करोड़ का डेफिसिट् भी कम हो जाता। बहरहाल जब इस प्लान को सफल बनाना हमारा परम कर्त्तव्य व धर्म है। यह एक महान कार्य है और देशवासियों को अपनी देशभक्ति व सामर्थ्य दिखाने का अच्छा अवसर व कसोटी है। किसी ने कहा है कि :

मुसीबत में बशर के जौहर मर्दाना खुलते हैं,
मुबारक बुजदिलों को मंज़िले मुशकिल से डर जाना।

भरतवासी साहसी हैं, कायर नहीं, वह अपना कर्त्तव्य जानते हैं कि उनको इस कठिन मंजिल को पार करना है। केवल कसर इस बात की है कि इस प्लान का ऐसा प्रचार किया जाय कि सारा देश प्लान माइनडेड बन जाय। और यह बात उनके हृदय में समा जाय कि प्लान की सफलता ही उनकी व देश की सफलता है।

यह विशाल योजना हमारे देश के योग्य है क्योंकि हमारा देश भी विशाल है, इसकी जन संख्या भी विशाल है। यदि आज इस देश की जनता के ३६ करोड़ दिल व दिमाग और ७२ करोड़ हाथ इसको सफल बनाने पर जुट जांय तो ५ क्या ४ वर्ष में ही इसको सफल करके, अपने देश को स्वर्ग बना दे सकते हैं।

फिर हमारे नेताओं व प्रधान मंत्री जी के गर्व व खुशी का ठिकाना न रहेगा और सारा संसार चकित दृष्टि से हमारी ओर देखकर यही कहेगा कि :

गर फिरदोस बररूए, जमीनस्त,
हमीनस्तों हमीनस्तों हमीनस्त।

†**श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा** (गौहाटी) : मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्वागत करता हूं और योजना आयोग के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।

युद्धोपरान्त काल में तमाम देशों ने आर्थिक योजनायें बनाई हैं, लेकिन केवल भारत में ही इस कार्य को लोकतंत्रात्मक आधार पर किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम बड़े उत्साह वर्धक हैं। उसने हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्भ किया है।

उसके परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति आय १० प्रतिशत बढ़ गई है; खाद्यान्नों का उत्पादन २० प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन २२ प्रतिशत बढ़ गया है और विद्युत का उत्पादन लगभग दूना होगया है। लेकिन, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, सभी के लिये रोजगार जुटाना और जनता की आय तथा सम्पदा सम्बन्धी असमानताओं को दूर करना है।

दूसरी योजना की आर्थिक नीति का उद्देश्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना है, इसलिये उसमें सामुदायिक लाभ पर ही जोर दिया गया है। उसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि करना, एक करोड़ व्यक्तियों के लिये रोज़गार जुटाना और गांवों के औद्योगीकरण के साथ साथ आय तथा सम्पदा की असमानताओं को दूर करना है।

मैं उसकी औद्योगिक नीति का समर्थन करता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में राज्य को एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिये। समाजवादी समाज में सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी समितियों का महत्व अधिक होना चाहिये। आशा है कि इसे कार्यान्वित करने में हमारे संविधान में उल्लिखित राज्यनीति के निर्देशक तत्व ही मार्ग-निर्देशन करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री देवेंद्रनाथ शर्मा]

द्वितीय योजना को सफल बनाने के लिये कुछ बातें आवश्यक हैं। वित्तीय क्षमता उनमें सबसे मुख्य है। उसमें हमारे देश के आर्थिक विकास के लिये कुल ७,१०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसे प्राप्त करने के लिये, योजना आयोग ने विदेशों से ८०० करोड़ रूपये, अतिरिक्त करों से ४५० करोड़ रुपये, और घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा १,२०० करोड़ पाने की योजना बनाई है। ४०० करोड़ रुपयों की कमी को अन्य उपायों द्वारा पूरा किया जायेगा। देश की आवश्यकता को देखते हुए, यह ४५० करोड़ रुपयों का अतिरिक्त कराधान कोई अधिक नहीं है।

इसके लिये, मेरा सुझाव यह है कि ये कर ऊंचे स्तर की व्यक्तिगत आयों पर प्रत्यक्ष रूप से लगाये जाने चाहियें। भारतीय एकाधिकारियों और विदेशी व्यापारिक संस्थाओं पर भारी कर लगाने चाहियें। करों का अपवंचन करने वालों का भी पता लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही, लोक सेवकों का अधिकतम वेतन भी निर्धारित कर दिया जाना चाहिये।

घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे आशंका है। उससे मूल्यों और रहन-सहन की लागत में वृद्धि हो सकती है; उपभोक्ता वस्तुओं का सम्भरण भी कम पड़ सकता है। मुद्रा-स्थीति को हर हालत में रोका जाना चाहिये। भारत जैसे देश में, कुलव्यय और उपलब्ध संसाधनों के बीच असमानता होने के कारण, घाटे की अर्थ-व्यवस्था तो आवश्यक ही है, लेकिन सरकार को उसके बारे में सावधानी से काम लेना चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर अधिक बल दिया गया था और अब द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया है। इस योजना से देश के लोगों को अधिक उपयोगी प्रकार के कार्यों में व्यवसाय मिल सकेगा। हमारे देश के लिये यह बड़े महत्व की बात है।

किन्तु खाद्य की समस्या अब भी वैसी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। अतः मैं योजना आयोग के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें विशेषज्ञों की इस राय को मान लेना चाहिये कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि की जाये।

द्वितीय योजना में मुझे इस बात का कहीं पता नहीं चल सका है कि कितने व्यक्तियों को कृषि व्यवसायों से हटाकर उद्योगों आदि में लगाया जायेगा। गांवों का तभी विकास हो सकता है जब कि भूमि पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो जाये। सरकार को खेती पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिये एक निम्नतम जीवन स्तर निश्चित कर देना चाहिये तभी गांवों का सुधार हो सकेगा।

दूसरे, किसी भी योजना की सफलता उसको कार्यान्वित करने वाले प्रशासकों पर निर्भर होती है। अतः हमें एतत्सम्बन्धी मशीनरी की कार्यकुशलता बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। योजना में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कार्यक्रम दिखाई नहीं देता है।

हमारी योजना में परिवहन के विकास के लिये भी पर्याप्त धन नहीं रखा गया है। रेलवे को केवल ११२५ करोड़ रुपये दिये गये हैं जब कि उसमें अधिक उत्पादन के कारण कई गुणा वृद्धि होने की सम्भावना है। यह धनराशि तो रेलों की वर्तमान व्यवस्था के लिये भी पर्याप्त नहीं होगी, फिर इससे विकास की कहां सम्भावना रहेगी? मैं आशा करता हूं कि परिवहन और विशेषकर रेलवे को और अधिक धन दिया जायेगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना आयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले व्यय का ठीक ठीक बंटवारा नहीं कर सका है। योजना आयोग देश में संतुलित अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

मैं आसाम का ही उदाहरण लंगा। अंग्रेजी काल में भी आसाम के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया था क्योंकि अंग्रेज विभिन्न प्रदेशों पर अपनी सुविधा के अनुसार ही ध्यान देते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आसाम के लोगों को बड़ी आशा थी कि अब वे शीघ्रता से विकास कर सकेंगे, किन्तु आसाम आज प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी वैसे का वैसा ही अविकसित

है। प्रथम योजना में आसाम के औद्योगिकरण के लिये कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने प्रथम योजना में १२४० करोड़ रुपया व्यय किया। उसमें से उन्होंने ६०० करोड़ रुपया विभिन्न राज्य सरकारों को दिया, किन्तु आसाम को अनुपात से बहुत कम भाग दिया गया। सरकार ने पिछली योजना में ११ बहुप्रयोजनीय योजनायें चलाईं, परन्तु उनमें से एक भी योजना आसाम में प्रारम्भ नहीं की गई। आसाम को सार्वजनिक क्षेत्र में भी कुछ नहीं मिल सका है।

अभी आसाम में परिवहन के विकास की बड़ी आवश्यकता है। वहां पर बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकता है। वहां पर उद्योगों की बड़ी आवश्यकता है। आसाम के आन्तरिक व्यापार की वृद्धि के लिये अभी वहां रेलवे लाइनों की बड़ी आवश्यकता है। आसाम को भारत के साथ मिलाने के लिये जो रेलवे लाइन बनाई गई थी उसकी सामर्थ्य क्षमता अभी बहुत अपर्याप्त है। किन्तु इन सब बातों के बावजूद भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उसके परिवहन के विकास के लिये कुछ नहीं किया गया है। आसाम सरकार ने २९० करोड़ रुपये की योजना भेजी थी, किन्तु योजना आयोग ने उसे काट छांट कर ५७.३९ करोड़ रुपये तक घटा दिया है।

इन सब लक्षणों से मुझे यह लगता है कि आसाम का भविष्य अभी उज्जवल नहीं है। मैं अपने नेताओं से अपील करता हूं कि वह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की कृपा करें। आसाम की उन्नति भी तो भारत की ही उन्नति है।

श्री देवगम (चैबस्सा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो गई और दूसरी योजना तैयार कर ली गई है। द्वितीय योजना पर बोलने के पहले मैं कुछ शब्द प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसके बारे में स्वयं द्वितीय योजना में यह लिखा हुआ है कि इसका मूल्यांकन ठीक ठीक नहीं हो सका है। इस प्लान के चैपटर २८ पैरा नम्बर २५ में लिखा हुआ है कि पहली पंचवर्षीय योजना के काल में आदिमजाति क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति आंकने में बड़ी कठिनाई हुई थी।

परन्तु होम मिनिस्टरी कहती है कि इसका मूल्याँकन करने वाली एक आर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा "अनुसूचित आदिम जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये किये गये काम को आंकने वाला संगठन" कायम होगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस योजना की सफलताओं को यह आर्गेनाइजेशन देखेगी और इसका मूल्यांकन करेगी।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासिस (पिछड़े वर्गों) के वेलफेयर (कल्याण) के बारे में फर्स्ट फाइव यीर प्लान (पहली पंचवर्षीय योजना) के सफा ३७ पर जो दर्ज है, उस पर अमल नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि जो अफसर लोग इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने वाले हैं वे लक्ष्यों की प्राप्ति प्रति उदासीन रहते हैं। यह बात मैं आपको अपने एक्सपीरियेंस (अनुभव) से बता रहा हूं और इसका मुझे कटु अनुभव है। मैंने देखा है कि जो मिनिस्टर दिल्ली में हैं तथा बिहार के जो मंत्रीगण हैं वे सब से मेरे पत्रों का उत्तर दूसरे तिसरे दिन दे देते हैं परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन अधिकारियों के हाथ में आदिवासियों की उन्नति करने का काम है वे कभी भी मेरे पत्रों का उत्तर देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते हैं। इसलिए यदि सरकार चाहती है कि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य ठीक प्रकार से हो तो वहां पर उसे ऐसे अफसर भेजने चाहियें जो कि आदिवासियों के कल्याण कार्यों में दिलचस्पी रखते हों। मैं चाहता हूं कि सरकार को चुन चुन कर अच्छे अफसर उन क्षेत्रों में भेजने चाहियें। ये अफसर ऐसे होने चाहियें जो कि वहां के रहने वाले लोगों के साथ हमदर्दी रखते हों।

[श्री देवगम]

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में तीन बरस से पानी का अभाव है और वहां फैमिन (अकाल) पड़ा हुआ है, हमारे पास बोने के लिए धान नहीं था। मैंने इसके बारे में ६ फरवरी को डी० सी० के साथ मुलाकात की और उनको एक पत्र भी लिखा। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां जो मल्टी-परपज कोआपरेटिव सोसाइटी (बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति) है उसके जरिये से धान खरीद करके लोगों में बांटा जाये। मैंने यह भी कहा था कि इन धान को लोगों को मुफ्त न दिया जाय बल्कि सबसिडाइज्ड (सहायता प्राप्त) रेटस पर दिया जाय, लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि न तो इस मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने कोई कारवाई की और न ही मुझे इसका कोई उत्तर ही दिया। पिछले इंटरसेशन में जब मैं अपनी कंस्टिट्युएंसी (चुनाव क्षेत्र) में घूमने गया तो वहां पर मने देखा कि लोग धान ग्रेन गोला से ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसे तुम लोग क्यों ले रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि इसके बदले में हम बौने के धान लेंगे। इसमें बहुत समय लग जाता है। यह ग्रेन गोला ऐसा होता है जिसमें कि बहुत किस्म का धान मिश्रित होता है।

इसके अतिरिक्त और विषयों पर भी मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा जिनको कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया है। पैरा २८ में एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है :

"संविधान के अनुच्छेद ४८ में कहा गया है कि अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय"।

इस विषय पर मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् १९२०–२१ में हमारे जिले में चार-पांच स्कूल, सब इंस्पेक्टर रहते थे। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर एक भी आदिवासी स्कूल-सब-इंस्पेक्टर नहीं है। ऐसी हालत में आप लोग भली प्रकार समझ सकते हैं कि आदिवासी लोग शिक्षा के मामले में कैसे उन्नति कर सकते हैं।

फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में सिंचाई योजना के बारे में यह लिखा है :

आदिम जातियों के क्षेत्रों में कुएं खोदने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

परन्तु मैं अभी कह चुका हूं कि तीन वर्ष से वहां पर धान की खेती नहीं हो रही है, जो कि वहां की मुख्य खेती है। किसी समय मैंने इरिगेशन (सिंचाई) पर बोलते हुए कहा था कि इसमें बहुत सी स्कीमें बनी हैं, बहुत सा रुपया खर्च हुआ है, परन्तु इतना रुपया खर्च होने पर भी तीन वर्ष से वहां अकाल हो रहा है। मैंने शेड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियों) और शेड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जातियों) की रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा था कि उसमें यह बात लिखी हुई है कि सिंचाई की योजना वहां पर इसलिये सफल नहीं होती है कि वह ऐसी जगहों पर बनती हैं जहां पानी काफी नहीं मिल पाता है। मुझे भी घूम फिर कर यही अनुभव हुआ कि इंजीनियर लोग जंगलों में नहीं जाते हैं। वह ऐसी जगहों के लिये सिंचाई योजनायें बनाते हैं जहां पर वह मजे में हायर आफिसर्स, जैसे मंत्री आदि हैं, को ले जा सकें। डैम आदि बनाने के लिये जो उचित साइट्स होती हैं, प्रापर साइट्स (उचित स्थान) होती हैं वह जंगलों में होती हैं, जहां पर लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। श्रीकान्त जी का भी यही सुझाव है कि लोग अपनी मोटारों को छोड़ कर वहां पर पैदल जाया करें और उचित जगहों को खोजें, जिन जगहों पर नदी आदि पर बांध बनाया जा सके या सिंचाई की योजना बनाई जा सके। सरकारी लोग आदिवासियों से तो पूछते ही नहीं हैं। यह भी उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग हमेशा से पानी के बहाव को देखते आ रहे हैं, उनको निरा अनपढ़ समझ कर उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता। हालांकि हमारी योजना कहती है कि लोग दिलचस्पी ले सकें इसलिये उनका भी सहयोग इस काम में लेना चाहिये लेकिन हमारे इंजीनियर लोग उनका सहयोग नहीं प्राप्त करते।

फारेस्ट इकानमी के बारे में लिखा हुआ है कि आदिवासियों को फारेस्ट्स के उत्पादन का सारा भार देना चाहिये। चूंकि वही लोग ठीक से फारेस्ट्स की रखवाली कर सकते हैं इसलिये उनको भी शिक्षा देनी चाहिये और उनके लिये फारेस्ट स्कूल्स खोलने चाहियें। इस बारे में जब मैंने यहां पर प्रश्न पूछा तो हमें जवाब मिला कि यह तो स्टेट का विषय है। मैंने स्टेट के अफिसर्स को लिखा, फारेस्ट डिपार्टमेंट के सबसे ऊंचा आफिसर को लिखा तो उन्होंने यह जवाब दिया कि आदिवासियों को फारेस्ट सम्बन्धी शिक्षा देने के लिये स्टेट में कोई स्कूल नहीं है। यहां पर ऐसा स्कूल है जिसमें नौकरी करने वालों को शिक्षा के लिये भेजा जाता है। इसलिये आदिवासियों को फारेस्ट स्कूल की सुविधा भी नहीं मिली।

एजुकेशन के बारे में फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में लिखा हुआ था :

"लोगों को उनकी बोलियों के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए"।

सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में भी यही बात दोहराई गई है। परन्तु इसको भी कार्य रूप में नहीं लाया गया। थर्ड फाइव इअर प्लैन में इसको कार्य रूप में परिणत किया जायेगा, इसमें भी मुझको सन्देह मालूम होता है।

ट्रेनिंग आफ वेलफेअर वर्कर्स (कल्याण कार्यकर्त्ता) के सम्बन्ध में सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में लिखा है कि सेन्टर कई एक स्कीमें लायेगा जैसे :

"बहु प्रयोजनीय सहकारी समितियां, व सहकारी समितियां, प्रतिक्षण व उत्पादन केन्द्र इत्यादि जिससे कि आदिम जातियों के युवक अपने क्षेत्रों के समीप ही प्रशिक्षण पा सकें"।

आदिवासी कल्याणकारी कार्य करने वाली ट्रेनिंग पायेंगे। सबसे आखिर में लिखा है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मल्टी परपज कोआपरेटिव सोसाइटीज खुलेंगी, फारेस्ट सोसाइटीज होंगी, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर होंगे, टेकनिकल स्कूल खुलेंगे, जहां पर मिकैनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग सिखाई जायेगी, जिसमें आदिवासी लोगों को अपने ही घरों के नजदीक ही शिक्षा मिलने की सुविधा हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के २५ पैरा के आखीर में लिखा है कि सामाजिक कल्याण कार्य करने वाले ट्राइबल्स ही होने चाहियें जिसमें वह ट्राइबल एरियाज में रह सके और वहां के लोगों की जिन्दगी के साथ घुल मिल सकें। सबसे महत्व की बात यह है कि इसमें बहुत जोरदार शब्दों में कहा गया है :

"इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि आदिम जातियों के अधिकाधिक अफसर लिये जायें और उन्हें अपने क्षेत्रों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाय"।

मैं देखता हूं कि जितने डिस्ट्रिक्ट वेलफेअर आफिसर्स हैं, वह सब बाहर के ही लोग होते हैं। मैं कह चुका हूं कि जब तक आफिसर्स हमारे साथ हमदर्दी रखने वाले नहीं होंगे, तब तक यह योजनायें कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकेंगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार आदिवासी अंचलों में ऐसे लोगों को भेजेगी जो आदिवासियों के साथ हमदर्दी रखते हों। जो डिस्ट्रिक्ट अफिसर्स होंगे, अगर वह हम लोगों के साथ दिलचस्पी नहीं लेंगे तो जैसे फर्स्ट फाइव इअर प्लैन कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी, उसी तरह से यह प्लान भी नहीं हो सकेगी। यह कागज की नाव हमें कहीं नहीं ले जायगी।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : पहली योजना अच्छी तरह कार्यान्वित हुई है और इसके सभी लक्ष्य पूरे हो गये हैं तथा देश की आर्थिक अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है और लोगों में आशा का संचार हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिम्मय्या]

पहली योजना में कृषि उत्पादन और बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया गया था। इस योजना से बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है। इसमें गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के लिये क्षेत्र निश्चित किये गये हैं। मेरा निवेदन है कि जहां भी कहीं गैर सरकारी क्षेत्र किसी कठिनाई के कारण उद्योगों को आरंभ नहीं कर सकता है, वहां सरकारी क्षेत्र को आगे आकर उद्योग स्थापित करने चाहियें।

यद्यपि कृषि उत्पादन बढ़ा है और हम खाद्य के बारे में स्वावलंबी हो गये हैं, परन्तु अभी ग्रामीण जनता की अवस्था को सुधारने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कृषि श्रमिकों के लाभार्थ सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम पारित किया है, परन्तु कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्यों में इसे कार्यान्वित किया जायगा। हालांकि हमने जमींदारी का उन्मूलन किया है, परन्तु भूमि सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कृषि प्रधान देश में खेतिहरों को कुछ भूमि अवश्य मिलनी चाहिये। दूसरी योजना में कृषि भूमि की उपरि-सीमा निश्चित करने का इरादा है। मैं चाहता हूं कि यह कार्य शीघ्र ही किया जाये। सरकार के पास भी काफी भूमि है और भूमि सुधार के कारण और भूमि भी मिलेगी। यह समस्त भूमि निर्धन कृषि श्रमिकों में बांट दी जानी चाहिये।

योजना में सहकारी कृषि और तत्सम्बन्धी शिक्षण देने का विचार है। मैं समझता हूं और यह मेरा अनुभव भी है कि हमारे देश में सहकारी कृषि सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों में इसके लिये उत्साह नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि भूमि सुधार को लागू करके लोगों को भूमि दी जानी चाहिये।

केवल भूमि देने से ही काम नहीं चलेगा। उन लोगों को औजारों और वित्तीय सहायता आदि की भी आवश्यकता होती है। अब तक जो ऋण दिये जाते रहे हैं वे प्रभावशाली व्यक्तियों को दिये जाते हैं। इस बात को हमें समाप्त करना होगा। वित्तीय सहायता छोटे किसानों को ही मिलनी चाहिये। ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिये कुटीर उद्योगों की स्थापना भी आवश्यक हैं। मुझे प्रसन्नता है सरकार ने इसके लिये काफी धन रखा है। सरकार को देखना चाहिये कि इस धन का उचित उपयोग किया जाये और उन्हीं लोगों को धन दिया जाये, जिन्हें यथार्थ में दिया जाना चाहिये। इस धन का अधिक भाग उनको मिलता है जिनका पहले से कोई उद्योग होता है और दूसरे लोग सर्वथा वंचित रह जाते हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक योजना का लाभ जनसाधारण को प्राप्त होना चाहिये और वे जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होनी चाहियें। यह देखना कार्यपालिका का कर्तव्य है कि उस समूचे धन का जना साधारण के हित के लिये ही उपयोग किया जाये।

गांवों में मिट्टी के टूटे फूटे घर दिखाई देते हैं और हम गांवों को सुन्दर बनाना चाहते हैं। परन्तु इस कार्य के लिये योजना में बहुत थोड़ा धन रखा गया है। इससे काम नहीं चलेगा। इसलिये सरकार को अनुभव करना चाहिये कि ग्रामीण जनता देश का आधार स्तंभ है, अतः ग्रामीण आवास योजना के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिये।

गाँवों में बहुत से लोगों के पास कच्चा मकान बनाने तक के लिये भूमि नहीं होती है और उन्हें इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ता है। यह भी क्या मानव जीवन है किसी व्यक्ति के पास अपना सिर छिपाने के लिये घर बनाकर रहने का स्थान तक न हो। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक गांव में गरीबों को रहने का मकान बनाने के लिये स्थान दे, जहां पर वह मनुष्य की तरह जीवन बिता सके।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : वह किराये के मकान में रह सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : पहली योजना से देश की सामान्य आर्थिक अवस्था में अवश्य उन्नति हुई है, परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी ओर उचित और पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य सरकारें आवंटित धन का अनुसूचित जातियों के लिये उपयोग करने की ओर कोई ध्यान नहीं देती हैं। उनके लिये कुछ मकान बना देने से ही उनकी अवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। उन बेचारों को कृषि ऋण भी नहीं मिलता है। इसलिये योजना के प्रत्येक पहलू में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये कुछ प्रतिशतता निश्चित कर दी जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिये राज्यों को कुछ सहायता दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक तालुका को इन जातियों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये १२० रुपये आवंटित किये गये। अतः मेरा निवेदन है कि सामान्य कुंज में से हरिजनों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

देश में खोले जाने वाले उद्योगों में काम करने वालों में अनुसूचित जातियों के लिये १२।। प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित रखी गई हैं। इसलिये बड़े उद्योगों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहियें, जहां अनुसूचित जातियों के लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और नौकरियां पा सकें। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में सरकार ३०,००० लड़कों को शिल्पों का प्रशिक्षण दे रही है।

सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र से भी इसी अभ्यंश को कायम रखने का आग्रह करना चाहिये। जूता उद्योग और कुछ अन्य उद्योगों पर हरिजनों का परंपरागत अधिकार है, परन्तु आज प्रतियोगिता में स्वर्ण हिन्दू इन उद्योगों पर अधिक धन लगाकर छा गये हैं और हरिजन धन के अभाव में उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिये सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह हरिजनों द्वारा स्थापित सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करे और इन्हें उद्योग आरंभ करने के लिये पूंजी लगाने के हेतु कुछ ऋण दे, ताकि वे अपनी आजीविका कमा कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके।

सरकार को यह भी चाहिये कि टेंडर मांगे बिना ही छोटे मोटे ठेके हरिजनों की सहकारी संस्थाओं को देकर उनकी आर्थिक अवस्था को सुधारने की चेष्टा करनी चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये किये जाने वाले समस्त कार्य का समन्वय करने के लिये एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिये। पृथक पुनर्वास मंत्रालय के बिना विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास कठिन था, इसी प्रकार पृथक मंत्रालय के बिना यह कार्य भी अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। क्योंकि वर्षों से हरिजन पीड़ित हो रहे हैं और उनकी अवस्था बहुत गिर चुकी है। हरिजनों ने देश के प्रतिकूल कभी कोई कार्य नहीं किया, वे ही देश के प्रति वफादार रहे हैं और अब भी सरकार के प्रति वफादारी से काम कर रहे हैं। इसलिये मैं अपील करूंगा कि देश के समस्त दलित और पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिये कार्य करने के हेतु एक पृथक मंत्रालय प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों का और विशेषकर केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का विकास बडी धीमी गति से हुआ है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में यद्यपि इन क्षेत्रों के लिये कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गये हैं, परन्तु कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा गया है। औद्योगिक कार्यक्रम की दृष्टि से ये क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित हैं। जब कभी इन क्षेत्रों में छोटे और कुटीर उद्योग स्थापित करने या खनिज संसाधनों की खोज करने के लिये सरकार से प्रार्थना की जाती है, तो यह उत्तर मिलता है कि वहां यातायात की सुविधायें न होने के कारण कोई औद्योगिक कार्यक्रम नहीं रखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में ये क्षेत्र सदा अविकसित ही रहेंगे और शेष भारत के बराबर नहीं आ सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० जोगेश्वर सिंह]

यदि संबंधित धन का समान वितरण करना अपेक्षित है, तो आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की खोज के साथ साथ संचार सुविधाओं को भी बढ़ाया जाय। यदि इन सुविधाओं के लिये दस वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिये सबसे अधिक महत्व सड़क विकास, रेलवे विकास, और विमान यातायात विकास के कार्यक्रमों को देना होगा, क्योंकि इनके उचित विकास के बिना इन क्षेत्रों में पहुंचना सरल नहीं है और इस कारण इन क्षेत्रों का विकास रुका रहेगा। मुझे तो इस बात में भी सन्देह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवंटित की गई राशियां इन पिछड़े हुए और अल्पविकसित पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थ लाभदायक ढंग से खर्च भी की जायेंगी या नहीं। इस बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समिति 'ख' में डा० घोष ने उत्तर देते हुए कहा था कि त्रिपुरा में आसाम की सीमा तक सड़कों का निर्माण किया गया है और उनके विकास तथा विस्तार के लिये द्वितीय योजना में ३०४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और मनीपुर में वर्तमान सड़क प्रणाली को मनीपुर और इम्फाल के बीच दृढ़ बनाया जायेगा और उसका विकास किया जायेगा। उन्होंने सड़क निर्माण के लिये सामग्री के न मिलने का भी उल्लेख किया। मुझे इसी सम्बन्ध में शिकायत है। सड़कों का विकास करने में सरकार को क्या कठिनाई है? उनका कहना है कि आवश्यक सामग्री नहीं मिलती है। परन्तु मुझे यह बात ठीक मालूम नहीं पड़ती है। इस कार्य के लिये केवल जनशक्ति और श्रमिकों की आवश्यकता है। सड़कों के निर्माण के लिये इन क्षेत्रों में पत्थर काफी मिलता है और श्रमिकों की भी कमी नहीं है। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है यह विलम्ब प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण हो रहा है। प्रथम योजना काल में मनीपुर राज्य में १२ लाख रुपये की राशि इसी कारण व्यपगत हुई थी।

समिति 'ख' में डा० घोष ने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्यों में सड़क विकास कार्य के लिये कुल २४६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, २५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क निधि में से और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों के लिये ११ करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर यह राशि २८२ करोड़ रुपये हो जाती है। इसमें से ११ करोड़ रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के लिये हैं। इस राशि का लाभदायक ढंग से उपयोग किया जायेगा इस सम्बन्ध में मुझे बहुत सन्देह है।

सिल्चर, आसाम से इम्फाल तक एक सड़क बनाने का सुझाव रखा गया था। नागा क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए यह सड़क अत्यन्त आवश्यक है। हाल ही के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि इन सामरिक महत्व के राज्यों में सड़क संचार प्रणाली का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। जापान में आक्रमण के समय भी मनीपुर राज्य को घेर लिया गया था और कोहिमा के मार्ग के बन्द हो जाने से वह बिल्कुल अलग हो गया था।

इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या योजना अवधि में यह कार्य पूरा हो जायेगा? डा० घोष के कथनानुसार यह कार्य सन् १९६१ से पूर्व पूरा हो जायेगा परन्तु यह समय बहुत अधिक है, वहां तो लोग भूखे मर रहे हैं, चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं और लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब अंग्रेजों ने बर्मा सड़क ४० दिन में तैयार कर ली थी तो आपको इसका निर्माण करने में पांच वर्ष क्यों लगेंगे।

प्रथम योजना अवधि में इम्फाल से कांगपोकपी और कांगपोकपी से तैमिंगलौंग तक एक ५० मील लम्बी सड़क पांच वर्ष में नहीं बन सकी तो आप कैसे आशा करते हैं कि यह १३० मील लम्बी सड़क द्वितीय योजना अवधि में तैयार हो जायेगी। मेरा विचार है कि यदि यहां युद्ध-स्तर पर कार्य न किया गया तो यह क्षेत्र उपेक्षित रह जायेंगे।

यही हालत त्रिपुरा की है। अभी तक त्रिपुरा और आसाम में सम्पर्क स्थापित करने वाली सड़क नहीं बनाई जा सकी है। दुर्भिक्ष के समय विमान द्वारा वस्तुएं कलकत्ता से पहुंचानी होती हैं। त्रिपुरा पाकिस्तान से केवल पांच मील दूर है। इस कारण भी उस की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

कलकत्ता से आसाम जाने वाली रेलगाड़ी में इतनी भीड़ होती है और उसमें इतनी कठिनाइयां हैं कि देखकर ही भय लगने लगता है। प्राय: लोग गाड़ी के नीचे आकर कट जाते हैं। बाढ़ आने पर लोगों को विमान द्वारा निकलना पड़ता है।

इस रेल मार्ग को आसाम क्षेत्र तक बढ़ाने के लिये द्वितीय योजना में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमने इसके आसाम के भाग से मनीपुर और आसाम से त्रिपुरा राज्य तक बढ़ाये जाने की मांग की थी क्योंकि संचार साधनों के विकास से ही वहां की जनता की आर्थिक हालत सुधर सकती है।

एक और बात मुझे यह कहनी है कि पिछड़े हुए और अल्प विकसित क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। इस हेतु योजना आयोग की एक स्थायी समिति अथवा उप-समिति होनी चाहिये जो देश के उसी भाग के बारे में विचार करके वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे और उसमें दिये गये सुझावों के अनुसार वहां सड़कों और उद्योगों का विकास किया जाये और लोगों की कठिनाइयां दूर की जायें। अन्यथा यह योजना जो समस्त भारत के लिये है केवल बड़े उद्योगों और बड़ी योजनाओं के लिये ही रह जायेगी और इन गरीब लोगों की कठिनाइयों को जो कि देश के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में रह रहे हैं, कोई नहीं देखेगा।

अत: मैं माननीय मंत्री और योजना आयोग से निवेदन करता हूं कि एक उप-समिति स्थापित की जाये जो इन क्षेत्रों के निवासियों के निकट सम्पर्क में आये ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान रहे।

†**श्री गार्डिलिगन गौड़** (कुरनूल) : देश के कृषि विकास, जो कि देश का मुख्य उद्योग है, सामुदायिक परियोजनाओं में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में मेरी बड़ी अभिरुचि है।

जब मैं संसद का सदस्य बना था तो मेरा विचार था कि मैं इन योजनाओं को कार्यान्वित कराने में जनता की सहायता कर सकूंगा परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सका हूं। मुझे विश्वास है कि यदि इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाये तो जनता को बहुत लाभ होगा और देश का विकास होगा।

मेरा उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना ही नहीं है बल्कि मैं इन योजनाओं सम्बन्धी कुछ तथ्य सरकार के सामने रखना चाहता हूं। जब मैं कुरनूल जिला राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड उप-समिति का सभापति चुना गया था तो मुझे आशा थी कि मैं उस अनुभव को प्रयोग में ला सकूंगा जो मैंने लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में प्राप्त किया था, परन्तु मैं बड़ी कठिनाई से केवल ही बैठक आयोजित कर सका जिसमें यह संकल्प पारित किया गया कि कार्य संचालन के लिये नियम बनाने के हेतु एक उपसमिति स्थापित की जाये। परन्तु जिलाधीश ने उस संकल्प को भी कार्यान्वित नहीं किया। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किये जाने पर जिलाधीश को निर्देश दिया गया कि जब कभी सभापति कहे बैठक आयोजित की जाये, परन्तु २ वर्ष और २ मास के समय में कोई कार्य भी नहीं हो सका। नई समिति भी स्थापित की गई परन्तु मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई कि जो भी संकल्प पारित किये जाते हैं उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

मैंने योजना उपमंत्री का ध्यान इन समितियों के कार्यकरण की ओर आकर्षित किया, परन्तु इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की गई। मैं देखता हूं कि इन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों का प्रयोग केवल दलगत प्रचार के लिये ही किया जा रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अनुशासन बिगड़ गया है और यह पदाधिकारी बिना योजना को देखे और नियमों का पालन किये काम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गाडीलिंगन गौड़]

जिला कुरनूल के अलूर खंड में कोई डेढ़ वर्ष पूर्व ऋण के लिये कुछ आवेदन पत्र दिये गये थे, परन्तु उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विकास पदाधिकारी ने मेरे पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया और उसने जिलाधीश के कहने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी प्रकार ढाई वर्ष पूर्व कुछ इमारतों के निर्माण के लिये संकल्प पारित किये गये थे परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ग्राम ऋण सर्वेक्षण अग्रिम योजना के जो केन्द्र प्रत्येक जिले में खोले गये थे उनमें से बहुत से स्थानीय राजनीति के परिणामस्वरूप बन्द हो गये हैं।

मेरे निर्वाचन से पूर्व उन सब सहकारी संस्थाओं को जिनका कि मैं अध्यक्ष था, सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। उनमें से एक समिति, जिसके लिये मैंने १७,००० रुपये एकत्र किये थे, कें प्रबन्ध पर ही सरकार ने ९,००० रुपये खर्च कर दिये। लोगों ने ऋण प्राप्त करने की आशा से किसी प्रकार १७,००० रुपये एकत्र किये थे और इस समिति ने ७०,००० रुपये का विनियोजन किया था, परन्तु स्थानीय दलबन्दी के कारण सरकार ने उसे अपने अधिकार में कर लिया। गत साढ़े तीन वर्ष से इसे अच्छी समितियों की श्रेणी में रखा गया है परन्तु फिर भी यह सरकार के अधीन ही है। गत वर्ष जब सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने ग्राम ऋण सर्वेक्षण केन्द्रों का चुनाव करने के लिये एक सम्मेलन आयोजित किया तो इस गांव को भी केन्द्र के लिये चुना गया। योजना के अनुसार प्रबन्ध का खर्च सरकार वहन करती है। मैंने रजिस्ट्रार से कहा कि यदि इस समिति को बड़े पैमाने की समिति में बदल दिया जाये तो विशेष पदाधिकारी का वेतन सरकार देगी, उन्होंने मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया और १०,००० रुपये आवंटित कर दिये। पर डिप्टी रजिस्ट्रार टी० बी० प्रौजेक्ट ने रजिस्ट्रार को इस १०,००० रुपये की रकम को रोक लेने के लिये लिखा है और इसका यह कारण बताया है कि समिति पर कुरनूल सहकारी सैन्ट्रल बैंक का २०,००० रुपये का ऋण है। परन्तु प्रबन्ध के सरकार के हाथ में होने के कारण लोगों को इस ऋणिता का दोष नहीं दिया जा सकता है। विशेष डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जिलाधीश को भेजे गये प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि गुडिकल सहकारी ऋण समिति को दिनांक २–३–१९५३ को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, मद्रास ने अपने अधीन कर लिया था। उस तिथि को समिति ने कुरनूल कोआपरेटिव सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड, कुरनूल को ४२,८२१ रुपये देने थे और सदस्यों से इसे मूल धन के ही ७२,८७२ रुपये लेने थे। विशेष पदाधिकारी ने सदस्यों से ३९,०९० रुपये मूल धन के प्राप्त किये और दिनांक ३०-६-१९५६ को बैंक के केवल २०,१७१ रुपये देने बाकी थे। इसी कें आधार पर उसने १०,००० रुपये की धनराशि के रोक लिये जाने की सिफारिश की है परन्तु इस गड़बड़ी के लिये यह विशेष अधिकारी ही उत्तरदायी है वह रजिस्ट्रार, जिसने इसे केन्द्र चुना था, अब छट्टी पर है और स्थानीय डिप्टी रजिस्ट्रार स्वयं ही निर्णय कर लेता है और अभी तक योजना को प्रारम्भ नहीं किया गया है।

मेरा निवेदन है कि यदि आप इन योजनाओं को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करना चाहते हैं तो खंड विकास समितियों और सामुदायिक परियोजनाओं तथा अन्य योजनाओं का निरीक्षण करने के लिये कर्मचारी होने चाहिये जो नियम तोड़ने वालों और योजनाओं को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न करने वालों को कड़ा दंड दें। कई खंडों में पांच प्रतिशत और कई एक में दस प्रतिशत तक कमीशन लेकर ऋण दिया जाता है। इसे रोका जाना चाहिये।

स्वतन्त्रता प्राप्त किये हमें नौ वर्ष हो गये परन्तु हमारी आवश्यकतानुसार देश का विकास नहीं हुआ है। **रुरल इंडिया** में भी यही मत प्रकट किया गया है और इसमें यह भी कहा गया राष्ट्र निर्माण की कसौटी जनता का आचरण ही होता है परन्तु बजाये इसके कि हमारे आचरण का स्तर ऊंचा उठता उसमें गिरावट ही आती गई है और इसका कारण प्रशासन की गलत नीति ही है। यदि सरकार योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहती है तो इसके लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये।

सन १९५३ मे मैने सिरगप्पासे अदोनी, पेमंगनूर, गोनगांडला और कुदतूर होकर कुरनूल जाने वाले रेल मार्ग का निर्माण किये जाने का सुझाव दिया था। मैं अपील करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम इसके सर्वेक्षण की व्यवस्था कर दी जाये।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : द्वितीय योजना पर बोलते समय मैं सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। योजना में भूमि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था विषयक नीति के बारे में जो मूल सुझाव दिये गये थे उन्हें कम कर दिया गया है और शेष सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। देश की ७० से ७५ प्रतिशत के बीच तक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अंध्र में ५० प्रतिशत से अधिक भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं। अतः हमें इन लोगों को नहीं भूलना चाहिये जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं। उनके लिये कोई सहायक उद्योग नहीं है और कृषि कार्य उन्हें वर्ष में दो या तीन मास ही करना होता है। अतः वे बड़ी कठिनाई से निर्वाह करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक भूमिहीन कृषि श्रमिक को भूमि दी जाये।

मेरा आशय यह है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर भूमि को किसान के रूप में नहीं प्रत्युत मजदूरी के लिये जोतता है। इस पर भी वह कृषि पर ही निर्भर है और उसका कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। ऐसे व्यक्ति अच्छे किसान होने पर भी कृषक नहीं होते हैं और मजदूरी पर काम करते हैं। अब मैं आंध्र राज्य की बात लेता हूं।

गत आम चुनावों में आन्ध्र में कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा में तीन बातें कही थीं जो कि कम्युनिस्ट दल ने भी अपने चुनाव घोषणा में कही थीं। परन्तु उसमें कुछ थोड़ा अन्तर था। हमने एक बात यह कही थी कि भूमि की उच्चतम सीमा २० से ६० एकड़ तक होनी चाहिये। दूसरे किसान को सुरक्षण मिलना चाहिये। तीसरे सरकार के कब्जे में व्यर्थ पड़ी हुई कृषि योग्य भूमि का भूमिहीन खेतिहरों में बिना मूल्य बंटवारा होना चाहिये।

कांग्रेस दल ने भी अपने घोषणा पत्र में यही बात कही परन्तु उसने २० से ६० एकड़ वाली बात के सम्बन्ध में कोई वाक्बद्धता नहीं की थी। आज की आन्ध्र सरकार की स्थिति इसी कांग्रेस मनोवृत्ति की प्रतीक है। मेरा आरोप यह है कि वह भूमि सुधारों के सबन्ध में ईमानदारी से काम नहीं ले रही है। मैं इस सम्बन्ध में आंध्र विधान सभा के पटल पर रखे गये एक वक्तव्य से कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूं और योजना मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ कांग्रेसी, जिनमें मंत्री महोदय भी एक है, ईमानदारी से भूमि सुधार करना चाहते हैं, परन्तु वे इरादे के इतने पक्के नहीं हैं कि इस सिद्धान्त को लागू कर सकें। नये भूमिपति जो नये कांग्रेसी हैं अपने प्रभाव से काम ले रहे हैं। और जो चुनाव घोषणाओं में भूमि सुधारों का दावा करते थे उनका रवैय्या ऐसा है कि जिससे विचार होता है कि वे कोई भूमि सुधार करना चाहते ही नहीं।

†**श्री केशव आय्यंगार** (बंगलौर-उत्तर) : ऐसे कौन से विहित स्वार्थ हैं जो ऐसा चाहते हैं ?

†**डा० रामा राव** : मैं उन्हें जानता हूं, उदाहरण के लिये मैं एक ऐसे विधान सभाई सदस्य को जानता हूं जिनके पास ७०० एकड़ भूमि है, और जिसने कुछ ही वर्ष हुए कांग्रेसी स्वयं सेवकों को पिटवाया भी था। दूसरा एक १२०० एकड़ वाला जमीदार है। चुने जाने के पश्चात मद्रास जाने के लिये उसने प्रथम बार खद्दर खरीदी। इस प्रकार के नये कांग्रेसी सफेद टोपी पहन कर सरकार पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। आन्ध्र सरकार ने एक वक्तव्य में कहा है, "भूधारण की उच्चतम सीमा निर्धारित करना न तो उचित है न ही सम्भव है"।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रामा राव]

चुनावों के दो वर्ष पश्चात वह कहते हैं कि उच्चतम सीमा एकड़ों में निश्चित करना क्रियात्मक रूप से सम्भव नहीं। यदि वह ईमानदार हैं तो यह दावा क्यों करते है उच्चतम सीमा का निश्चय आय के आधार पर किया जाना चाहिए। परन्तु आय और चीजों के मूल्य तो स्थायी नहीं रहते हैं। हम तो जनता को जीवन निर्वाह का उचित साधन देना चाहते हैं। आंध्र की कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव घोषणा के अनुसार भूधारण की उच्चतम सीमा २० एकड़ है, और योजना के अनुसार यह ३० एकड़ है। एक और युक्ति देखिये। कहा गया है, "यदि उच्चतम सीमा कम रखी गयी तो कई उत्साही कृषक अधिक लाभदायक व्यवसायों के लोभ में शहरों में चले जायेंगे और ग्रामीण क्षेत्र ऐसे प्रगति शील लोगों से वंचित हो जायेंगे जो कि ग्रामोत्थान का आधार हो सकते हैं"।

हमारी आन्ध्र की कांग्रेस सरकार की क्या मजेदार युक्ति है कि यदि यह प्रगतिशील तत्व ग्रामों से चले जायेंगे तो सारी भारतीय कृषि की अर्थ व्यवस्था ही उथल पुथल हो जायेगी। यदि ये लोग औद्योगिक उपक्रमों में लग जायें तो अच्छा ही है। फिर यह कहा जाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति अतिरिक्त भूमि लेने और उसका मूल्य चुकाने की अनुमति नहीं देती है। परन्तु करने की इच्छा हो हजारों मार्ग निकल सकते हैं, और भूमि का मूल्य दिया जा सकता है। परन्तु न करने के लिए ही ये सब बहाने निकाले जा रहे हैं।

कल मैंने पटियाला में किसानों का एक प्रदर्शन देखा और उनकी एक बैठक में भी भाग लिया। वहां राष्ट्रपति के शासन कालमें भूधारण के ऐसे कानून लागू थे कि जिनके अनुसार कृषि कार्य करने वाला किसान किस्तों में कुछ रुपया अदा करके भूमि प्राप्त कर सकता था। एक अधिनियम द्वारा एक विशेष धारा का लागू होना रोक दिया गया था। अब विधेयक पर विचार हो रहा है। प्रवर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, उसमें देर की जा रही है। दो अकाली सदस्यों ने भी इस देरी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया, कम्युनिस्ट सदस्यों ने सभा भवन को त्याग दिया। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले जमींदारों और बिस्तेदारों ने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया था और अपनी शक्ति दिखाने का प्रयत्न किया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छे उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु आज की चर्चा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**डा० रामा राव** : अब मैं योजना आयोग की बात कहता हूं। मुझे पता चला है कि योजना आयोग ने पैप्सू कांग्रेस संस्था को आदेश दिया था कि बड़े बड़े संगठित खेतों को भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण से मुक्त रखा जाय। इससे ५०० अथवा १००० एकड़ वाले खेतों के मालिक और अधिक धन कमायेंगे। इसलिये तो वह अपनी शक्ति दिखा कर लोगों को यह बताना चाहते हैं कि योजना आयोग का समर्थन उन्हें प्राप्त है। इस लिये मैं आयोग पर अस्थिरता का आरोप लगाता हूं।

सरकार, योजना आयोग और हम सब जनता में उत्साह उत्पन्न करना चाहते हैं। हाल ही में चीन से वापिस आये हमारे उच्चाधिकारी श्री थापड़ ने अपने एक वक्तव्य में बताया कि चीन की जनता में उत्साह उत्पन्न किया गया है, और इसका मुख्य कारण चीन सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति है। यहां भी उत्साह उत्पन्न करने के लिये केवल बातों से काम नहीं चलेगा; कुछ करना पड़ेगा। एक ओर समाजवादी समाज की बात करना और दूसरी ओर यह कहना कि बड़े खेतों को न छेड़ा जाय, इससे काम नहीं चलेगा। यदि सरकार सचमुच ईमानदार है तो उसे भूमि की बांट और उच्चतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में दृढ़ कदम उठाने चाहियें।

मैं आंध्र के काश्तकारी अधिनियमों और वहां खेती योग्य व्यर्थ पड़ी भूमि के बंटवारे के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भूमि भूमिहीन खेतहारों को न दी जा कर तथाकथित राजनीतिक पीडितों को दी जा रही है। पता चला है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन से वापिस आने वालों से हमारे प्रधान मंत्री ने यह पूछा है कि चीन में सरकार के कार्यों के प्रति जनता में उत्साह होने का कारण क्या है ? क्या कारण है कि हमारी जनता में वह उत्साह नहीं है ? हम सब यह उत्साह उत्पन्न करने को आतुर हैं, परन्तु उन्हें भी भूमि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि उनकी कांग्रेसी सरकार किस तरह से समूची योजनाओं की उपेक्षा कर रही है। इसी से उन्हें पता चलेगा कि उनके समाजवादी समाज में कितनी सचाई है।

मैं इस सम्बन्ध में मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के विरुद्ध अपनी जोरदार आवाज उठाता हूं कि वे भूदान आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। मुझे विनोबा भावे के प्रचार कार्य पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु एक जिम्मेदार मंत्री का आंध्र, तामिलनाड आदि में जाकर यह कहना, "लाओ भूमि दो" एक भारी दम्भ है।

†**श्री नन्दा** : क्या वह आंध्र के किसी व्यक्ति अथवा किसी मंत्री का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हां, उन्होंने किसी मंत्री का उल्लेख किया, नाम लेने की क्या जरूरत है।

†**डा० रामा राव** : मेरा निवेदन है कि इस समय कांग्रेस सत्तारूढ़ है। केन्द्र और राज्यों में उसका बहुमत है, संस्था भी शक्तिशाली है, इसलिए यदि वह ईमानदारी से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है और भूमि सुधार करना चाहती है, तो उसे अवसर का लाभ उठाकर ऐसे कानून बना कर प्रभावशाली ढंग से उन्हें लागू करने चाहिये। भूमि सुधारों पर मैं अधिक जोर देता हूं क्योंकि यह समाज की आधार शिला है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समस्त प्रचार कार्य और कार्यक्रम व्यर्थ हैं। पैप्सू में ही आप जाकर भमि सुधार का काम कीजिये, आप देखेंगे कि किस प्रकार जनता में उत्साह उत्पन्न होता है।

अब मैं भूदान की बात कहता हूं। उच्च पदाधिकारी इस भूदान के लिये कार्य करते फिरते हैं परन्तु वे अपने प्रभाव से इस सिद्धान्त पर आधारित कोई विधान प्रस्तुत नहीं करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भूदान के विरुद्ध नहीं है, वह भूमि की समान बांट के पक्षपाती है, चाहे ढंग कोई भी हो।

†**डा० रामा राव** : किन्तु यह भूदान नहीं है, यह तो दान है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चाहते है कि इस काम को सरकार करे। परन्तु यदि कोई गैर-सरकारी संस्था इस काम को करती है तो उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

†**डा० रामा राव** : मैं इसका विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गलत समझे। भूमि समस्या को जिस प्रकार कांग्रेस हल करना चाहती है उस तरह से यह हल नहीं होगी।

मैं उद्योगों के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं कई बार औद्योगिक नीति के बारे में सदन में अथवा समितियों में भी कह चुका हूं, और अब फिर निवेदन करूंगा कि हमें विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सहायता और ऋण में अन्तर करना चाहिए। अब भी यहां विदेशी शोषण जारी है। लीवर ब्रदर्स और चाय के बागान अभी तक यहां हैं।

आप जानते हैं कि ईरान में क्या हुआ और उसने क्या किया। गुटामेला और स्वेज के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ उसे भी आप जानते हैं। यदि संसार का जनमत राष्ट्रपति नासिर के पक्ष में न होता तो ब्रिटेनन अब तक स्वेज पर कब्जा कर चुका होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें चर्चा राष्ट्रीय मामलों तक ही सीमित रखनी चाहिए।

डा० रामा राव : मैं कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों का उदाहरण देता हूं। कई बार यह कहा गया है कि मैसूर सरकार इसका बाजार दर के अनुसार पूरा मुआवजा देने को तैयार थी, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने १,६००,००,००० रुपये का भारी मुआवजा दिये जाने का सुझाव दिया। क्योंकि इसमें विदेशी हित थे, इसलिये उप उच्चायुक्त सरकारी अधिकारियों से इस सम्बन्ध में मिलते रहे। यह सब इस लिए कि वह विदेशी व्यापारी संस्था है। इसी प्रकार मद्रास ट्रामवे कम्पनी के बोनस वाले मामले में मध्यस्थ निर्णायक द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया गया, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधिकरण से कह कर इस निर्णय को बदलवा दिया। आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है। विदेशी व्यापारी संस्थाओं के हितों का ध्यान रखने के लिये देश के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करना अन्त में बहुत भयंकर सिद्ध होगा।

मैं चमड़ा उद्योग की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम लगभग २५ करोड़ रुपये की खालें और चमड़ा इत्यादि प्रतिवर्ष निर्यात करते हैं। यदि हम स्वयं चमड़े का उद्योग यहां आरम्भ करें तो ५० से १०० करोड़ रुपये तक हमें प्रति वर्ष प्राप्त हो सकते हैं। इस उद्योग से अनेक श्रमिकों को रोजगार भी मिल सकता है। इस काम को करने वाले प्राय: हरिजन ही होते हैं। इसलिए भारी मात्रा में चमड़े की चीजें बनाने का काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। इसे कुटीर उद्योग की तरह चला कर माल के विक्रय के लिये सहकारी संस्था बनानी चाहिये। इससे सरकार को भी लाभ होगा और श्रमिकों को भी काम मिलेगा।

अन्त में मैं रेलवे के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं, यद्यपि यहां इस समय रेलवे मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारी काकीनाडा—कोटीपल्ली रेलवे लाइन को युद्ध के दिनों में उखाड़ दिया गया था, परन्तु अब तक उसे चालू नहीं किया गया है। भूमि आदि सब कुछ है। थोड़ा खर्चा करके उसे ठीक किया जा सकता है। यह गोदावरी नदी के आखिर में पूर्व गोदावरी के डल्टा वाले भाग के बीच में, है, यहां तक कि उस स्थान के लिये डेल्टा ही एक मात्र मार्ग है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब कोई माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं।

†**श्री कामत** : गणपूर्ति भी नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है।

क्योंकि गणपूर्ति नहीं है, इसलिए लोक सभा की बैठक सोमवार के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, १० सितम्बर, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १२४७–५०

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष महोदय ने कलकत्ता बन्दरगाह में असिस्टेंट हार्बर मास्टर्स के पदत्याग के फलस्वरूप उत्पन्न कथित स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्तावों के रखे जाने की अनुमति नहीं दी, जिनकी पूर्व सूचनायें श्री फ्रैंक एन्थोनी और श्री कामत ने दी थीं।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १२५०

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों, १९५६ की एक प्रति जो अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९४३ दिनांक ३० अगस्त, १९५६ में छपी है, सभा पटल पर रखी गई।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना. . . १२५०–५२

श्री थानू पिल्ले ने दामोदर घाटी निगम परियोजना में सरकारी धन के अपव्यय के बारे में श्री प० स० कुमारस्वामी राजा के वक्तव्य की ओर योजना और सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाया।

योजना और सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

संकल्प विचाराधीन १२५३–९८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प पर और आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, १० सितबर, १९५६ के लिये कार्यावलि—

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति आदेश (संशोधन) विधेयक और ऐप्पलबी प्रतिवेदन पर विचार।

भा. स. मु. ना.—वि.३—२५३ लोक सभा/५६—२४-१२-५७—१९०